# अध्याय–1
# प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :**

(1) इन नियमों का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 है ।

(2) इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।

(3) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगें ।

2. **परिभाषाएं :** जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में, –

(क) "अधिनियम" से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का राजस्थान अधिनियम सं.16) अभिप्रेत है ;

(ख) "कृषि विपणन सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि उपज का विपणन और कृषि उत्पादन के लिये उपकरणों और अन्य अपेक्षित वस्तुओं का प्रदाय हो, जिसके कम से कम तीन–चौथाई सदस्य कृषक या कृषकों द्वारा गठित सोसाइटियां हों ;

(ग) "बोनस" से किसी सोसाइटी के लाभों में से किसी सदस्य या किसी कर्मचारी को सोसाइटी के कारबार में उसके अभिदाय (जिसमें श्रम या सेवा के रूप में किया गया कोई भी अभिदाय सम्मिलित है) के आधार पर और किसी संयुक्त कृषि सोसाइटी की दशा में, उक्त अभिदाय और साथ ही संयुक्त खेती के लिये सम्मिलित की गयी सदस्यों की भूमियों के मूल्य या आय या, यथास्थिति, क्षेत्र दोनों के आधार पर किया गया ऐसा नकद या वस्तु के रूप में संदाय अभिप्रेत है जो सोसाइटी द्वारा विनिश्चत किया जाये ;

(घ) "उपभोक्ता सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों के साथ ही अन्य ग्राहकों को या उनके लिये माल का उपापन, उत्पादन या प्रसंस्करण और वितरण या अन्य सेवा करना हो ;

(ड.) "सहकारी बैंक" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित बैंककारी कारबार करने वाली कोई सोसाइटी अभिप्रेत है ;

(च) "सहकारी वर्ष" से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष या किसी भी सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटियों के किसी वर्ग की दशा में जिसके लेखे, रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी से किसी अन्य तारीख को सन्तुलित किये जाते हैं ऐसी तारीख को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ;

(छ) "ऋण सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों को धन उधार देना है ;

(ज) "लाभांश" से किसी सोसाइटी के लाभों में से किसी सदस्य को उसके द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में संदत्त रकम अभिप्रेत है ;

(झ) "कृषि सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसमें, कृषि उत्पादन, नियोजन और आय में वृद्धि करने तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से समस्त सदस्यों द्वारा भूमियां सम्मिलित कर ली जाती हैं और संयुक्त रूप से उनमें खेती की जाती है, ऐसी भूमियां (क) सदस्यों (या उनमें से कुछ) के स्वामित्वाधीन या उनको पट्टे पर दी हुई हों, या (ख) अन्य किसी भी प्रकार से सोसाइटी के कब्जे में आ जाये ;

(ञ) "साधारण सोसाइटी" से इन नियमों के अन्य खण्डों द्वारा परिभाषित सोसाइटियों के किन्हीं भी वर्गों के अन्तर्गत नहीं आने वाली कोई सोसाइटी अभिप्रेत है ;

(ट) "गृह निर्माण सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों को निवास–गृह उपलब्ध कराना या उनके निवास–गृह संनिर्मित करने के लिये इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित एक या अधिक आवश्यक संघटक उपलब्ध कराके उन्हें सुकर बनाना हो ;

(ठ) "ऋणेतर सोसाइटी" से इस नियम के खण्ड (छ) के अधीन यथा–परिभाषित सोसाइटी से भिन्न कोई सोसाइटी अभिप्रेत है ;

(ड) "उत्पादकों की सोसाइटी" से उत्पादन करने और उसके सदस्यों द्वारा उत्पादित माल और वस्तुओं का व्ययन करने के प्रमुख उद्देश्य से गठित कोई सोसाइटी अभिप्रेत है और उसके सदस्यों के श्रम के सामूहिक व्ययन के उद्देश्य से गठित कोई सोसाइटी इसके अन्तर्गत है;

(ढ) "प्रसंस्करण सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका प्रमुख उद्देश्य माल का प्रसंस्करण है;

(ण) "वसूली अधिकारी" से अधिनियम की धारा 100 के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सशक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(त) " रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" से किसी सहकारी सोसाइटी के सम्बन्ध में, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने में सक्षम है या जिसे ऐसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की शक्तियां सरकार द्वारा प्रत्यायोजित की गयी हैं ;

(थ) "संपदा सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका प्रमुख उद्देश्य उसके सदस्यों के लिये उनके द्वारा अपेक्षित उधार, माल या सेवायें अभिप्राप्त करना हो और कोई सेवा सहकारी सोसाइटी उसके अन्तर्गत है ;

(द) "विक्रय अधिकारी" से रजिस्ट्रार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा व्यतिक्रमियों की सम्पत्ति को कुर्क और विक्रीत करने या सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा किसी डिक्री, आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय को निष्पादित करने के लिये सशक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ध) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(न) "महिला सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक रूप से उत्थान करना हो और जिसके सदस्य अनन्य रूप से या तो महिलायें हैं या अनन्य रूप से महिला सदस्यों वाली सोसाइटियां हैं ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है ।

## अध्याय–2
## निगमन

**3. "कमजोर वर्ग" के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण कुटुम्ब :**

व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को, जिनकी प्रतिवर्ष कुल आय ग्यारह हजार रूपये से अधिक नहीं है, ग्राम समुदाय के आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े या उपेक्षित वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा :–

(i) एक मानक एकड़ से अनधिक भूमि पर स्वामित्व रखने वाले या खेती करने वाले कृषक ;

(ii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, और यायावर जनजातियों के व्यक्ति ;

(iii) भूमिहीन कृषक श्रमिक ;

(iv) लघु शिल्प में लगे हुये ग्रामीण शिल्पी और कर्मकार ; और

(v) कृषि के समनुषंगी उत्पादन व्यवसाय अर्थात् दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन उद्योग इत्यादि में लगे हुये कृषकों से भिन्न व्यक्ति ।

**4. रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन :**

(1) धारा 5 के अधीन किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जायेगा, जो रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये और उपनियम (2) और उपनियम (3) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, आवेदकों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किया जायेगा, और उसके साथ निम्नलिखित होंगे :–

(क) सोसाइटी की प्रस्तावित उपविधियों की तीन प्रतियां ;

(ख) प्रस्तावित सोसाइटी के पक्ष में जमा अतिशेष कथित करते हुए सहकारी बैंक का प्रमाण–पत्र ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने शेयर–पूँजी में अभिदाय किया है, साथ ही उनमें से प्रत्येक के द्वारा अभिदाय की गयी रकम, और उनके द्वारा संदत्त प्रवेश फीस ;

(घ) सोसाइटी का कार्यकरण आर्थिक रूप से कैसे सुदृढ़ होगा, यह ब्यौरा दर्शित करने वाली स्कीम;

(ड.) किसी सेवा सहकारी सोसाइटी की दशा में, नियम 3 के अनुसार कमजोर वर्ग के सदस्यों की सूची ;

(च) ऐसे अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों, जो रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें ।

(2) जहॉ प्रस्तावित सोसाइटी का कोई भी सदस्य कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, वहॉ रजिस्ट्रीकरण का आवेदन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिये सम्यक् रूप से प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और सदस्य को प्राधिकृत करने वाले ऐसे संकल्प की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी ।

(3) जहॉ प्रस्तावित सोसाइटी का कोई भी सदस्य निगमित निकाय या कोई स्थानीय प्राधिकारी हो, वहॉ ऐसा निगमित निकाय या स्थानीय प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिये किसी भी व्यक्ति को सम्यक् रूप से प्राधिकृत करेगा और ऐसा प्राधिकार देने वाले संकल्प की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी ।

(4) प्रस्तावित सोसाइटी के आवेदन रजिस्ट्रीकरण का आवेदन प्रस्तुत करते समय, धारा 6 की उपधारा (2) में यथा–उपबन्धित सुनवाई का अवसर दिये जाने के लिये उनके द्वारा अभिहित किसी एक आवेदक का नाम और पता भी सूचित करेंगें, जिसके साथ रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के पूर्व पत्र व्यवहार, यदि कोई हो, किया जा सकेगा ।

(5) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी आवेदन की विशिष्टियों को ऐसे प्ररूप में रखे जाने वाले आवेदन रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा, जो रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

**5. <u>रजिस्ट्रीकरण :</u>**

(1) नियम 4 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार प्रस्तावित उपविधियों सहित सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की परीक्षा करेगा, और आवेदकों द्वारा उस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत व्यक्ति को, जहॉ कहीं आवश्यक हो, प्रस्तावित उपविधियों में उपान्तरण करने या अतिरिक्त सूचना देने का अवसर प्रदान करेगा, यदि सोसाइटी का अन्तिम रूप से रजिस्ट्रीकरण करने या रजिस्ट्रीकरण का आवेदन नामंजूर करने के पूर्व आवेदन में कोई कमी पायी जाती है।

(2) धारा 6 के अधीन किसी सोसाइटी को और उसकी उपविधियों को रजिस्ट्रीकृत कर लेने पर रजिस्ट्रार सोसाइटी को अपने द्वारा हस्ताक्षरित और अपनी पदीय मुहर से युक्त तथा सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख अन्तर्विष्ट करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र मंजूर करेगा तथा अपने द्वारा अनुमोदित और रजिस्ट्रीकृत उपविधियों की प्रति भी सोसाइटी को देगा ।

(3) रजिस्ट्रार अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों का रजिस्टर ऐसे प्ररूप में रखेगा, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(4) जहॉ आवेदकों ने रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी राजस्थान या सरकार को धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन समावेदन किया हो, वहॉ रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार, ऐसे आवेदन की विशिष्टियॉ ऐसे प्ररूप में रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्ट करेगी, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(5) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से आवश्यक अभिलेख मंगवायेगी ।

(6) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर–भीतर आवेदन को विनिश्चित करेगी और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को निश्चायक निदेश देगी । ऐसे निदेशों में वह समावधि भी सम्मिलित होगी, जिसके भीतर विनिश्चयों का अनुपालन किया जाना है ।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार से निदेश प्राप्त होने के पश्चात् निदेशों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर निदेशों का अनुपालन करेगा ।

(8) जहॉ रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार से धारा 6 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी कोई निदेश प्राप्त नहीं होते हैं, वहॉ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार, से तथ्य अभिनिश्चित कर लेने के पश्चात् धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तुरन्त जारी करेगा ।

**6. <u>रजिस्ट्रीकरण से इनकार</u> :**

(1) जहॉ कोई भी प्रस्तावित सोसाइटी, सोसाइटी के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार द्वारा यथा–अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं करे या अधिनियम या इन नियमों में अधिकथित शर्तों में से किसी शर्त को पूरा नहीं करे, वहॉ रजिस्ट्रार सोसाइटी को रजिस्टर करने से इनकार कर सकेगा ।

(2) यदि रजिस्ट्रार किसी सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार करता है तो वह इनकार करने के आदेश को उसके कारणों सहित नियम 4 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट आवेदक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित करेगा ।

**7. <u>सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना</u> :**

(1) जहॉ सरकार के नोटिस में यह आये कि कोई सहकारी सोसाइटी, जो धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है, या रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी गयी है, धारा 6 की उपधारा (1) में यथा–वर्णित रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है, वहॉ सरकार सोसाइटी को यह कारण बताने के लिये चौदह दिन का नोटिस देगी कि सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द क्यों नहीं कर दिया जाये ।

(2) सरकार इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रार से सुसंगत अभिलेख और ऐसी अन्य जानकारी भी मंगा सकेगी, जो आवश्यक हो ।

(3) यदि सोसाइटी सरकार के नोटिस का जवाब नहीं देती है, या सरकार का, सोसाइटी के जवाब पर विचार करने के पश्चात् और रजिस्ट्रार से प्राप्त अभिलेख और अन्य जानकारी, यदि कोई हों, की परीक्षा करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी गयी है, धारा 6 की उपधारा (1) में यथा–अधिकथित रजिस्ट्रीकरण की आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है, तो सरकार रजिस्ट्रार को सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण तुरन्त रद्द करने का निदेश दे सकेगी ।

(4) उपर्युक्त उपनियम (3) के अधीन सरकार के निदेश प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को तुरन्त रद्द कर देगा और उसके साथ ही सोसाइटी का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जायेगा ।

**8. <u>वर्गीकरण, उप–वर्गीकरण और रजिस्ट्रीकरण के समय अपेक्षित न्यूनतम शेयर पूँजी</u> :**

(1) सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिये अपेक्षित न्यूनतम शेयर–पूँजी वह होगी, जो नीचे की सारणी में सोसाइटी के प्रत्येक वर्ग या उप–वर्ग के सामने उल्लिखित है :–

**<u>सारणी</u>**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | कृषि सोसाइटी | (क) सामूहिक कृषि सोसाइटी | कृषि सोसाइटियां, जहॉ स्वामित्व सोसाइटी में निहित है । | उपविधियों के अनुसार |
| | | (ख) संयुक्त कृ ा सोसाइटी | सोसाइटियां, जहॉ स्वामित्व सदस्यों द्वारा रखा जाता हो | उपविधियों के अनुसार |
| 5. | गृह निर्माण सोसाइटी | (क) किरायेदार स्वामित्व गृह निर्माण सोसाइटी | गृह निर्माण सोसाइटियां, जहॉ सोसाइटियों द्वारा भूमि या तो पट्टे पर या फ्रीहोल्ड आधार पर धारित की जाती है, और गृहों पर सदस्यों का स्वामित्व होता है, या होना है । | उपविधियों के अनुसार |
| | | (ख) किरायेदार सहभागी गृह निर्माण सोसाइटी | गृह निर्माण सोसाइटियॉ, जो भूमि और भवन दोनों ही या तो पट्टे पर या फ्रीहोल्ड आधार पर धारित करती हैं, और अपने सदस्यों को उनका आवंटन करती हैं । | उपविधियों के अनुसार |
| | | (ग) अन्य गृह निर्माण सोसाइटियां | गृह बन्धक सोसाइटियां और गृह निर्माण सोसाइटियां | उपविधियों के अनुसार |
| 6. | प्रसंस्करण सोसाइटी | (क) कृषि प्रसंस्करण सोसाइटी | कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण करने वाली सोसाइटियां जैसे सहकारी चीनी कारखाने और तेल मिलें | उपविधियों के अनुसार |
| | | (ख) औघेगिक प्रसंस्करण सोसाइटी | ऊन प्रसंस्करण और चमड़ा बनाने वालों की सोसाइटियां | उपविधियों के अनुसार |
| 7. | उत्पादकों की सोसाइटी | (क) औघेगिक उत्पादकों की सोसाइटी | बुनकरों और बढ़इयों की सोसाइटियां | 0.25 |
| | | (ख) श्रमिकों की औद्योगिक सोसाइटी | वन श्रमिकों की सोसाइटियां और श्रम संविदा सोसाइटियां | 0.05 |
| | | (ग) कृ ा उत्पादकों की सोसाइटी | पशु प्रजनन, डेयरी और कुक्कुटशाला सोसाइटियां | 0.10 |
| 8. | संपदा सोसाइटी | (क) ऋण संपदा सोसाइटी | कर्मचारी क्रेडिट और थ्रिफ्ट सोसाइटी | 0.50 |
| | | (ख) ऋणेत्तर संपदा सोसाइटी | बीज और उपकरण तथा कृ ा अपेक्षित वस्तु सोसाइटियां | 1.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (ग) सेवा सहकारी सोसाइटी | सेवा सहकारी सोसाइटियां, बहुउद्देश्यीय सहकारी सोसाइटियां और कृषि ऋण सोसाइटियां | 1.00 |
| 9. | महिला सहकारी सोसाइटी | (क) परिसंघ | सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर अधिकारिता रखने वाली | 5.00 |
| | | (ख) केन्द्रीय | महिला बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सोसाइटी | 1.00 |
| | | (ग) प्राथमिक | महिला बहुउद्देश्यीय सोसाइटी | 0.05 |
| 10. | साधारण सोसाइटी | (क) सामाजिक | जीवनस्तरोन्नयन सोसाइटियां और शिक्षा सोसाइटियां | 0.50 |
| | | (ख) वाणिज्यिक | बीमा और मोटर रिक्शा चालक परिवहन सोसाइटियां | उपविधियों के अनुसार |
| | | (ग) अन्य | उपर्युक्त उप–खण्डों में से किसी में भी न आने वाली सोसाइटियां | उपविधियों के अनुसार |

**9. दायित्व के स्वरूप और सीमा में परिवर्तन :**

(1) अपने दायित्व में परिवर्तन में वांछ रखने वाली कोई सोसाइटी इस नियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए अपनी उपविधियों में संशोधन द्वारा ऐसा कर सकेगी । किसी सोसाइटी के दायित्व का असीमित से सीमित में और विपर्ययेन परिवर्तन या शेयर पूँजी का गुणित के रूप में परिवर्तन, सोसाइटी के उस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बुलायी गयी साधारण बैठक में उस निमित्त कोई विशेष संकल्प, दायित्व परिवर्तन की रीति को स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए, पारित करके सुनिश्चित किया जायेगा । सोसाइटी अपने समस्त सदस्यों और लेनदारों को उक्त बैठक के लिये लिखित रूप में तीस दिन का नोटिस देगी और बैठक में रखे जाने के लिये प्रस्तावित संकल्प की प्रतियां भी उन्हें दी जायेंगी । संकल्प के सम्यक् रूप से रखे जाने और विशेष संकल्प के रूप में पारित हो जाने के पश्चात् उसकी प्रति उसके पारित होने के तीस दिन के भीतर–भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन सोसाइटी द्वारा दिया जाने वाला प्रत्येक नोटिस उसके प्रत्येक सदस्य और लेनदार को सोसाइटी की पुस्तकों में अभिलिखित पते पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन डाक से या अन्यथा भेजा जायेगा । ऐसे नोटिस की प्रति सोसाइटी के सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी और प्रति रजिस्ट्रार को भी उसके कार्यालय के सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित करने के लिये भेजी जायेगी ; और उसके दायित्व के स्वरूप या सीमा में परिवर्तन करने के संकल्प का नोटिस उसके समस्त सदस्यों और लेनदारों को उनके सही पते पर नहीं भेजने या उन्हें प्राप्त नहीं होने पर भी सम्यक् रूप से दिया हुआ समझा जायेगा ।

(3) दायित्व के परिवर्तन सम्बन्धी विशेष संकल्प पारित हो जाने के पश्चात् उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से ऐसे प्रत्येक सदस्य और लेनदार को तीस दिन का दूसरा नोटिस दिया जायेगा जो अपने शेयरों, ऋण या जमा प्रत्याहृत करने का विकल्प दे, किसी सोसाइटी में सदस्य के शेयर का मूल्य निम्नलिखित रूप से अभिनिश्चित किया जायेगा :–

(क) असीमित दायित्व वाली किसी सोसाइटी के मामले में किसी शेयर का मूल्य सोसाइटी द्वारा ऐसे शेयर के सम्बन्ध में प्राप्त वास्तविक रकम होगा ।

(ख) सीमित दायित्व वाली सोसाइटी के मामले में किसी शेयर का मूल्य सोसाइटी की पिछले संपरीक्षित तुलनपत्र में यथादर्शित वित्तीय स्थिति पर आधारित मूल्यांकन द्वारा परिनिर्धारित रकम होगा, परन्तु वह ऐसे शेयर के सम्बन्ध में सोसाइटी द्वारा प्राप्त वास्तविक रकम से अधिक नहीं होगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन अपना विकल्प देने का इच्छुक कोई भी सदस्य या लेनदार सोसाइटी को लिखित रूप में तद्नुसार सूचित करेगा, और यदि वह अपने समस्त शेयरों या जमाओं को प्रत्याहृत

करना प्रस्तावित नहीं करता है तो उक्त सदस्य या लेनदार अपने प्रत्याहरण की सीमा लिखित रूप में स्पष्टतः सूचित करेगा । सोसाइटी, ऐसे शेयरों के सहित, जिनका मूल्य उपनियम (3) के उपबन्धों के अनुसार अभिनिश्चित किया जायेगा, समस्त दावों के न्याय सम्मत रीति से समुचित संदाय की स्कीम की परीक्षा करेगी और उसे तैयार करेगी । स्कीम में पारस्परिक करार के द्वारा दावों का निपटारा करने का उपबन्ध भी किया जा सकेगा । जहॉ रजिस्ट्रार स्कीम को अव्यवहारिकता या अवांछनीयता के आधार पर अनुमोदित नहीं करता है, वहॉ उपनियम (1) के अधीन सोसाइटी द्वारा पारित संकल्प निष्प्रभावी हो जायेगा और सोसाइटी के दायित्व का स्वरूप और सीमा पूर्वोक्त रूप से पारित संकल्प के अनुसार परिवर्तित होने वाली नहीं समझी जायेगी।

(5) रजिस्ट्रार द्वारा स्कीम के अनुमोदन के पश्चात् सोसाइटी ऐसे सदस्यों और लेनदारों को संदाय करेगी, जिन्होंने अपने शेयर, ऋण और जमाएं प्रत्याहृत करने का विकल्प दिया है और उस प्रभाव की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को करेगी और सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन करने के लिये इस निमित्त सम्यक् रूप से पारित प्रस्ताव रजिस्ट्रार को भेजेगी । प्रस्ताव प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार, यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् कि उपनियम (2) के अधीन समस्त दावों का निपटारा कर दिया गया है, धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार संशोधन को रजिस्टर करेगा ।

**10. <u>सोसाइटी के नाम परिवर्तन के लिये व्यय :</u>**

(1) जहॉ कोई सोसाइटी धारा 9 के उपबन्धों के अधीन अपने नाम के परिवर्तन का प्रस्ताव करती है, वहॉ वह धारा 9 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित नोटिस के प्रकाशन के लिये रजिस्ट्रार को व्यय जमा करायेगी ।

(2) व्यय का अवधारण, रजिस्ट्रार द्वारा, सोसाइटी के संचालन के क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की प्रचलित दरों के अनुसार किया जायेगा। इस प्रकार अवधारित व्यय रजिस्ट्रार द्वारा की गयी मांग पर सोसाइटी द्वारा खजाने में सात दिन की कालावधि के भीतर जमा कराया जायेगा । प्रकाशन के प्रभार इस प्रकार जमा की गयी रकम से संदत्त किये जायेंगें ।

**11. <u>उपविधियों के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया :</u>**

(1) जहॉ कोई सहकारी सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन करना प्रस्तावित करती है, वहॉ ऐसा कोई भी संशोधन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि इस प्रयोजन के लिये बुलायी गयी साधारण निकाय की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा वह पारित न हो जाये ।

(2) ऐसा कोई भी संकल्प तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि प्रस्तावित संशोधन का नोटिस सोसाइटी के सदस्यों को साधारण बैठक के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व नहीं दे दिया गया हो।

(3) विशेष संकल्प पारित होने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित के साथ आवेदन किया जायेगाः–

(क) विशेष संकल्प के अनुसरण में किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधन और ऐसे संशोधन के औचित्य के कारणों सहित तत्समय प्रवृत्त सुसंगत उपविधियों की प्रति ;

(ख) संशोधन के पश्चात् भावी उपविधियों की तीन प्रतियां, जो सोसाइटी द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित हों ;

(ग) उपविधियों को संशोधित करने के प्रस्ताव के सोसाइटी के सदस्यों को दिये गये नोटिस की प्रति;

(घ) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विशेष संकल्प की प्रति ;

(ड.) ऐसी बैठक की तारीख को सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या ;

(च) ऐसे सदस्यों की संख्या, जिनसे ऐसी बैठक की गणपूर्ति हुई ;

(छ) ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या ;

(ज) ऐसे सदस्यों की संख्या, जिन्होंने संशोधन के पक्ष में मत दिया हो ;

(झ) सोसाइटी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित इस बात का प्रमाण–पत्र कि धारा 10, उपनियम (1) और उपविधियों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है, और

(ञ) ऐसी अन्य जानकारी, जिसकी रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षा की जाये ।

(4) ऐसा प्रत्येक आवेदन ऐसी साधारण बैठक की तारीख से चौदह दिन के भीतर–भीतर किया जायेगा, जिसमें संशोधन के लिये विशेष संकल्प पारित किया गया था :
परन्तु रजिस्ट्रार पर्याप्त हैतुक के आधार पर विलम्ब को, यदि कोई हो, माफ कर सकेगा ।

(5) उपनियम (3) में निर्दिष्ट विशेष संकल्प और अन्य विशिष्टियों की प्रति प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार प्रस्तावित संशोधन की परीक्षा करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित संशोधन ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, जो धारा 6 के अधीन उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवश्यक है तो वह संशोधन को रजिस्टर करेगा तथा सोसाइटी को अपने द्वारा रजिस्ट्रीकृत संशोधन की प्रति जारी करेगा । जहॉ रजिस्ट्रार की यह राय हो कि प्रस्तावित संशोधन ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, जो उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवश्यक हैं, वहॉ वह उसे, उस पर अपनी टिप्पणियों सहित, धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन यथा–अपेक्षित पुनर्विचार करने के लिये सोसाइटी को वापस भेज देगा ।

(6) नियम 5 के उपनियम (4) से उपनियम (8) के उपबन्ध उपविधियों के संशोधन के लिये धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन की गई कार्यवाही पर यथा–आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

**12. <u>सोसाइटियों की आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण, विभाजन और समामेलन :</u>**

(1) धारा 12 के अधीन आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण, विभाजन या समामेलन करने की इच्छुक प्रत्येक सोसाइटी यह उपदर्शित करते हुए कि आस्तियों और दायित्वों का प्रस्तावित अन्तरण, विभाजन या समामेलन, कैसे सोसाइटी के लिये उपयोगी होगा तथा कार्यान्वित किया जायेगा, आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण, विभाजन या समामेलन की स्कीम बनायेगी । जहॉ स्कीम में किसी सोसाइटी को दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित करना अन्तर्वलित हो, वहॉ उसमें नई सोसाइटियों, जिनमें सोसाइटी को विभाजित किया जायेगा, के नाम, संचालन क्षेत्र, उपविधियों का प्रारूप तथा सदस्यों और लेनदारों की सूची के बारे में प्रस्ताव भी अन्तर्विष्ट होंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन आस्तियों और दायित्वों के समामेलन या विभाजन या अन्तरण की स्कीम बनाने के पश्चात् सोसाइटी पहले रजिस्ट्रार का सूचित करेगी और उसके पश्चात् सोसाइटी अपने समस्त सदस्यों को, आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण, विभाजन या समामेलन की प्रस्तावित स्कीम सहित, कम से कम पन्द्रह दिन का लिखित नोटिस देकर विशेष साधारण बैठक बुलायेगी । किसी भी अन्य सोसाइटी (जिसे इसमें इसके पश्चात् अन्य सोसाइटी कहा गया है) के साथ समामेलन की या उसको पूर्णतः या भागतः आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण करने की इच्छुक सोसाइटी के मामले में, सोसाइटी अन्य सोसाइटी को भी नोटिस और प्रस्तावित स्कीम की प्रति सूचनार्थ भेजेगी । सोसाइटी आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण, विभाजन या, यथास्थिति, समामेलन के लिये विशेष साधारण बैठक में विशेष संकल्प पारित करेगी और समामेलन या आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण के मामले में ऐसे विशेष संकल्प की प्रति अन्य सोसाइटी को अग्रेषित करेगी ।

(3) उपनियम (2) के अधीन विशेष संकल्प प्राप्त होने के पश्चात् अन्य सोसाइटी रजिस्ट्रार को और अपने समस्त सदस्यों और लेनदारों को, समामेलन या आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण की स्कीम और अपनी उपविधियों के संशोधन के प्रारूप सहित, यदि कोई हो, कम से कम पन्द्रह दिन का लिखित नोटिस देकर विशेष साधारण बैठक बुलायेगी और समामेलन या, यथास्थिति, आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण की स्कीम तथा अपनी उपविधियों के संशोधन, यदि कोई हो, का अनुमोदन करने के लिये साधारण बैठक में विशेष संकल्प पारित करेगी और ऐसे विशेष संकल्प की प्रति ऐसी सोसाइटी को भेजेगी, जिसने समामेलन या अपनी आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण करने का पूर्व में विनिश्चय किया है ।

(4) प्रभावित सोसाइटी या, यथास्थिति, प्रभावित सोसाइटियों में से प्रत्येक, समामेलन या आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण के मामले में उपनियम (3) के अधीन अनुमोदन के पश्चात् तथा विभाजन के मामले में उपनियम (2) के अधीन विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को प्रस्ताव अग्रेषित करेगी :

परन्तु जहॉ ऐसे प्रस्तावों में उपविधियों का संशोधन अन्तर्वलित हो, वहॉ नियम 11 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा ।

(5) रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तावों के अनुमोदन के पश्चात् प्रभावित सोसाइटी या, यथास्थिति, प्रभावित सोसाइटियों में से प्रत्येक धारा 12 की उपधारा (4) से (6) के अधीन कार्यवाही करेगी ।

(6) प्रभावित सोसाइटी या, यथास्थिति, प्रभावित सोसाइटियों में से प्रत्येक उसके द्वारा उपनियम (5) के अधीन की गई कार्यवाही की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगी और आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण, विभाजन या समामेलन के विनिश्चय के अनुमोदन का निवेदन करेगी ।

(7) रजिस्ट्रार स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि प्रक्रिया का अनुसरण कर लिया गया है, आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण का आदेश पारित करेगा और समामेलित या विभाजित सोसाइटी या सोसाइटियों को रजिस्टर करेगा और ऐसी सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण रद्द करेगा, जिनका समामेलन या विभाजन हो गया है ।

(8) नियम 5 के उपनियम (4)(8) के उपबन्ध रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार द्वारा धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन की जाने वाली कार्यवाही पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

**13. <u>रजिस्ट्रार द्वारा लोकहित इत्यादि में सोसाइटियों के समामेलन, विभाजन और पुनर्गठन के लिये प्रस्ताव</u> :**

(1) किसी भी सोसाइटी या सोसाइटियों के समामेलन, आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण, विभाजन या पुनर्गठन के लिये धारा 13 के अधीन कोई भी प्रस्ताव भेजने के पूर्व रजिस्ट्रार, ऐसे समामेलन, विभाजन, आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण, या पुनर्गठन के सम्बन्ध में, वह रीति, जिससे ऐसे समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बनने वाली सोसाइटी या सोसाइटियों की नयी समिति या समितियों का गठन किया जायेगा, वर्णित करते हुए प्रारूप स्कीम तथा ऐसी उपविधियां तैयार करेगा, जिनका ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियां पालन करेंगी । रजिस्ट्रार उसके द्वारा धारा 13 के अधीन जारीकिये जाने के लिये अपेक्षित आदेश के प्रारूप की प्रति सम्बन्धित सोसाइटी या सोसाइटियों में से प्रत्येक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक में तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर प्रस्तावों पर विचार किये जाने और विनिश्चित किये जाने की अपेक्षा करते हुए भेजेगा ।

(2) सोसाइटी या, यथास्थिति, प्रत्येक सोसाइटियों में से प्रत्येक, सदस्यों और लेनदारों को, रजिस्ट्रार के प्रस्तावों पर उनमे आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, कम से कम तीस दिन का नोटिस देगी । सदस्यों और लेनदारों से प्राप्त समस्त आक्षेपों और सुझावों पर साधारण निकाय की बैठक में विचार किया जायेगा और रजिस्ट्रार के प्रस्तावों पर विनिश्चय किया जायेगा ।

(3) रजिस्ट्रार समस्त सुझावों और आक्षेपों पर विचार करेगा और उन सुझावों या आक्षेपों और उन पर सोसाइटी के संकल्प का ध्यान में रखते हुए आदेश के प्रारूप में ऐसे उपान्तरण करेगा, जो उसे वांछनीय प्रतीत हों और तत्पश्चात् धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अन्तिम आदेश जारी करेगा ।

(4) समामेलित, विभाजित या पुनर्गठित की जाने वाली सोसाइटियों में से प्रत्येक का कोई भी ऐसा सदस्य या लेनदार, जिसने उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन की स्कीम पर आक्षेप किया है, यदि वह सदस्य हो तो अपने शेयर या ब्याज के संदाय के लिये और यदि वह लेनदार हो तो अपने शोध्यों के चुकारे की रकम के लिये रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा । ऐसा आवेदन ऐसे आक्षेप या सुझाव से पृथक और सुभिन्न होगा जो उसने सोसाइटी या रजिस्ट्रार को धारा 13 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन प्रस्तुत किया हो । रजिस्ट्रार ऐसे आवेदनों के अन्वेषण और सदस्यों या, यथास्थिति, लेनदारों को किये जाने के लिये अपेक्षित संदायों को अवधारित करने के लिये किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करने में सक्षम होगा ।

(5) रजिस्ट्रार अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए सम्बन्धित सोसाइटी से सदस्यों और लेनदारों के समस्त शोध्य दावों का पूर्णतः चुकारा करने या उनका अन्यथा शोधन करने की आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा और तब सोसाइटी ऐसे समय के भीतर–भीतर, जो रजिस्ट्रार द्वारा आदेश

में विनिर्दिष्ट किया जाये, सदस्यों और लेनदारों के समस्त शोध्य दावों का पूर्णतः चुकारा या अन्यथा शोधन करने के लिये बाध्य होगी ।

## अध्याय–3

## सहकारी सोसाइटियों के सदस्य तथा उनके अधिकार और दायित्व

**14. सदस्यता :**

(1) (i) अधिनियम, तदधीन बनाये गये नियमों और सोसाइटी की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार सदस्यता के पात्र किसी व्यक्ति को सोसाइटी की सदस्यता देने से इनकार नहीं किया जायेगा ।

(ii) किसी सोसाइटी का सदस्य बनने का इच्छुक कोई व्यक्ति 10/– रु. सदस्यता फीस और सोसाइटी की उपविधियों में यथा–अपेक्षित आवश्यक शेयर धन के साथ प्ररूप–ड में आवेदन कर सकेगा।

(iii) सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सदस्यता के लिए प्राप्त प्रत्येक आवेदन प्ररूप–ढ में रखे जाने वाले रजिस्टर में कालानुक्रम में प्रविष्ट किया जाता है ।

(iv) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सदस्यता प्ररूप प्राप्त करते समय, सदस्यता फीस और शेयर धन जमा करेगा और आवेदक को अपने हस्ताक्षर से उसकी रसीद जारी करेगा ।

(v) मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और उन्हें ऐसी सदस्यता के लिए आवेदक की पात्रता सम्बन्धी अपनी सिफारिशों के साथ समिति के समक्ष विचार के लिए रखेगा ।

(vi) जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से यह जानकारी में नहीं आये कि आवेदक अधिनियम, तदधीन बनाये गये नियमों और सोसाइटी की उपविधियों में यथा–विनिर्दिष्ट अपात्रताओं में से किसी से ग्रस्त है, समिति उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदनों को प्रतिगृहीत करेगी और सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी आवेदक को ऐसे प्रतिग्रहण की सूचना देगा ।

(vii) जहां समिति सदस्यता के किसी आवेदन को नामंजूर करती है वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी आवेदक को इसके कारणों सहित ऐसी नामंजूरी की सूचना देगा और साथ ही आवेदक को सदस्यता फीस और शेयर धन लौटा देगा ।

(viii) कोई व्यक्ति, जिसने सदस्यता के लिए आवेदन किया है, उसके द्वारा आवेदन फाइल करने की तारीख से ऐसा सदस्य बना हुआ समझा जायेगा जब तक कि सोसाइटी उसका आवेदन नामंजूर नहीं कर देती ।

(ix) जहां कोई सोसाइटी किसी आवेदक द्वारा फाइल किये गये सदस्यता के किसी आवेदन को प्राप्त करने से इनकार कर दे वहां आवेदक रजिस्ट्रार के समक्ष अपना आवेदन फाइल कर सकेगा जो उसे तुरन्त सोसाइटी को अग्रेषित कर देगा । रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार अग्रेषित कोई आवेदन सोसाइटी के कार्यालय में उस तारीख को, जिसको वह रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त हुआ था, सम्यक् रूप से फाइल किया हुआ समझा जायेगा ।

(2) निम्नलिखित व्यक्तियों, निकायों या स्थानीय प्राधिकारियों को धारा 15(1)(घ) के अधीन सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा :–

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन गठित कोई फर्म, कम्पनी या कोई भी अन्य निगमित निकाय, या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ;

(ख) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन गठित जिला परिषदें या पंचायत समितियां या पंचायतें ;

(ग) लोक न्यास के रजिस्ट्रीकरण के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई लोक न्यास ;

(घ) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अधीन गठित कोई नगरपालिका ;

(ड.) राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 5) के अधीन गठित कोई खादी ग्रामोद्योग बोर्ड :

परन्तु तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन गठित किसी फर्म, कम्पनी, नगरपालिका या किसी भी अन्य निकाय को, रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी के बिना, इस नियम के अधीन किसी भी सहकारी सोसाइटीी के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और यह भी कि सदस्यता के आवेदन के साथ ऐसी सदस्यता के लिये आवेदन करने के लिये प्राधिकृत करने वाले संकल्प की प्रति भी संलग्न होनी चाहिये।

**15. धारा 17 के अधीन नाममात्र के तथा सहयुक्त सदस्यों को सम्मिलित किया जाना :**

(1) निम्नलिखित को नाममात्र के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा :–

(i) सोसाइटी के साथ ऐसा संव्यवहार करने वाला व्यक्ति, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किये जायें;

(ii) वित्तीय बैंक के ऋणी के पक्ष में प्रत्याभूति निष्पादित करने वाला ऐसा व्यक्ति, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये ;

(iii) किसी भूमि विकास बैंक से भिन्न किसी वित्तीय बैंक के मामले में, ऐसा कोई व्यक्ति, जो बैंक के जमा खाते में कम से कम 1000/– रूपये जमा रखता है ;

(iv) किसी विपणन सोसाइटी के मामले में ऐसा कोई व्यक्ति, जो सोसाइटी के संचालन क्षेत्र में कृषि वस्तुओं का कारबार करता है और उसके साथ संव्यवहार करता है ; और

(v) स्वसाहाय्य समूह, जहॉ सोसाइटी की उपविधियां ऐसी अनुज्ञा दें :

परन्तु स्वसाहाय्य समूह को रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन के बिना नाममात्र के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि ऐसा स्वासाहाय्य समूह सदस्यता के आवेदन के साथ ऐसे स्वसाहाय्य समूह के साधारण निकाय की बैठक में ऐसे व्यक्ति के बारे में पारित संकल्प की प्रतिलिपि देगा, जो सोसाइटी में स्वासाहाय्य समूह का प्रतिनिधित्व करेगा । एक बार प्राधिकृत व्यक्ति स्वसाहाय्य समूह के ऐसे ही संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन गठित जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों को सहकारी सोसाइटी में नाममात्र के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किा जा सकेगा।

(3) सदस्य की पत्नी/पति को केवल सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट सोसाइटियों में सहयुक्त सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा ।

**16. सदस्यता के लिये निरर्हतायें :**

(1) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने का पात्र तब नहीं होगा, यदि –

(क) उसने दिवालिया न्यायनिर्णीत किये जाने के लिये आवेदन कर दिया है, या वह अनुन्मोचित दिवालिया है, या

(ख) वह सक्षम अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा विकृतचित्त न्यायनिर्णीत कर दिया गया है, या

(ग) उसे ऐसे किसी भी अपराध के लिये दण्डित किया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, ऐसे दण्डादेश को उलटा न गया हो या अपराध को क्षमा न कर दिया गया हो और दण्डादेश की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत न हो गयी हो :

परन्तु उपनियम (1) के खण्ड (ग) का उपबन्ध किसी भी अपराध के लिये दण्डित व्यक्ति को ऐसी कालावधि के दौरान लागू नहीं होगा, जब वह जेल में दण्डादेश भुगत रहा हो, और बन्दियों के उत्थान के लिये बनायी गयी ऐसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित होना चाहता हो, जो अनन्यतः जेल के अन्तःवासियों के लिये हो, किन्तु ऐसा व्यक्ति जेल से रिहा होते ही ऐसी सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा :

परन्तु यहऔर कि किसी सिद्धदोष व्यक्ति को, जेल से उसकी रिहाई के पश्चात् भी, किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा, यदि जेल के अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी जेल प्राधिकारी द्वारा उसका आचरण अच्छा होना प्रमाणित कर दिया जाये ।

(2) यदि कोई सदस्य उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के भी अधीन आ जाये तो उसकी सदस्यता, निरर्हता उत्पन्न होने की तारीख से समाप्त समझी जायेगी । यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो व्यथित पक्षकार रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा, जिसका विनिश्चय मामले में अन्तिम होगा ।

**17. दो ऋण सोसाइटियों की सदस्यता का प्रतिषेध :**

कोई भी व्यक्ति, जो किसी प्राथमिक सहकारी ऋण सोसाइटी का सदस्य है, रजिस्ट्रार की साधारण या विशेष मंजूरी के बिना, भूमि विकास बैंक या किसी विपणन सोसाइटी से भिन्न ऐसी किसी भी अन्य सोसाइटी का सदस्य नहीं होगा, और जहॉ कोई व्यक्ति ऐसी दो ऋण सोसाइटियों का सदस्य हो गया है, वहॉ रजिस्ट्रार की ओर से इस आशय की कोई लिखित अध्यपेक्षा किये जाने पर उनमें से एक या दोनों सोसाइटियां उसे सदस्यता से हटाने के लिये बाध्य होंगी ।

**18. सदस्यों के निष्कासन की प्रक्रिया :**

(1) किसी भी सदस्य को सोसाइटी की सदस्यता से निष्कासित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस पर साधारण निकाय की बैठक, जिसमें उसके निष्कासन का प्रस्ताव किया गया हो, से कम से कम 30 दिन पूर्व नोटिस तामील न कर दिया गया हो ।

(2) जहॉ किसी सोसाइटी का कोई भी सदस्य किसी भी अन्य सदस्य के निष्कासन का प्रस्ताव करता है, वहॉ वह सोसाइटी के अध्यक्ष को उसका लिखित नोटिस देगा । ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर या जब समिति स्वयं ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने का विनिश्चय करती है तो आगामी साधारण बैठक की कार्यसूची में ऐसे संकल्प को विचारार्थ लेने के लिये सम्मिलित कर लिया जायेगा और उसका नोटिस ऐसे सदस्य को, जिसके विरूद्ध ऐसा संकल्प लाने का प्रस्ताव है, ऐसी साधारण बैठक में उपस्थित रहने की, जो ऐसे नोटिस की तारीख से एक मास की कालावधि से पूर्वत्तर न हो, तथा सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय को, निष्कासन के विरूद्ध कारण बताने की अपेक्षा करते हुए, दिया जायेगा । यदि सदस्य उपस्थित हो तो उसे सुनने के पश्चात् या ऐसे किसी लिखित अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् जो उसने भेजा हो, सहकारी सोसाइटी का साधारण निकाय संकल्प पर विचार करने की कार्यवाही करेगा ।

(3) जब उपनियम (1) या (2) के अनुसार पारित कोई संकल्प रजिस्ट्रार को भेजा जाये या अन्यथा उसके ध्यान में लाया जाये तो रजिस्ट्रार संकल्प पर विचार कर सकेगा और ऐसी जांच जो वह उचित समझे, करने के पश्चात् उसका अनुमोदन कर सकेगा तथा उसकी सूचना सोसाइटी और सम्बन्धित सदस्य को दे सकेगा । संकल्प ऐसे अनुमोदन की तारीख से प्रभावी हो जायेगा।

(4) निष्कासित सदस्य द्वारा धारित शेयर सोसाइटी को समपहृत हुये समझे जायेंगे ।

(5) सोसाइटी का ऐसा कोई भी सदस्य, जिसे पूर्वगामी उपनियमों के अधीन निष्कासित कर दिया गया है, ऐसे निष्कासन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये उस सोसाइटी के सदस्य के रूप में पुनःसम्मिलित किये जाने या किसी भी अन्य सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने का पात्र नहीं होगा :

परन्तु रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा आवेदन किये जाने पर और विशेष परिस्थितियों में, ऐसे किसी भी सदस्य को उक्त सोसाइटी के या, यथास्थिति, किसी भी अन्य सोसाइटी के सदस्य के रूप में उक्त कालावधि के भीतर–भीतर पुनः सम्मिलित या सम्मिलित किये जाने की मंजूरी दे सकेगा ।

**19. सदस्यता की समाप्ति :**

कोई व्यक्ति सोसाइटी की सदस्यता से उसका त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने पर या सोसाइटी में उसके सम्पूर्ण शेयर या हित का किसी अन्य सदस्य को अन्तरण हो जाने पर या उसकी मृत्य हो जाने, उसे हटा दिये जाने या निष्कासित कर दिये जाने पर या अधिनियम और नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के भी उपगत हो जाने पर सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा;

परन्तु किसी सदस्य का त्यागपत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके विरूद्ध समस्त शोध्य उससे वसूल न कर लिये जायें ।

**20. नाम निर्देशन :**

(1) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य, ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगा, जिसे या जिन्हें उसकी मृत्यु की दशा में, सोसाइटी की पूँजी में उसका शेयर या हित अन्तरित किया जायेगा या उसका मूल्य या सोसाइटी की ओर से उसे देय कोई भी अन्य धन संदत्त किया जायेगा । ऐसा सदस्य समय समय पर ऐसे नामनिर्देशन का प्रतिसंहरण या उसमें फेरफार कर सकेगा ।

(2) किसी सदस्य द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या सदस्य द्वारा धारित शेयरों की संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(3) जब कोई सदस्य अपने द्वारा धारित किन्हीं भी शेयरों के संबंध में एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है तो वह, यावत्–साध्य, प्रत्येक नामनिर्देशिती को एक सम्पूर्ण शेयर के हिसाब से संदत्त या अन्तरित की जाने वाली रकम विनिर्दिष्ट करेगा ।

(4) किसी सदस्य द्वारा इस नियम के अधीन किया गया नामनिर्देशन तब तक विधिमान्य नहीं होगा और सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में तब तक प्रभाव नहीं रखेगा, जब तक कि –

(क) वह लिखित रूप में नहीं किया गया हो और कम से कम दो साक्षियों की उपस्थिति में सदस्य ने उस पर हस्ताक्षर न किये हों ; और

(ख) सोसाइटी की उस प्रयोजन के लिये रखी पुस्तकों में वह रजिस्ट्रीकृत न हो गया हो ।

**21. मृत सदस्य का शेयर या हित विरासत में प्राप्त करने वाले संयुक्त सदस्यों और अवयस्क और विकृतचित्त व्यक्तियों के सम्मिलित किये जाने के लिये प्रक्रिया :**

(1) कोई सोसाइटी मृत सदस्य का शेयर या हित विरासत में प्राप्त करने वाले दो या अधिक व्यक्तियों को संयुक्त सदस्यों के रूप में सम्मिलित कर सकेगी, परन्तु यह तब, जबकि वे लिखित रूप में यह घोषणा करें कि जिस व्यक्ति का नाम शेयर प्रमाण पत्र में प्रथम स्थान पर हो, उसे मतदान का अधिकार होगा और जैसा कि अधिनियम, नियमों और उपविधियों में उपबन्धित है, समस्त दायित्वों का वहन उनके द्वारा संयुक्ततः और पृथकतः किया जायेगा ।

(2) कोई सोसाइटी, किसी भी सदस्य के सम्मिलित किये जाने के लिये उपविधियों और इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, मृत सदस्य का हिस्सा या हित विरासत में प्राप्त करने वाले अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति को उनके संरक्षकों के माध्यम से अपने सदस्य के रूप में सम्मिलित कर सकेगी । इस प्रकार सम्मिलित किया गया सदस्य ऐसे संरक्षक के माध्यम से ऐसे अधिकारों और दायित्वों का उपभोग करेगा, जो सोसाइटी की उपविधियों में अधिकथित हैं और अधिनियम तथा नियमों से संगत हों ।

**22. शेयरों का मूल्यांकन :**

(1) जहॉ किसी सोसाइटी का सदस्य ऐसा सदस्य न रहे, वहॉ सोसाइटी की शेयर पूँजी में उसके शेयर या हित के मूल्य के एवज् में उसे या उसके नामनिर्देशिती, वारिस या, यथास्थिति, विधिक प्रतिनिधि को संदत्त की जाने वाली राशि सदस्यता की समाप्ति पर पूर्ववर्ती अन्तिम संपरीक्षित तुलनपत्र में यथा उपदर्शित सोसाइटी की वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर आने वाली रकम होगी :

परन्तु इस प्रकार अभिनिश्चित रकम ऐसे शेयर या हित के सम्बन्ध में सोसाइटी द्वारा प्राप्त वास्तविक रकम से अधिक नहीं होगी ।

(2) जहॉ किसी व्यक्ति को सोसाइटी द्वारा शेयर आवंटित किया जाये, वहॉ उसके लिये किये जाने के लिये अपेक्षित संदाय, सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, शेयर के अंकित मूल्य से अधिक नहीं होगा ।

(3) जब किसी सदस्य द्वारा कोई शेयर किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से सम्मिलित किये गये किसी अन्य सदस्य को अन्तरित किया जाये तो अन्तरिती से उपनियम (1) के अनुसार अवधारित शेयर के मूल्य से अधिक कुछ भी संदत्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

**23. सदस्यों का रजिस्टर :**

प्रत्येक सोसाइटी सदस्यों का रजिस्टर ऐसे प्ररूप में रखेगी, जो रजिस्ट्रार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

**24. सहकारी सोसाइटी के सदस्यों की सूची :**

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक सहकारी वर्ष के अन्तिम दिन विद्यमान अपने सदस्यों की सूची तैयार करेगी । यह सूची सोसाइटी के कार्यालय में, कार्यालय समय में सोसाइटी के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिये उपलब्ध रहेगी । सदस्यों की सूची सोसाइटी की समिति के निर्वाचन की तारीख से तीस दिन पूर्व पुनरीक्षित की जायेगी और उसमें, सूची को पिछली बार पुनरीक्षित करने की तारीख से प्रारम्भ होने और सूची के पुनरीक्षण की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान सम्मिलित किये गये सदस्य का सम्मिलित किया जायेगा और हटाये गये सदस्यों को उसमें से अपवर्जित किया जायेगा । सूची प्ररूप "क" में होगी । सदस्यों की सूची तैयार करने और उसे देने का कर्त्तव्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी का होगा ।

**25. वार्षिक साधारण बैठक के ठीक पूर्व सम्मिलित किये गये सदस्यों के मतदान अधिकार :**

कोई सदस्य वार्षिक साधारण बैठक में अपने मतदान का प्रयोग नहीं करेगा, यदि वह वार्षिक साधारण बैठक की तारीख के पूर्व तीस दिन के भीतर–भीतर सम्मिलित किया गया है ।

**26. अध्यक्ष को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा :**

मत बराबर होने की स्थिति में किसी सहकारी सोसाइटी की बैठक के अध्यक्ष को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

**27. किसी व्यतिक्रमी सदस्य की निर्योग्यताएं :**

(1) किसी सहकारी सोसाइटी का ऐसा कोई भी सदस्य, जिस पर उसके द्वारा लिये गये किसी भी उधार के सम्बन्ध में ऐसी कालावधि से, जो कि उसकी उपविधियों में विनिर्दिष्ट है या किसी भी दशा में तीन मास स अधिक की किसी कालावधि से सोसाइटी की बकाया निकल रही है, अन्य किसी भी सहकारी सोसाइटी में प्रतिनिधित्व करने और उसकी ओर से ऐसी अन्य सहकारी सोसाइटी में मतदान करने के लिये नियुक्त नहीं किया जायेगा ।

(2) जहॉ किसी सहकारी सोसाइटी के इस प्रकार नियुक्त किसी सदस्य पर उसकी नियुक्ति के पश्चात्, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि से सोसाइटी की बकाया निकलती हो, वहॉ वह उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् सोसाइटी का प्रतिनिधि नहीं रहेगा ।

## अध्याय 4
## सोसाइटियों का प्रबन्ध

**28. प्रथम साधारण बैठक :–** (1) किसी सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक मास के भीतर–भीतर, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिन्होंने सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए मिलकर आवेदन किया था और ऐसे व्यक्तियों की भी, जो उसके रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् सदस्यों के रूप में सम्मिलित किये गये थे, प्रथम साधारण बैठक आयोजित करेगा । जहां समिति या अधिकारी पूर्वोक्तानुसार बैठक आयोजित करने में विफल रहता है वहां वह रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आयोजित की जायेगी ।

(2) प्रथम साधारण बैठक में निम्नलिखित कारबार किया जायेगा :–

(i) बैठक के लिए किसी सभापति का निर्वाचन यदि धारा 27 की उप–धारा (1) के परन्तुक के अधीन गठित समिति का सभापति बैठक में उपस्थित नहीं है ;

(ii) लेखा विवरण प्राप्त करना और बैठक के 14 दिन पूर्व की किसी तारीख तक सोसाइटी द्वारा किये गये समस्त संव्यवहारों की रिपोर्ट ;

(iii) वह सीमा नियत करना जिस तक निधियां उधार ली जा सकेंगी ;

(iv) धारा 27 की उप–धारा (1) के परन्तुक के अधीन गठित प्रथम (अल्पकालीन) समिति के अनुसरण में अधिनियम और उपविधियों के अनुसार समिति का निर्वाचन करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में विनिश्चय :

परन्तु यदि सोसाइटी ऐसे प्रवर्गों में से किसी एक से सम्बन्धित है, जिनके निर्वाचन धारा 33 के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा कराये जाने हैं, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के तुरन्त पश्चात् सोसाइटी की समिति के निर्वाचन करने के लिए राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को लिखित अनुरोध भेजेगा।

(v) कोई भी अन्य विषय, जो उपविधियों में विनिर्दिष्टतः उल्लिखित किया गया है ।

**29. प्रतिनिधि साधारण निकाय का गठन :–** (1) जहां किसी सोसाइटी का आकार, फैलाव या सदस्यता का प्रकार ऐसा है कि या तो साधारण निकाय की बैठक बुलाना दुष्कर है या ऐसी बैठक में उपयोगी विचार–विमर्श होना संभव नहीं है तो सोसाइटी की उपविधियों में प्रतिनिधि साधारण निकाय के गठन का उपबन्ध किया जा सकेगा ।

(2) प्रतिनिधि साधारण निकाय में सदस्यों की संख्या 50 से कम और 300 से अधिक नहीं होगी।

(3) 500 से कम सदस्यता वाली किसी सोसाइटी में किसी प्रतिनिधि साधारण निकाय का गठन नहीं किया जायेगा ।

(4) प्रतिनिधि साधारण निकाय का गठन करने के प्रयोजन के लिए सोसाइटी की सदस्यता प्रादेशिक या अन्य किसी भी उपयुक्त आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित की जा सकेगी। ऐसी किसी सोसाइटी की उपविधियों में समिति के सदस्यों की संख्या या अनुपात विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जो समिति में प्रत्येक समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किये जा सकेंगे और उनमें यह विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा कि ऐसे प्रतिनिधि निम्नलिखित द्वारा निर्वाचित किये जा सकेंगे :–

(क) सोसाइटी के सभी सदस्यों द्वारा ; या

(ख) सोसाइटी के सदस्यों के केवल समूह विशेष द्वारा, जिससे ऐसा प्रतिनिधि संबंधित है ।

(5) प्रतिनिधि साधारण निकाय का गठन करने के प्रयोजन के लिए वार्डों या समूहों का विनिश्चय, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, सोसाइटी की समिति द्वारा किया जायेगा ।

(6) प्रतिनिधि साधारण निकाय के निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को सूचना के अधीन उपविधियों में विहित रीति से संचालित किये जायेंगे :

परन्तु धारा 33 में विनिर्दिष्ट सोसाइटियों में, जिनके लिए राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी समिति के निर्वाचनों का संचालन करता है, प्राधिकारी प्रतिनिधि साधारण निकाय के निर्वाचन के लिए कोई प्रेक्षक नियुक्त कर सकेगा और ऐसे अन्य निदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

(7) प्रतिनिधि साधारण निकाय के निर्वाचन समिति के प्रत्येक निर्वाचन के पूर्व संचालित किये जायेंगे और इस प्रकार गठित प्रतिनिधि साधारण निकाय आगामी प्रतिनिधि साधारण निकाय के लिए निर्वाचन हो जाने तक कार्य करेगा ।

**30. साधारण बैठक :**

(1) प्रत्येक सोसाइटी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन वर्ष के अपने लेखे तैयार करने के लिये नियत तारीख के पश्चात् आगामी तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर अपने सदस्यों की साधारण बैठक बुलायेगी ।

(2) सोसाइटी की समस्त साधारण बैठकें मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसी बैठकें आयोजित करने के लिये उपविधियों द्वारा और उनके अधीन प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा, रजिस्ट्रार को सूचना देते हुये, आयोजित की जायेगी जो ऐसी बेठक में स्वयं हो सकेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति को उक्त बैठकों में उपस्थित होने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा। सोसाइटी का अध्यक्ष या उसकी

अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य बैठक का सभापतित्व करेगा ।

(3) यदि उपविधियों में अन्यथा उपबन्धित न हो तो प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से सात पूर्ण दिन पूर्व बैठक का नोटिस, उसमें किये जाने वाले कारबार के विवरण सहित, बैठक का स्थान, तारीख और समय बताते हुए, उपविधियों में उपबन्धित रीति से भेजा जायेगा ।

(4) (i) यदि उपविधियों में अन्यथा उपबन्धित न हो तो साधारण बैठक के लिये गणपूर्ति साधारण बैठक के नोटिस की तारीख को सदस्य के रूप में विद्यमान सदस्यों की कुल संख्या के पांचवे भाग से होगी ।

(ii) यदि गणपूर्ति के लिये अपेक्षित संख्या में सदस्य उपस्थित न हों तो कोई भी साधारण बैठक न तो की जायेगी न ही उसकी कार्यवाही चलायी जायेगी ।

(iii) यदि गणपूर्ति के अभाव में साधारण बैठक नहीं की जा सकती हो, तो उसे उसी दिन के, जो बैठक बुलाने के नोटिस में विनिर्दिष्ट किया गया हो, किसी पश्चात्वर्ती समय के लिये या किसी पश्चत्वर्ती तारीख के, जो सात दिन के पूर्व और पन्द्रह दिन के पश्चात् की न हो, स्थगित किया जायेगा और ऐसी स्थगित बैठक में मूल बैठक की कार्यसूची का कारबार किया जायेगा, चाहे गणपूर्ति हो या नहीं :

परन्तु यदि बैठक हके लिये नियत समय के एक घण्टे के भीतर–भीतर गणपूर्ति नहीं होती है, तो धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की अध्यपेक्षा पर बुलायी गयी बैठक की दशा में बैठक स्थगित नहीं की जायेगी, बल्कि विघटित की जायेगी ।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या बैठक बुलाने वाला कोई भी अन्य अधिकारी बेठक आयोजित करने के नोटिस और बैठक की कार्यसूची को पढ़कर सुनायेगा और तब यदि उपस्थित सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से क्रम को परिवर्तित करने के लिये सहमत नहीं हो जायें, तो विषयों को उसी क्रम से विचारार्थ लिया जायेगा, जिसमें वे कार्यसूची में उल्लिखित किये गये हैं । यदि अधिनियम, इन नियमों और उपविधियों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो तो, संकल्प उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित किये जायेंगें ।

(6) जब सदस्य किसी संकल्प पर विभाजित हों तो कोई भी सदस्य मतदान की मांग कर सकेगा। जब मतदान की मांग की जाये, तो अध्यक्ष संकल्प को मतदान के लिये प्रस्तुत करेगा ।

(7) यदि उपविधियों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो तो मतदान बैठक में उपस्थित सदस्यों के विनिश्चयानुसार हाथ उठाकर या मतपत्र द्वारा किया जा सकेगा ।

(8) जब मतदान मतपत्र द्वारा किया जाना हो तो अध्यक्ष मतपत्र जारी करने और मतों की गणना के लिये आवश्यक कदम उठायेगा ।

(9) मतदान के परिणाम की घोषणा अध्यक्ष द्वारा की जायेगी ।

(10) यदि कार्यसूची में का सम्पूर्ण कारबार उस तारीख को नहीं किया जा सकता हो, जिसको कि साधारण बैठक की जाती है, तो बैठक को अन्य किसी भी ऐसी उपयुक्त तारीख के लिये स्थगित किया जा सकेगा, जो कि बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विनिश्चित की जाये तथा जो बैठक की तारीख से सात दिन पश्चात् की न हो ।

(11) कार्यसूची का/के शेष विषय स्थगित बैठक में विचारार्थ लिया जायेगा/लिये जायेंगें ।

(12) सोसाइटी के किसी सदस्य को निष्कासित करने, समित के किसी सदस्य को हटाने या उपविधियों के संशोधन के संबंध में कोई संकल्प किसी भी साधारण बैठक में तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जब तक कि अधिनियम, इन नियमों और सोसाइटी की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार उसका सम्यक् नोटिस न दे दिया गया हो ।

(13) (i) प्रत्येक सोसाइटी साधारण बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिये रखी गयी पुस्तक में करायेगी ।

(ii) यदि बैठक समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त ही कार्यवृत्त तैयार न किया जाये और अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित न किया जाये तो बैठक समाप्त होने के 72 घण्टे के भीतर–भीतर बिना किसी परिवर्तन या शुद्धियों के कार्यवृत्त तैयार किया जायेगा और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगें । इस प्रकार हस्ताक्षरित कार्यवृत्त उस बैठक की कार्यवाहियों का साक्ष्य होगा।

(iii) जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, तब तक किसी सोसाइटी की प्रत्येक साधारण बैठक, जिसकी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कार्यावृत्त इस प्रकार अभिलिखित कर लिये गये हैं, सम्यक् रूप से बुलायी गयी और की गयी समझी जायेगी ।

(14) अव्यवस्था की दशा में अध्यक्ष बैठक को निलम्बित कर सकेगा, और उसे ऐसी तारीख या समय तक के लिये, जिसे वह उपनियम (4) के खण्ड (पपप) में उपबन्धितानुसार नियत करें, स्थगित कर सकेगा ।

**31. वार्षिक और विशेष साधारण बैठक बुलाने की शक्ति :**

किसी साधारण बैठक के आहूत किये जाने की रीति और उक्त प्रयोजन के लिये दिये जाने वाले नोटिस की कालावधि के सम्बन्ध में इन नियमों या किसी सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, रजिस्ट्रार या उसको द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अन्य व्यक्ति वार्षिक साधारण बैठक या, यथास्थिति, विशेष साधारण बैइक यदि सोसाइटी की वार्षिक साधारण बैठक धारा 25 के उपबन्धों के अनुसार नहीं बुलायी जाती है, या यदि किसी सोसाइटी की समिति या इस निमित्त प्राधिकारी कोई अधिकारी धारा 26 के उपबन्धों के अनुसार कोई विशेष साधारण बैठक बुलाने में विफल रहता है, तो ऐसी रीति से तथा ऐसी तारीख को और ऐसे समय तथा स्थान पर बुला सकेगा, जैसा वह निर्देश दे, तथा यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि बैठक में किन–किन विषयों पर विचार–विमश किया जायेगा । रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकारी व्यक्ति को सोसाइटी की उपविधियेां के अधीन ऐसी वार्षिक या विशेष साधारण बैठक आयोजित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उसके समस्त कृत्यों का सम्पादन कर सकेगा और वह उक्त बैठक का सभापतित्व करेगा और बैठक के अध्यक्ष की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जिसमें उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख तक बैठक को स्थगित करने की शक्ति सम्मिलित है, किन्तु यदि वह सोसाइटी का सदस्य नहीं है, तो वह मत नहीं दे सकेगा । मत समान होने की दशा में प्रश्न का विनिश्चय लाटरी निकाल कर किया जायेगा ।

**32. समिति की नियुक्ति :**

(1) किसी सोसाइटी की समिति का गठन अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उपविधियों में उपबन्धित रीति से किया जायेगा ।

(2) समिति की बैठक की गणपूर्ति उपविधियों में यथाविनिर्दिष्ट होगी, किन्तु किसी भी स्थिति में 6 से कम नहीं होगी ।

(3) रजिस्ट्रार या अन्य कोई भी प्राधिकारी जो वित्तीय बैंक से भिन्न किसी सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिये सक्षम हो, धारा 29 के अधीन सरकार की ओर से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करने के लिये विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा ।

**33. प्रतिनिधित्व के लिये निरर्हता :**

(1) कोई भी सोसाइटी ऐसे किसी भी सदस्य को, जो नियम 34 में अधिकथित निरर्हताओं में से किसी से भी ग्रस्त है, अन्य किसी भी सोसाइटी में या अन्य किसी भी सोसाइटी की समिति में सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने के लिये अपने प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित नहीं करेगी ।

(2) किसी सोसाइटी का कोई प्रतिनिधि, जो अन्य सोसाइटी की समिति में कार्य करता है या अन्य सोसाइटी में उसका प्रतिनिधित्व करता है, इस रूप में अपना पद धारण करना तब बन्द कर देगा, –

(क) यदि वह नियम 34 में अधिकथित निरर्हताओं में से किसी से भी ग्रस्त है ;

(ख) यदि वह उस सोसाइटी का सदस्य नहीं रहता है, जिससे वह प्रतिनिधि है ; या

(ग) यदि सोसाइटी, जिसने उसे प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किया है, उसे वापस बुला लेती है या उसके स्थान पर अन्य प्रतिनिधि निर्वाचित कर देती है ; या

(घ) यदि किसी सोसाइटी की उस समिति को, जिसने उसे निर्वाचित किया है, धारा 30 के अधीन हटा दिया गया है, उस दशा में उक्त धारा के अधीन नियुक्त व्यक्ति को इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के लिये स्वयं को नामनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्राप्त होगी ; या

(ड.) यदि उसे धारा 30 के अधीन समिति को हटाये जाने के पश्चात् किसी सोसाइटीी के मामलों का प्रबन्ध करने के लिये नियुक्त किया गया था और हटाये जाने का आदेश अपास्त कर दिया जाये और हटायी गयी समिति को उपनियम के उपबन्धों के अधीन किसी सक्षम अपील प्राधिकारी द्वारा पुनः स्थापित कर दिया जाये ;

(च) यदि उस सोसाइटी का, जिसका वह प्रतिनिधि है, रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाये या सोसाइटी के समापन आदेश जारी कर दिये गये हों ।

**34. समिति की सदस्यता के लिये निरर्हतायें :**

(1) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नियुक्त किये जाने का पात्र नहीं होगा, यदि वह अधिनियम में वर्णित निरर्हताओं में से किसी से भी ग्रस्त है, या यदि :—

(क) वह रजिस्ट्रार की राय में उधार को सहकारी विपणन या सहकारी प्रसंस्करण से सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में लगातार और जानबूझकर सहकारी अनुशासन को भंग कर रहा है, या

(ख) वह, सोसाइटी में किये गये किसी भी विनिधान या उससे लिये गये किसी भी उधार को छोड़कर सोसाइटी के साथ किये गये किसी भी अस्तित्वयुक्त संविदा में या सोसाइटी द्वारा विक्रीत या क्रीत किसी भी सम्पत्ति में या सोसाइटी के किसी भी अन्य संव्यवहार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखता है ; या

(ग) वह केन्द्रीय या राज्य सरकार का कर्मचारी है ; या

(घ) वह किसी स्थानीय प्राधिकारी, बोर्ड, निगम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य निकाय का वैतनिक कर्मचारी है ; या

(ड.) कोई सोसाइटी केवल वैतनिक कर्मचारियों से ही मिलकर न बनी हो तो वह उसका वैतनिक कर्मचारी है ;

(च) वह विकृतचित्त वाला है या हो जाता है ;

(छ) वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है ;

(ज) वह राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है ;

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी केवल सरकारी कर्मचारियों से मिलकर बनी किसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में या धारा 29 के अधीन सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी भी प्राधिकारी के नामनिर्देशिती के रूप में या उपविधियों द्वारा दिये गये प्राधिकार के अधीन सरकार या रजिस्ट्रार के नामनिर्देशिती के रूप में या ऐसी किसी सोसाइटी के, जिसके समस्त सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किये जाने का पात्र होगा ।

(2) किसी सोसाइटी का ऐसा कोई सदस्य जो उसी प्रकार का कारबार करता है, जो उसकी सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, रजिस्ट्रार की साधारण या विशेष मंजूरी के बिना सोसाइटी की समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा । जहॉ कोई व्यक्ति, जो रजिस्ट्रार की साधारण या विशेष मंजूरी के बिना समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं है, रजिस्ट्रार की मंजूरी के बिना उक्त समिति के सदस्य

के रूप में निर्वाचित कर लिया जाता है, वहॉ वह समिति को रजिस्ट्रार से इस आशय की कोई लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

(3) किसी सोसाइटी की समिति का कोई सदस्य ऐसा सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह उपनियम (1) या (2) में उल्लिखित किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त हो जाता है, या अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त हो जाता है या सोसाइटी का सदस्य न रहे) (जब तक कि वह समिति का सरकार द्वारा नामनिर्देशित सदस्य न हो)

**35. प्रशासक को संदेय पारिश्रमिक :**

(1) धारा 30 के अधीन नियुक्त किसी प्रशासक को संदेय पारिश्रमिक वह होगा, जो रजिस्ट्रार समय समय पर अवधारित करे ।

(2) ऐसे पारिश्रमिक की रकम और सहकारी सोसाइटी के प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रशासक द्वारा उपगत अन्य खर्चे, यदि कोई हों, सोसाइटी की निधियों में से संदेय होंगे ।

**36. समिति या उसके सदस्यों को हटाये जाने के लिए प्रक्रिया .–** (1) किसी सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी किन्तु धारा 30 की उप–धारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी सोसाइटी की किसी समिति या समिति के किसी भी सदस्य को हटाये जाने का प्रस्ताव कर सकेगा ।

(2) उप–नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का प्रस्ताव प्राप्त होने पर धारा 30 की उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे प्रस्तावों पर कोई आदेश करने के पूर्व समिति या सम्बन्धित सदस्य को नोटिस जारी किये जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर–भीतर यह कारण बताने का अवसर प्रदान करेगा कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं कर लिया जाये।

(3) जहां धारा 30 की उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उप–नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो वह लिखित आदेश द्वारा –

(क) समिति को हटायेगा और सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए किसी प्रशासक को, जो सरकारी कर्मचारी होगा, नियुक्त करेगा; या

(ख) किसी सोसाइटी की समिति के किसी भी सदस्य को हटायेगा और पदावरोही सदस्य की शेष पदावधि के लिए रिक्ति की पूर्ति उपविधियों के अनुसार करेगा ।

(4) उपर्युक्त उप–नियम (1) से (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, रजिस्ट्रार धारा 30 की उप–धारा (2–ख) के अधीन सरकार से इस आशय के निदेश प्राप्त होने पर तुरन्त कोई प्रशासक नियुक्त करेगा ।

(5) धारा 30 के अधीन प्रशासक की नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् वह समिति, जिसके स्थान पर ऐसी नियुक्ति की गयी है और सोसाइटी के अधिकारी प्रशासक को सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागज–पत्रों, प्रत्याभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों का प्रभार सौंप देंगे ।

(6) किसी सोसाइटी का अध्यक्ष या कोई भी अधिकारी, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से आयोजित साधारण बैठक में पारित किसी संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ।

(7) समिति या उसके किसी सदस्य को हटाये जाने के तुरन्त पश्चात् मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति के निर्वाचनों को संचालित करने या, यथास्थिति, सदस्यों की रिक्ति को भरने के लिए अधिनियम, इन नियमों और उपविधियों के अनुसार आवश्यक कदम उठायेगा ।

**37. समिति की बैठक का नोटिस :**

किसी सोसाइटी की समिति का किसी बैठक का नोटिस, बैठक का स्थान, तारीख और समय साथ ही बैठक में किये जाने वाले कारबार की कार्यसूची विनिर्दिष्ट करते हुये, समिति के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व या उससे कम की ऐसी कालावधि में, जो उपविधियों में उपबन्धित की जाये, लिखित रूप में या अन्य ऐसी रीति से, जो उपविधियों में विहित की जाये, दिया जायेगाः

परन्तु कोई भी अति आवश्यक कारबार, जिसे नोटिस के साथ भेजी गयी कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों की सहमति से किया जा सकेगा और उस पर विचार किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि अति आवश्यक स्वरूप के मामले में बैठक कम दिन के नोटिस पर भी बुलायी जा सकेगी और जहॉ परिस्थितिवश ऐसा आवश्यक हो, किसी अति आवश्यक स्वरूप के मामले पर, समिति के सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा भी विचार किया जा सकेगा, किन्तु ऐसा कोई भी प्रस्ताव समिति के समस्त सदस्यों के सर्वसम्मत संकल्प के सिवाय अंगीकृत नहीं किया जायेगा ।

**38. सोसाइटी की पुस्तकों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी, अन्य सम्पत्तियों आदि को कब्जे में लेने के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :**

(1) जहॉ किसी सोसाइटी की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागज–पत्रों, प्रतिभूतियों, नकदी या अन्य सम्पत्तियों को कब्जे में लेना आवश्यक समझा जाये और जहॉ उक्त कब्जा लेने का प्रतिरोध किया जाये या उसमें बाधा डाली जाये तो वहॉ मुख्य कार्यपालक अधिकारी या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, समापक, प्रशासक या उसका हकदार अन्य कोई भी व्यक्ति धारा 31 में उपबन्धित रीति से सोसाइटी की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागज–पत्रों, प्रतिभूतियों या नकदी या, यथास्थिति, अन्य सम्पत्तियों का अभिगृहित करने के आदेश प्राप्त करेगा या करवायेगा ।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा किसी सोसाइटी के समापक के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति या धारा 54 के अधीन किसी सोसाइटी की लेखाओं की परीक्षा के लिये रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति या धारा 55 के अधीन किसी सोसाइटी के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिये रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति या धारा 56 के अधीन वित्तीय बैंक द्वारा पुस्तकों के निरीक्षण के लिये प्राधिकृत कोई व्यक्ति उन मामलों में, जिनमें निधियों का दुर्विनियोजन, न्यास भंग या कपट किया गया है या जहॉ यह संदेह या आशंका है कि किसी सोसाइटी की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागज–पत्रों, प्रतिभूतियों, नकदी या अन्य सम्पत्तियों के बिगाड़ दिये जाने, नष्ट कर दिये जाने या हटाये जाने की संभावना है और जहॉ उक्त पुस्तकों, लेखाओं, कागज–पत्रों, प्रतिभूतियों, नकदी या अन्य सम्पत्तियों को कब्जे में ले लेना आवश्यक समझा जाये वहॉ रजिस्ट्रार की पूर्व अनुज्ञा से ऐसा कब्जा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिये धारा 31 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

**39. सहकारी सोसाइटी के अधिकारी और कर्मचारी :**

(1) सोसाइटी की उपविधियों में किसी बात के होने पर भी, कोई भी सहकारी सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को किसी भी सेवा प्रवर्ग में अपने वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं करेगी, जब तक कि वह अर्हतायें न रखता हों और प्रतिभूति न दे दे, यदि सोसाइटी में सेवा के उक्त प्रवर्ग के लिये या सोसाइटी के उस वर्ग के लिये, जिसका वह, रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर वह विनिर्दिष्ट की गयी हो । अनुशासन और नियंत्रण को सम्मिलित करते हुये, सोसाइटियों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

(2) कोई भी सहकारी सोसाइटी किसी भी वैतनिक अध्किारी या कर्मचारी को सेवा में नहीं रखेगी, यदि वह ऐसे समय के भीतर–भीतर जैसा रजिस्ट्रार निदेश दे, उपनियम (1) में निर्दिष्ट अर्हतायें प्राप्त नहीं कर लेता या प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं कर देता है ।

(3) रजिस्ट्रार, विशेष कारणों से किसी भी वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी के सम्बन्ध में उन अर्हताओं के, जो उसमें होनी चाहियें या उस प्रतिभूति के जो उसके द्वारा दी जानी चाहिये, सम्बन्ध में इस नियम के उपबन्धों को शिथिल कर सकेगा ।

(4) जहॉ रजिस्ट्रार के ध्यान में यह बात लायी जाये कि किसी सोसाइटी के किसी वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी ने सोसाइटी के सम्बन्ध में दुर्विनियोजन, न्यास भंग या अन्य अपराध किया है या वह उनके लिये अन्यथा उत्तरदायी रहा है, वहॉ रजिस्ट्रार, यदि यउसकी राय में उक्त वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य है और सोसाइटी के हित में उक्त वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी का निलम्बन आवश्यक है तो सोसाइटी की समिति को, मामले का अन्वेषण और

निपटारा होने तक के लिये उक्त वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी को, ऐसी तारीख से और ऐसी कालावधि के लिये, जो वह विनिर्दिष्ट करे, निलम्बित करने या करवाने का निदेश दे सकेगा ।

(5) उपनियम (4) के अधीन रजिस्ट्रार से निदेश प्राप्त होने पर सोसाइटी की समिति उपविधियों में कोई प्रतिकूल उपबन्ध होने पर भी वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी को तुरन्त निलम्बित कर देगी या करवा देगी ।

(6) रजिस्ट्रार समिति को निलम्बन की कालावधि समय समय पर बढ़ाने के निदेश दे सकेगा और निलम्बित वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी को रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जायेगा, जिसका इस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(7) यदि समिति उपनियम (4) के अधीन जारी किये गये निदेश का पालन करने में विफल रहती है तो रजिस्ट्रार उक्त वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी को ऐसी तारीख और ऐसी कालावधि के लिये, जा वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, निलम्बित करने का आदेश दे सकेगा और तब वैतनिक अधिकारी या, यथास्थिति, कर्मचारी निलम्बित हो जायेगा ।

(8) उपनियम (4) या, यथास्थिति, (7) के अधीन कर्मचारी को निलम्बनाधीन रखने के तुरन्त पश्चात्, सोसाइटी निलम्बित कर्मचारी के विरूद्ध कर्मचारी पर लागू विद्यमान सेवा/ अनुशासनिक नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करेगा ।

**40. संविदा आदि में हित रखने का प्रतिषेध :**

(1) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के कुटुम्ब का कोई सदस्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उक्त अधिकारी से भिन्न हैसियत में :–

(क) सोसाइटी के साथ की गयी किसी भी संविदा में ; या

(ख) सोसाइटी द्वारा विक्रीत या क्रीत किसी भी सम्पत्ति में ; या

(ग) किये गये विनिधान को या सोसाइटी से लिये गये उधार को या सोसाइटी द्वारा अपने किसी वैतनिक कर्मचारी के लिये निवास स्थान की व्यवस्था को छोड़कर सोसाइटी के किसी भी अन्य संव्यवहार में ; कोई हित नहीं रखेगा ।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के कुटुम्ब का कोई सदस्य सोसाइटी के किसी सदस्य की किसी भी सम्पत्ति का, जो सोसाइटी के प्रति उसकी देयताओं की वसूली के लिये बेची गयी हों, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः क्रय नहीं करेगा ।

**41. तुलनपत्र आदि सहित लेखाओं के वार्षिक विवरण :**

(1) प्रत्येक सोसाइटी की समिति, प्रत्येक सहकारी वर्ष की समाप्ति के 45 दिन के भीतर–भीतर या किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग के मामले में, बढ़ायी गयी ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर, जो रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, निम्नलिखित को दर्शित करते हुए लेखाओं के वार्षिक विवरण तैयार करेगी :–

(i) पिछले सहकारी वर्ष के दौरान प्राप्तियां और संवितरण

(ii) वर्ष का लाभ और हानि लेखा,

(iii) वर्ष की समाप्ति पर रहा तुलनपत्र और

(iv) ऐसे अन्य लेखे जो सोसाइटी के उस वर्ग के लिये, जिससे वह सोसाइटी संबंधित है, रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट करे ।

(2) लेखाओं के विवरण सोसाइटी के कार्यालय में कार्यालय समय में किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिये उपलब्ध रहेंगें और तैयार होने की तारीख से 15 दिन के भीतर–भीतर उसकी प्रति उस सोसाइटी को लेखा परीक्षा के लिये रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक को प्रस्तुत की जायेगी ।

**42. तुलनपत्र और लाभ हानि लेखे का प्ररूप :**

(1) समिति द्वारा सोसाइटी की वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले तुलनपत्र और लाभ हानि लेखा सामान्यतः प्ररूप "ख" में होगा :

परन्तु रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग का ऐसा अन्य प्ररूप, जो वह उचित समझे, अपनाने की अनुज्ञा देने के लिये सक्षम होगा :

परन्तु यह और कि ऐसी सोसाइटी की, जो लाभ के लिये कारबार नहीं कर रही है, वार्षिक साधारण बैठक में उसके समक्ष लाभ और हानि लेखे के स्थान पर आय और व्यय लेखा रखा जायेगा, और इस अधिनियम में "लाभ और हानि लेखा" और "लाभ" या "हानि" के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन ऐसी सोसाइटी के सम्बन्ध में क्रमशः "व्यय पर आय का आधिक्य" और "आय पर व्यय का आधिक्य" के प्रति निर्देश के रूप में किया जायेगा ।

(2) सोसाइटीके समक्ष साधारण बैठकों में रखे गये प्रत्येक तुलनपत्र के साथ उसकी समिति द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में रिपोर्ट रखी जायेगी :–

(क) सोसाइटी के कार्यकलाप की स्थिति ;

(ख) रकमें, यदि कोई हों, जिनका वह या तो ऐसे तुलनपत्र में या विनिर्दिष्ट तुलनपत्र में किसी आरक्षिती में जमा करने का प्रस्ताव करती है ;

(ग) रकमें, यदि कोई हों, जिनको वह अवैतनिक कार्यकर्त्ताओं को लाभांश, बोनस या मानदेय के रूप में संदत्त करने की सिफारिश करती है ; और

(घ) व्यतिक्रमी की सूची और उनमें से प्रत्येक के विरूद्ध बकाया रकमें ।

समिति की रिपोर्ट में सोसाइटी के कारबार के स्वरूप में हुये ऐसे किन्हीं भी परिवर्तनों पर चर्चा होगी, जो उस वर्ष के दौरान, जिसके लेखे तैयार किये जाते हैं, घटित हुये हों । समिति की रिपोर्ट अध्यक्ष या समिति की ओर से हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी ।

(3) प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा, धारा 54 के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया लेखा परीक्षा ज्ञापन और पूर्व वर्षों की रिपोर्टों की अनुपालन रिपोर्ट और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करने के लिये रखा जायेगा और ऐसा अन्य कारबार संव्यवहृत किया जायेगा जो उपविधियों में अधिकथित किया जाये और जिसका सम्यक् नोटिस दिया गया है ।

(4) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले तुलनपत्र और लाभ और हानि कलिखे की प्रति और उक्त उपनियम (2) के अधीन समिति की रिपोर्ट की प्रति वार्षिक साधारण बैठक के लिये नियत तारीख से कम से कम चौदह दिन पूर्व सोसाइटी के सूचना–पट्ट पर चिपकायी जायेगी ।

## अध्याय 5
## निर्वाचन

**43. व्यतिक्रमी सदस्य पर निर्वाचन में मत देने पर निर्बन्धन .–** कोई भी सदस्य निर्वाचनों में मत देने का पात्र नहीं होगा यदि ऐसे निर्वाचन की तारीख से तीस दिन पूर्व की तारीख को वह ऐसा व्यतिक्रमी है जिसके विरुद्ध धारा 99 के अधीन डिक्री जारी की गयी है ।

**44. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी .–** (1) सरकार राजस्थान राज्य सहकारिता सेवा के अपर रजिस्ट्रार से अनिम्न रैंक के किसी सरकारी अधिकारी को निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी :–

(i) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान अध्यक्ष

(ii) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सदस्य

(iii) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान सदस्य सचिव ।

(2) राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की सेवा की सामान्य शर्तें उसके मूल विभाग में उस पर लागू सम्बन्धित सेवा नियमों द्वारा विनियमित होंगी ।

(3) प्राधिकारी की नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि और अन्य निबन्धन ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट समिति की सिफारिश पर नियत किये जायें ।

(4) सरकार उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट समिति की सिफारिश पर प्राधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की संख्या अवधारित करेगी ।

**45. प्राधिकारी द्वारा समिति के सदस्यों का निर्वाचन .–** (1) प्राधिकारी धारा 33 में विनिर्दिष्ट सोसाइटियों के वर्ग की प्रत्येक सोसाइटी, जिसमें प्राधिकारी से निर्वाचन संचालित करने की अपेक्षा की गयी है, की समिति के सदस्यों के निर्वाचन के संचालन के लिए किसी निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगा । अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए निर्वाचन इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति से और सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार संचालित किये जायेंगे :

परन्तु सम्बन्धित सोसाइटी का कोई भी सदस्य या कर्मचारी निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा ।

(2) समिति का निर्वाचन साधारण निकाय के सदस्यों में से और साधारण निकाय के सदस्यों द्वारा किया जायेगा :

परन्तु जहां सोसाइटी की उपविधियों में किसी प्रतिनिधि साधारण निकाय के गठन का उपबन्ध हो वहां समिति के निर्वाचन ऐसे प्रतिनिधि साधारण निकाय के सदस्यों में से और प्रतिनिधि साधारण निकाय के सदस्यों द्वारा किये जायेंगे ।

(3) (i) किसी सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपने पत्र में निम्नलिखित ब्यौरा विनिर्दिष्ट करते हुए समिति के सदस्य (सदस्यों) के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए प्राधिकारी को अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार लिखित अनुरोध भेजेगाः–

(क) वह तारीख जिसको अन्तिम निर्वाचन हुए थे ;

(ख) वह तारीख जिसको विद्यमान समिति या, यथास्थिति, उसके सदस्यों की अवधि समाप्त हो रही है ;

(ग) धारा 30 के अधीन प्रशासक की नियुक्ति की तारीख, यदि कोई हो ;

(घ) नव–रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की दशा में, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख ;

(ड.) निर्वाचन के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या ;

(च) क्या उपविधियां समिति के निर्वाचनों के पूर्व प्रतिनिधि साधारण निकाय के गठन या वार्डों के सृजन का उपबन्ध करती हैं और इस सम्बन्ध में की गयी कार्रवाई, यदि कोई हो ;

(छ) अन्य सूचना जो निर्वाचनों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हो ।

(ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पत्र के साथ उपविधियों का एक पूर्ण अद्यतन कुलक संलग्न करते हुए उपविधियों के ऐसे खण्डों को भी उद्धृत करेगा जो निर्वाचनों के संचालन के लिए सुसंगत हैं ।

(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी को ऐसी समस्त सूचनाएं, सहायता और प्रसुविधाएं प्रदान करेगा जिनकी उसके द्वारा अधिनियम, इन नियमों के उपबन्धों और अधिनियम की धारा 37 के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन अपेक्षा की जाये ।

(iv) यह सुनिश्चित करना विद्यमान समिति का कर्तव्य होगा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को समस्त सूचनाएं, सहायता और प्रसुविधाएं समय पर और उचित रूप से प्रदान करता है ।

(4) (i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी को, ऐसे सदस्यों की, जो निर्वाचन में मत देने के लिए अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार अर्हित हैं, सूची जैसी वह मतदान के लिए नियत तारीख से तीस दिन पूर्व थी, उपलब्ध करवायेगा ।

(ii) निर्वाचन अधिकारी ऐसी सूची, उसे सोसाइटी के प्रधान कार्यालय के सूचना–पट्ट पर और उसकी सभी शाखाओं में चिपकवा कर एक सप्ताह के भीतर–भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु

प्रकाशित करेगा । सूची में पात्र सदस्यों की प्रवेश संख्या और नाम और व्यष्टिक सदस्य के मामले में पिता या, यथास्थिति, पति का नाम और ऐसे सदस्यों का पता विनिर्दिष्ट होगा ।

(iii) निर्वाचन अधिकारी उपर्युक्त विनिदिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों को अन्तिम रूप देगा और मतदान के लिए नियत तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व उसे उपरोक्तानुसार प्रकाशित करेगा । निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावलियों की प्रति किसी भी सदस्य को पांच रुपये प्रति पृष्ठ के संदाय पर उपलब्ध करवायी जा सकेगी ।

(5) (i) निर्वाचन के लिए बैठक का नोटिस निर्वाचन अधिकारी द्वारा सदस्यों को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक रीतियों से दिया जायेगा, अर्थात् :–

(क) स्थानीय डिलीवरी द्वारा ;

(ख) डाक प्रमाण–पत्र के अधीन डाक द्वारा ;

(ग) सदस्यों में परिचालित करके ;

(घ) डोंडी पिटवाकर विज्ञापित करके ;

(ड.) प्रेस के माध्यम से प्रकाशन द्वारा ।

(ii) निर्वाचन के लिए बैठक का नोटिस सोसाइटी के सूचना–पट्ट पर और ऐसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाया जायेगा जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिश्चित किये जायें ।

(iii) नोटिस में निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचना अन्तर्विष्ट होगी :–

(क) निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या ;

(ख) उपविधियों में विनिर्दिष्ट वह कोई भी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र जिससे सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है ;

(ग) वह अर्हता, यदि कोई हो, जो समिति की सदस्यता के लिए पात्रता हेतु उपविधियों में विहित है ;

(घ) वह तारीख जिसको, वह स्थान जहां और वह समय जिसके बीच, सदस्यों द्वारा नामनिर्देशन–पत्र भरे जायेंगे, ऐसी तारीख निर्वाचन के लिए नियत तारीख से कम से कम तीन पूर्ण दिन पूर्व की हो, और वह दिन कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन नहीं हो ;

स्पष्टीकरण : इस खण्ड में "सार्वजनिक अवकाश दिन" से ऐसा कोई भी दिन, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का केन्द्रीय अधिनियम 26) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए कोई सार्वजनिक अवकाश दिन हो, या ऐसा कोई भी दिन अभिप्रेत है जिसे सरकार द्वारा राज्य में के सरकारी कार्यालयों के लिए अवकाश दिन के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(ड.) वह तारीख जिसको, वह स्थान जहां और वह समय जब नामनिर्देशन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी ;

(च) वह तारीख जिसको, वह स्थान जहां, और वह समय जिसके बीच, किसी अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी, और

(छ) वह तारीख जिसको, वह स्थान जहां, और वह समय जिसके बीच, मतदान होगा।

(6) (i) निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन प्ररूप "ग" में होगा । प्ररूप का प्रदाय आवेदन किये जाने पर, किसी सदस्य को दस रुपये का संदाय करने पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(ii) प्रत्येक नामनिर्देशन–पत्र पर ऐसे दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे जिनके नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हैं । नामनिर्देशन के लिए उनमें से एक सदस्य तो प्ररूप पर प्रस्थापक के रूप में हस्ताक्षर करेगा और दूसरा समर्थक के रूप में । नामनिर्देशन–पत्र में निर्वाचन के लिए प्रस्थापित अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की एक घोषणा भी अन्तर्विष्ट होगी कि वह निर्वाचन लड़ने का इच्छुक है ।

(iii) नीचे वर्णित प्रतिभूति रकम के साथ प्रत्येक नामनिर्देशन–पत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्थापक या समर्थक द्वारा, उप–नियम (5) में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख और समय के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जायेगा :–

(1) प्राथमिक सोसाइटी 100/– रुपये
(2) विपणन सोसाइटी 250/– रुपये
(3) थोक विक्रय भण्डार 250/– रुपये
(4) प्राथमिक भूमि विकास बैंक 500/– रुपये
(5) अन्य केन्द्रीय सोसाइटी 500/– रुपये
(6) केन्द्रीय सहकारी बैंक 500/– रुपये
(7) शीर्ष सोसाइटी 1000/– रुपये ।

(iv) (क) निर्वाचन अधिकारी नामनिर्देशन–पत्र पर उसकी क्रम संख्या की प्रविष्टि करेगा और वह तारीख और वह समय प्रमाणित करेगा जब नामनिर्देशन– पत्र उसे प्राप्त हुआ है और नामनिर्देशन–पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति भी तुरन्त कर देगा ।

(ख) उप–नियम (5) के खण्ड (पपप) के उपखण्ड (घ) के अधीन नियत तारीख और समय के पश्चात् प्राप्त नामनिर्देशन–पत्रों को नामंजूर कर दिया जायेगा ।

(7) (i) (क) निर्वाचन अधिकारी नामनिर्देशन–पत्रों की संवीक्षा का कार्य उप–नियम (5) के खण्ड (पपप) के अधीन नियत समय पर हाथ में लेगा । निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, उनके प्रस्थापक या समर्थक संवीक्षा के समय स्वयं उपस्थित रह सकते हैं ।

(ख) निर्वाचन अधिकारी नामनिर्देशन–पत्रों की परीक्षा करेगा और उन सभी आक्षेपों को विनिश्चित करेगा जो संवीक्षा के समय किये जायें और या तो ऐसे आक्षेप पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी संक्षिप्त जांच, यदि कोई हो, के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, विधिमान्य कारणों से, किसी भी नामनिर्देशन को नामंजूर कर सकेगा :

परन्तु यदि अभ्यर्थी, प्रस्थापक या, यथास्थिति, समर्थक की पहचान युक्तियुक्त संदेह से परे हो जाती है तो ऐसे किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन निर्वाचक नामावली में यथा–प्रविष्ट, उसके नाम के या उसके प्रस्थापक या समर्थक के नाम के, या अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक या समर्थक से सम्बन्धित किन्हीं भी अन्य विशिष्टियों के मात्र गलत विवरण के ही आधार पर नामंजूर नहीं किया जायेगा ।

(ii) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जिसका उस सोसाइटी का सदस्य होना आवश्यक है, सभी नामनिर्देशन–पत्रों की परीक्षा करने की सभी युक्तियुक्त सुविधाएं देगा ।

(iii) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नामनिर्देशन–पत्र पर उसे स्वीकृत या नामंजूर करने के अपने विनिश्चय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन–पत्र को नामंजूर किया जाये तो वह ऐसी नामंजूरी के अपने कारणों का संक्षिप्त कथन लेखबद्ध करेगा ।

(8) विधिमान्य नामनिर्देशनों की सूची सोसाइटी के सूचना–पट्ट पर उसी दिन प्रकाशित की जायेगी जिसको नामनिर्देशन–पत्रों की संवीक्षा पूर्ण हो जाये ।

(9) (i) कोई भी अभ्यर्थी उप–नियम (5) के खण्ड (पपप) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर–भीतर अपनी अभ्यर्थिता अपने द्वारा हस्ताक्षरित, और निर्वाचन अधिकारी को अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः परिदत्त लिखित नोटिस के जरिये वापस ले सकेगा । अभ्यर्थिता वापस लेने का एक बार दिया गया नोटिस अन्तिम होगा ।

(ii) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन अभ्यर्थिता वापस लेने का समय समाप्त होने के पश्चात् उसी दिन सोसाइटी के सूचना–पट्ट पर किया जायेगा ।

(10) यदि ऐसे किसी भी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए, जिसके लिए निर्वाचन किया जाना है, ऐसे अभ्यर्थियों की, जिनके सम्बन्ध में विधिमान्य नामनिर्देशन–पत्र फाइल किये गये हैं, संख्या उस क्षेत्र या

निर्वाचन–क्षेत्र के लिए निर्वाचित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके लिए विधिमान्य नामनिर्देशन–पत्र प्राप्त हुआ है, उस क्षेत्र या, यथास्थिति, निर्वाचन–क्षेत्र के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित कर लिया गया समझा जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों के नाम उप–नियम (5) के खण्ड (पपप) के अधीन अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए नियत तारीख और समय के पश्चात् सोसाइटी के सूचना–पट्ट पर प्रकाशित कर दिये जायेंगे ।

(11) यदि ऐसे किसी भी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए, जिसके लिए विधिमान्य नामनिर्देशन–पत्र प्राप्त हुए हैं, अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए नियत तारीख को मतदान के लिए व्यवस्था करेगा, और वह एक या एकाधिक इतने मतदान अधिकारियों को, जो आवश्यक हों, नियुक्त कर सकेगा। उस मामले में जहां एक से अधिक मतदान केन्द्र हों, निर्वाचन अधिकारी, यदि आवश्यक समझे, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए मतदान अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा ।

(12) निर्वाचन अधिकारी मतदान अधिकारी को मतपेटियां, मतपत्र, निर्वाचक नामावलियों की प्रति और ऐसी अन्य वस्तुएं देगा जो निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हों । मतपेटी ऐसी सन्निर्मित की जायेगी कि जिससे मतपत्रों को उसमें प्रविष्ट तो किया जा सके किन्तु पेटी को खोले बिना उसमें से निकाला नहीं जा सके :

परन्तु इन नियमों में अन्तर्विष्ट कोई भी बात प्राधिकारी को सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचनों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन का उपयोग करने और ऐसी मशीनों के उपयोग हेतु निदेश जारी करने से इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के होते हुए भी विवर्जित नहीं करेगी ।

(13) निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर प्रत्येक ऐसे बूथ पर, जहां मतदान किया जाता है, स्वयं का प्रतिनिधित्व करने हेतु अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा । ऐसे पत्र में सम्बन्धित अभिकर्ता की लिखित सम्मति अन्तर्विष्ट होगी ।

(14) मतदान के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, निर्वाचन अधिकारी या, यथास्थिति, मतदान अधिकारी, खाली मतपेटियां उन व्यक्तियों को दिखायेगा जो उस समय उपस्थित हों और तब उसे बन्द कर देगा और उस पर अपनी सील इस रीति से लगायेगा जिससे उसे सील तोड़े बिना खोलना निवारित हो जाये । अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता, यदि वह ऐसा चाहे तो, अपनी सील भी लगा सकेगा।

(15) मतपत्रों में अभ्यर्थियों के नाम और सोसाइटी की सील अन्तर्विष्ट होगी ।

(16) प्रत्येक मतदान बूथ में, एक ऐसा पृथक् कक्ष होगा जिसमें सदस्य देखे जाने से प्रतिच्छादित होकर अपना मतदान कर सकते हों ।

(17) किसी सदस्य को कोई मतपत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक मतदान अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाये कि सम्बन्धित सदस्य वही व्यक्ति है जो उसे दी गयी सदस्यों की सूची में वर्णित है ।

(18) मतपत्र प्राप्त करने पर सदस्य तुरन्त मतदान कक्ष में जायेगा, और जिस अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के पक्ष में वह मत देना चाहता है उसके नाम या उनके नामों के सामने मतपत्र पर वह सील लगायेगा जो उसे इस प्रयोजन के लिए मतदान अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवायी गयी है और मतपत्र को अत्यधिक गोपनीयतापूर्वक मतपेटी में डाल देगा ।

(19) यदि कोई सदस्य अन्धता या अन्य शारीरिक दुर्बलता के कारण मतपत्र को चिह्नित करने में असमर्थ हो तो निर्वाचन अधिकारी या, यथास्थिति, मतदान अधिकारी उससे उस अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों का नाम अभिनिश्चित कर लेगा, जिसके पक्ष में वह मत देना चाहता है, उसकी ओर से सील लगायेगा और मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा :

परन्तु अंधे मतदाता की दशा में अधिकारी मतदाता के सहायक की उपस्थिति में सील लगायेगा यदि मतदाता ऐसा करने का लिखित में निवेदन करे ।

(20) मतों की गणना मतदान सम्पन्न होने के तुरन्त बाद या निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत तारीख और समय पर प्रारम्भ हो जायेगी । मतों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन

की जायेगी । प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को गणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा ।

(21) कोई मतपत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया जायेगा यदि –

(क) उस पर ऐसा कोई चिह्न हो जिससे उस सदस्य की पहचान की जा सकती हो जिसने कि मत दिया है, या

(ख) उस पर सोसाइटी की सील न हो; या

(ग) उस पर मत को उपदर्शित करने वाला चिह्न ऐसी रीति से लगा हो कि यह संदिग्ध हो गया हो कि मत किस अभ्यर्थी को डाला गया है ।

(22) (i) मतों की गणना समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित उपवर्णित करने वाली विवरणी तैयार और प्रमाणित करेगा –

(क) जारी किये मतपत्रों की कुल संख्या ;

(ख) प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या ;

(ग) अविधिमान्य घोषित किये गये या नामंजूर किये गये मतपत्रों की संख्या ।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने विधिमान्य मत सबसे अधिक प्राप्त किये हैं उन्हें इस विवरणी के आधार पर, निर्वाचित घोषित किया जायेगा और उनके नाम निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षरों से मतगणना के स्थान के बाहर के सूचना–पट्ट पर और सोसाइटी के सूचना–पट्ट पर प्रकाशित किये जायेंगे :

परन्तु दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा बराबर–बराबर मत प्राप्त किये जाने की स्थिति में सफल अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों का या के नाम अवधारित करने के लिए लाटरी ऐसी रीति से निकाली जायेगी जो निर्वाचन अधिकारी नियत करे ।

(iii) निर्वाचन का परिणाम निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा और उसे सोसाइटी की कार्यवृत्त पुस्तिका में भी अभिलिखित किया जायेगा ।

(23) निर्वाचन अधिकारी मतपत्रों को अभिरक्षा में ले लेगा । निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों और अन्य अभिलेख को किसी ऐसे आधान में सुरक्षित रखा जायेगा जिस पर निर्वाचन अधिकारी की और उन अभ्यर्थियों की, जो अपनी सीलें लगाना चाहते हैं, सील लगायी जायेगी । इस प्रकार सील किये और आधान में सुरक्षित रखे गये समस्त मतपत्र और अन्य निर्वाचन सामग्री मतदान की तारीख से तीन मास की कालावधि तक अभिरक्षित और परिरक्षित किये जाने हेतु, निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के उस उप/सहायक रजिस्ट्रार को परिदत्त कर दी जायेगी जो अधिकारिता रखता है । यदि उस निर्वाचन से सम्बन्धित या उसके सम्बन्ध में कोई विवाद रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट नहीं किया गया तो उन्हें तीन मास की उक्त कालावधि के पश्चात् प्राधिकारी को सूचना देकर नष्ट कर दिया जायेगा ।

**46. समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि का निर्वाचन .–** (1) (i) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या किसी भी अन्य पदधारियों का निर्वाचन, चाहे उसका पदनाम उपविधियों में कुछ भी हो, इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति से मतदान द्वारा होगा ।

(ii) अधिनियम की धारा 33 में विनिर्दिष्ट सोसाइटियों के मामले में जहां राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने किसी सोसाइटी की समिति के निर्वाचन करवाये हैं, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ऊपर खण्ड (प) में उल्लिखित पदधारियों के लिए, उप–नियम (2) से (8) में विनिर्दिष्ट रीति से, निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगा और अन्य समस्त सोसाइटियों के मामले में ऐसे निर्वाचन नियम 46 क में विनिर्दिष्टानुसार कराये जायेंगे ।

(2) समिति के सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी (साधारण बैठक में निर्वाचित किये जाने के लिए अपेक्षित पदधारियों से भिन्न) पदधारियों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए, समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित करने का प्रबन्ध करेगा ।

(3) नामनिर्देशन–पत्र, प्ररूप "ग" में बैठक में निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे । निर्वाचन अधिकारी ऐसे आक्षेपों का, यदि कोई हो, जो उसके लिए विनिर्दिष्ट समय पर किसी भी नामनिर्देशन के संबंध में किये जायें, ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, विनिश्चय करेगा तथा पात्र अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा करेगा ।

(4) जहां किसी भी पद के लिए एक से अधिक विधिमान्य नामनिर्देशन–पत्र न हों वहां निर्वाचन अधिकारी ऐसे पद के लिए उस अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा जिसके संबंध में नामनिर्देशन–पत्र प्राप्त हुआ है ।

(5) जहां किसी भी पद के लिए एक से अधिक विधिमान्य नामनिर्देशन हों वहां निर्वाचन अधिकारी नियम 45 के उप–नियम (13) से (19) तक में विहित रीति से मत प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा ।

(6) जैसे ही समस्त उपस्थित सदस्य अपने मत डाल चुकें या मतदान के लिए नियत समय समाप्त हो जाये वैसे ही निर्वाचन अधिकारी सदस्यों की उपस्थिति में मतपेटी को खोलेगा, मतों की गणना करेगा और उस निर्वाचित किये गये अभ्यर्थी, जिसने सर्वाधिक मत प्राप्त किये हैं, की घोषणा करते हुए निर्वाचन का परिणाम घोषित करेगा तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त मतों की संख्या उपदर्शित करेगा । दो या अधिक अभ्यर्थियों को समान संख्या में मत प्राप्त होने की दशा में ऐसी रीति से लाटरी निकाली जायेगी जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित की जाये।

(7) बैठक की कार्यवाहियां, निर्वाचन के परिणाम सहित सोसाइटी की कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित की जायेंगी और निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की जायेंगी ।

(8) मतपत्रों और अन्य अभिलेखों को किसी आधान में सुरक्षित रखा जायेगा, जिस पर सोसाइटी और अभ्यर्थियों की, जो अपनी सील लगाना चाहते हों, सील लगायी जायेगी और उन्हें निर्वाचन की तारीख से तीन मास तक परिरक्षित रखा जायेगा । यदि उस निर्वाचन से सम्बन्धित या उसके सम्बन्ध में कोई विवाद रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट न किया जाये तो उन्हें उस कालावधि के पश्चात् प्राधिकारी को सूचना देकर नष्ट कर दिया जायेगा ।

**46 क. अन्य सोसाइटियों में निर्वाचन :–** (1) नियम 45 के उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट से भिन्न सोसाइटियों की समितियों के सदस्यों के निर्वाचन सोसाइटी की साधारण बैठक में किये जायेंगे जिसका कम से कम सात दिन का नोटिस निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा । निर्वाचन अधिकारी उपविधियों के अनुसार निर्वाचन आरम्भ और संचालित करेगा :

परन्तु यह कि बैठक का आरम्भ होने के लिए नियमों या उपविधियों में विनिर्दिष्ट गणपूर्ति होनी चाहिए ।

(2) नियम 46 के उप–नियम (1) के खण्ड (पप) में विनिर्दिष्ट से भिन्न वर्ग की सोसाइटी के अध्यक्ष या अन्य किसी निर्वाचित पदधारी का, जिसका उपविधियों में कुछ भी पदनाम हो, निर्वाचन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा :–

(क) जैसे ही समिति के सदस्य निर्वाचित हो जायें वैसे ही सोसाइटी का निर्वाचन अधिकारी निर्वाचित पदधारियों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए समिति के सदस्यों की बैठक बुलाने का प्रबन्ध करेगा ।

(ख) बैठक का सभापतित्व सोसाइटी के निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(ग) निर्वाचन अधिकारी नियम 46 के उप–नियम (3) से (8) में विहित रीति से निर्वाचन कराने की कार्यवाही करेगा ।

# अध्याय–6
# सहकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार

**47. सोसाइटियों द्वारा निधियां एकत्रित करना :**

(1) प्रत्येक सोसाइटी, जिसमें शेयर पूँजी है, उपविधियों में ऐसी शेयर पूँजी की अधिकतम रकम, शेयरों की संख्या, जिसमें वह विभाजित की गयी है, शेयरों के वर्ग, प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य

और शेयरों के प्रत्येक वर्ग से संलग्न अधिकार तथा दायित्व और जहॉ आवंटन पर शेयर की पूर्ण रकम संदेय न हो, वहॉ उन किस्तों की रकम तथा संख्या, जिसमें उसे संदत्त किया जाना अपेक्षित है तथा ऐसे ही अन्य आनुषंगिक मामलों का, उपबन्ध करेगी ।

(2) ऐसी कोई सोसाइटी, जो अपनी उपविधियों के अधीन डिबेन्चर तथा बन्धपत्र जारी करके निधियां एकत्र करने के लिये प्राधिकृत है, रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी से, डिबेन्चर और बन्धपत्र जारी करके एकत्र की जाने वाली अधिकतम रकम, डिबेन्चरों और बन्धपत्रों के वर्ग या वर्गों, प्रत्येक डिबेन्चर या बन्धपत्र के अंकित मूल्य, डिबेन्चरों या बन्धपत्रों का मोचर करने की तारीख, वह दर, जिससे ब्याज संदेय है, डिबेन्चरों और बन्धपत्रों के अन्तरण से संबंधित निबन्धनों और शर्तों और अन्य आनुषंगिक मामलों के सम्बन्ध में विनियम बना सकेगी ।

(3) किसी भी समय जारी किये गये डिबेन्चरों और बन्धपत्रों की सोसाइटी द्वारा उपगत अन्य दायित्वों सहित कुल रकम, उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी, जो सोसाइटी नियम 61,62,63, या, यथास्थिति, 64 के और अपनी उपविधियों के उपबन्धों के अधीन उधार ले सकती है ।

**48. सोसाइटियों द्वारा निधियां एकत्र करने की अतिरिक्त शर्तें :**

रजिस्ट्रार साधारण या विशेष आदेा द्वारा, ऐसी अतिरिक्त शर्तें, जो वह ठीक समझे, जिनके अधीन और ऐसी सीमा, जिस तक किसी भी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा निक्षेप प्राप्त किये, डिबेन्चर जारी किये या सैन्ट्रल बैंक से भिन्न किसी अन्य ऋणदाता से उधार लिये जा सकेंगे, अधिकथित कर सकेगा ।

**49. सोसाइटियों द्वारा दिये जाने वाले उधारों का विनियमन :**

(1) उधारदात्री सोसाइटी, जंगम या स्थावर सम्पत्ति की प्रतिभूति पर उधार दिये जाने के मामले में ऐसा अन्तर रखेगी, जो रजिस्ट्रार समय समय पर भिन्न–भिन्न वस्तुओं, प्रतिभूतियों या सोसाइटियों के वर्गों के सम्बन्ध में साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे ।

(2) नकद ऋण के मामले में उधार की रकम, उधार लेने वाली सोसाइटी को स्वामित्वाधीन निधियों के उतने गुने से अधिक नहीं होगी, जो रजिस्ट्रार समय समय पर अधिकथित करे ।

(3) यदि वह प्रयोजन, जिसके लिये उधार किया जाता है, उत्पादन योग्य या ऋण देने योग्य समझा जाये, और युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सके कि उधारग्रहीता द्वारा उधारों का प्रतिसंदाय कर दिया जायेगा तो किसी सोसाइटी के लिये जंगम या स्थावर सम्पत्ति की प्रतिभूति लिये बिना उधार देना विधिपूर्ण होगा । रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करने के लिये सोसाइटियों को निदेश जारी कर सकेगा कि एक ओर तो ऊपर उपदर्शित ऋण देने योग्य प्रयोजनों के लिये सोसाइटियों से बिना किसी कठिनाई के वित्त प्राप्त हो जाये तथा दूसरी ओर सोसाइटियों के वित्तीय हित के लिये हानिकर भी न हो ।

(4) रजिस्ट्रार किसी केन्द्रीय बैंक को, केन्द्रीय वित्तीय एजेन्सी के रूप में मान्यता दे सकेगा, जो अपनी अधिकारिता में सम्बन्धित सोसाइटियों के जरिये ऋण देने योग्य समस्त प्रयोजनों के लिये ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त देने के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा । ऐसी मान्यता पर ऐसा बैंक, अपने क्षेत्र में सोसाइटियों को उधार उपलब्ध कराने के लिये स्थानीय स्त्रोतों को गतिमान करने हेतु सभी संभव प्रयत्न करने के लिये उत्तरदायी होगा । ऐसे उधार को सहकारी प्रसंस्करण या सहकारी विपणन के साथ संबंध करने का ध्यान रखते हुए उत्पादी–योजनाओं, विभिन्न स्तरों के उत्पादकों की आवश्यकताओं तथा सहकारी अनुशासन को सम्यक् महत्व देते हुए, ऋण देने योग्य प्रयोजनों के लिये दिये जा सकेंगे ।

(5) रजिस्ट्रार की साधारण या विशेष अनुज्ञा के सिवाय किसी सोसाइटी द्वारा किसी सदस्य को या वित्तीय बैंक द्वारा किसी सोसाइटी को दिया गया उधार, सदस्यों तथा सोसाइटियों को दिये जाने वाले अग्रिमों के और विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों दोनों ही के विरूद्ध दी जाने वाली अधिकतम रकम तथा प्रतिसंदाय की कालावधि सहित, ऐसी शर्तों के अधीन होगा, जो रजिस्ट्रार द्वारा अधिकथित की जायें ।

(6) केन्द्रीय बैंकों द्वारा सोसाइटियों को या प्राथमिक सोसाइटियों द्वारा सदस्यों को उधार दिये जाने के मामले में रजिस्ट्रार, ऐसा वित्त दिये जाने के पूर्व आवेदन प्राप्त करने, ऋण को आवश्यकताओं का

निर्धारण करने, उत्पादन कार्यक्रम, जिसके लिये उक्त उधार अपेक्षित है, के सम्बन्ध में जांच करने से संबंधित प्रक्रिया तथा अन्तिम रूप से उधार मंजूर करने और वर्षानुवर्ष अनुसरित की जाने वाली वित्त प्रबन्धन की दरों तथा विभिन्न फसलों के लिये वित्त पोषण के प्रयोजन के लिये की जाने वाली जांचों के स्वरूप और उधारों के समुचित उपयोग के सम्बन्ध में कतिपय शर्त लगाने तथा विनिर्दिष्ट सहकारी संगठन के माध्यम से, कृषि उपज के विक्रय की प्रक्रिया अधिकथित कर सकेगा ।

(7) रजिस्ट्रार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी केन्द्रीय बैंक या सोसाइटी द्वारा उधारों का दिया जाना प्रतिसिद्ध या विनियमित वहॉ कर सकेगा, जहॉ ऐसा दिया जाना ठोस आधारों पर न तो सोसाइटी के हित में और न सहकारिता अभियान के विकास के हित में समझा जाये ।

(8) कोई भी सोसाइटी सिवाय ऐसे साधारण या विशेष निदेश के अनुसार जो रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में जारी किये जायें, साख पर कोई संव्यवहार नहीं करेगी या अपने सदस्यों या गैर–सदस्यों को व्यापारिक उधार की मंजूरी नहीं देगी ।

**50. ऋणेत्तर सोसाइटियों द्वारा उधार सीमायें :**

(1) कोई भी ऐसी सोसाइटी, जिसके उद्देश्यों में अपने सदस्यों के लिये उधार देना या वित्तीय सुविधा देना सम्मिलित नहीं है, रजिस्ट्रार की मंजूरी के बिना किसी भी सदस्य को उधार नहीं देगी या साख मंजूर नहीं करेगी :

परन्तु कोई भी सोसाइटी, जिसके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य उत्पादन के प्रयोजनों के लिये सदस्यों द्वारा अपेक्षित माल का प्रदाय या सेवायें करना है, पर्याप्त प्रतिभूति पर माल का प्रदाय या सेवाओं का प्रदान साख आधार पर इस शर्त पर कर सकेगी कि प्रदाय किये गये माल या प्रदान की गई सेवाओं का खर्च कृषि–उपज के या सदस्य द्वारा उत्पादित अन्य माल के विक्रय आगमों की रकम में से वसूलीय होगा ।

(2) कोई उपभोक्ता सोसाइटी अपने सदस्यों और अन्य ग्राहकों को, उनसे प्राप्त निक्षेपों की सीमा तक माल उधार बेच सकेगी ।

**51. कतिपय सोसाइटियों से उधार लेने वाले सदस्यों तथा उनके गारण्टरों द्वारा की जाने वाली घोषणाओं का प्ररूप और वे शर्तें, जिन पर किसी सोसाइटी के पक्ष में, किसी भार का शोधन किया जायेगा :**

(1) धारा 39 के खण्ड (क) के अधीन की जाने वाली कोई घोषणा प्ररूप ''घ'' में होगी ।

(2) ऐसी घोषणाओं का एक रजिस्टर सोसाइटी द्वारा प्ररूप ''ड'' में रखा जायेगा ।

(3) किसी सदस्य द्वारा किसी भी स्थावर सम्पत्ति पर उसके द्वारा समय समय पर उधार ली गयी या संभवतः उधार ली जाने वाली रकम के लिये सोसाइटी के पक्ष में सृजित प्रभार, धारा 39 के खण्ड (ख) और (ग) के उपबन्धों के अधीन प्रवृत्त बना रहेगा ।

(4) जहॉ किसी सोसाइटी का कोई सदस्य धारा 39 के अधीन घोषणा द्वारा अपनी भूमि पर या किसी भी भूमि में अभिधारी के रूप में अपने हित पर कोई भार सृजित करता है, वहॉ सोसेाइटी, यदि उसे ऐसी सम्पत्ति की या सम्पत्ति में के हित की प्रतिभूति के विरूद्ध ऐसे सदस्य को दिये गये उधार की वसूली के लिये ऐसी सम्पत्ति का उपयोग करने को बाध्य किया जाये तो, ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भी ऐसे भाग का, जो ब्याज सहित, शोध्य रकम और उस संबंध में उपगत किन्हीं भी आनुषंगिक व्ययों को चुकाने के लिये पर्याप्त हो, उपयोग कर सकेगी ।

(5) जहॉ किसी सदस्य द्वारा धारा 39 के अधीन घोषणा करके अपनी भूमि पर या किसी भूमि में अभिधारी के रूप में अपने हित पर कोई भार सृजित किया जाता है, वहॉ सोसाइटी उस ग्राम के, जहॉ ऐसी सम्पत्ति स्थित है, ग्राम अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले अधिकार अभिलेख में भार की ऐसी विशिष्टियां अभिलिखित करेगी या करायेगी । ग्राम के अधिकार अभिलेख में भार का ऐसा अभिलेखन धारा 39 के अधीन सृजित ऐसे भार का समुचित नोटिस माना जायेगा ।

**52. वेतन या मजदूरी में से कटौती :**

(1) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन किसी करार निष्पादन के होने पर, सोसाइटी करार के निष्पादन की सूचना उस सदस्य के, जिसने करार निष्पादन किया है, नियोजक को या उसका वेतन या मजदूरी संवितरित करने वाले अधिकारी को, रजिस्ट्रीकृत डाक से या संदेशवाहक के जरिये भेज सकेगी और उक्त नियोजक या अधिकारी को नियम 106 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रमाणित ऐसे करार की प्रति भेज सकेगी । सोसाइटी से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर नियोजक या वेतन या मजदूरी संवितरित करने वाला अधिकारी, वेतन या मजदूरी संवितरण के लिये उसके द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में करार के विषय में टिप्पणी लिखेगा ।

(2) कोई सदस्य, जिसने ऐसे किसी करार का निष्पादन किया है, ऐसे प्रत्येक अवसर पर, जब वह पद या नियोजन के स्थान में परिवर्तन के कारण या अन्यथा किसी नये वेतन संवितरण प्राधिकारी के अधीन हो जाता है इस प्रकार अधीन होने के एक सप्ताह के भीतर भीतर उसकी सूचना सोसाइटी को देगा । इसी प्रकार पद या नियोजन के स्थान के ऐसे परिवर्तन के मामले में पूर्ववर्ती संवितरण प्राधिकारी भी पद या नियोजन के स्थान के परिवर्तन की सूचना ऐसे परिवर्तन के एक सप्ताह के भीतर भीतर सोसाइटी को देगा । सोसाइटी ऐसी सूचना प्राप्त होने के एक पक्ष के भीतर भीतर ऐसे नये वेतन संवितरण प्राधिकारी को, रजिस्ट्रीकृत डाक से या संदेश वाहक के जरिये करार के निष्पादन की सूचना भेजेगी तथा नियम 106 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रमाणित ऐसे करार की प्रति उक्त प्राधिकारी को देगी । संबंधित नियोजक या अधिकारी, सोसाइटी से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वेतन या मजदूरी के संवितरण के लिये उसके द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में करार के विषय में टिप्पणी लिखेगा ।

(3) किसी भी सोसाइटी या, यथास्थिति, सोसाइटियों से प्राप्त किसी अध्यपेक्षा के अनुसरण में किसी नियोजक या वेतन या मजदूरी का संवितरण करने वाले प्राधिकारी द्वारा, किसी कर्मचारी से उसके वेतन या मजदूरी में से कटौति द्वारा वसूल की गयी कोई भी रकम ऐसे नियोजक या, यथास्थिति, अधिकारी द्वारा संबंधित सोसाइटी या सोसाइटियों को यथासंभव शीघ्र और किसी भी मामले में वसूली की तारीख से चौदह दिन की कालावधि के भीतर भीतर विप्रेषित कर दी जायेगी ।

(4) सोसाइटी या सोसाइटियों की धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन की गयी कटौतियों के विप्रेषण का व्यय सम्बन्धित सोसाइटी या सोसाइटियॉ वहन करेंगी । नियोजक या वेतन या मजदूरी का संवितरण करने वाला अधिकारी विप्रेषण के साथ, सदस्यों से की गयी वसूलियों का और सोसाइटी या सोसाइटियों को धन के विप्रेषण के व्यय, यदि कोई हो, का विवरण प्ररूप "च" में सोसाइटी या, यथास्थिति, सोसाइटियों को भेजेगा ।

(5) जहॉ किसी सोसाइटी के सदस्य के नियोजक द्वारा या वेतन या मजदूरी का संवितरण करने वाले अधिकारी द्वारा धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन की गई कटौती की रकम ऐसे नियोजक या अधिकारी द्वारा किसी सोसाइटी को विप्रेषित कर दी जाये, वहॉ सोसाइटी शीघ्र ही ऐसे नियोजक या अधिकारी को इस प्रकार विप्रेषित रकम की रसीद जारी करेगी, और सोसाइटी द्वारा ऐसी रकम के लिये दी गई रसीद, ऐसे नियोजक या अधिकारी के विरूद्ध ऐसे सदस्य के किन्ही भी दावों के सम्बन्ध में, ऐसे नियोजक या अधिकारी के दायित्वों का समुचित तथा पर्याप्त उन्मोचन होगी ।

(6) किसी सोसाइटी द्वारा किसी सदस्य से कटौती करके वसूल की गयी कोई भी रकम सोसाइटी द्वारा ऐसे सदस्य के खाते में, उस तारीख को, जिसको ऐसी सोसाइटी को वास्तविक रूप से रकम प्राप्त हुई थी, विचार में लाये बिना, उस तारीख को जमा की जायेगी, जिसको नियोजक या वेतन या मजदूरी का संवितरण करने वाले अधिकारी द्वारा रकम की कटौती की गई थी, सोसाइटी वसूल की गई रकम के लिये जमा की विशिष्टियां तुरन्त ही सदस्य को देगी ।

(7) नियोजक या वेतन या मजदूरी का संवितरण करने वाला अधिकारी वसूली तथा सोसाइटियों को देय धन का विप्रेषण दर्शित करने वाला एक रजिस्टर प्ररूप "छ" में रखेगा ।

**53. सोसाइटियों को राज्य सहायता :**

(1) अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये सरकार, निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सोसाइटी को किसी भी रूप में राज्य सहायता दे सकेगी, अर्थात् :–

(क) राज्य सहायता प्राप्त करने वाली कोई सोसाइटी, सोसाइटी की पूँजी रकम पर ऐसे प्रतिशत, दर से, जो सरकार समय समय पर नियत करे, अधिक किसी भी लाभांश का संदाय या किसी भी लाभ का वितरण या ग्रहण नहीं करेगी ।

(ख) राज्य सहायता प्राप्त करने वाली कोई सोसाइटी, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, सोसाइटी में किसी वैतनिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति करेगी ।

(ग) राज्य सहायता प्राप्त करने वाली कोई सोसाइटी ;–

(i) सोसाइटी के कार्यकरण के सम्बन्ध में सरकार या रजिस्ट्रार के किसी भी साधारण या विशेष आदेश का अनुपालन करने के लिये ;

(ii) सोसाइटी से संबंधित लेखाओं के निरीक्षण की अनुज्ञा देने के लिये ;

(iii) ऐसे लेखे रखने तथा ऐसे विवरण और विवरणियां प्रस्तुत करने के लिये, जिनकी सरकार या रजिस्ट्रार समय समय पर अपेक्षा करें ; और

(iv) सरकार द्वारा जारी किये गये ऐसे किसी भी आदेश या अधिरोपित किन्हीं भी शर्तों का अनुपालन करने के लिये जो उसके हित की रक्षा के लिये उसकी राय में आवश्यक या समीचीन हों ; आबद्ध होगी ।

(2) यदि ऐसी सोसाइटी, जिसे किसी भी रूप में राज्य सहायता दी गयी है, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किये गये किसी भी आदेश का पालन करने में विफल रहती है या राज्य सहायता देने के लिये अधिकथित किन्हीं भी निबन्धनों या शर्तों का कोई भंग करती है या यदि ऐसी सोसाइटी के लेखाओं, विवरणियों, विवरणों या लेखा परीक्षा रिपोर्ट का निरीक्षण करने पर सरकार की यह राय हो कि राज्य सहायता प्रत्याहृत कर ली जानी चाहिये, तो सरकार इस सम्बन्ध में ऐसे किसी भी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् जो सोसाइटी ऐसे समय के भीतर–भीतर प्रस्तुत करे, जो सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे, निम्नलिखित निदेश देते हुए आदेश दे सकेगी :–

(i) कि कोई भी बकाया उधार अतिशेष तुरन्त वसूलीय होगा ;

(ii) कि दी गयी प्रत्याभूति ऐसे आदेश की तारीा से समाप्त हो जायेगी ;

(iii) कि आदेश की तारीख तक दी गई और उपभोग की गई किसी भी अन्य राज्य सहायता का पूर्ण मूल्य तुरन्त संदेय होगा और ऐसी तारीख के बाद ऐसी राज्य सहायता का दिया जाना बन्द कर दिया जायेगा ।

(3) सरकार ऐसे अन्य निबन्धनों या शर्तों को उपवर्णित कर सकेगी, जिन पर वह किसी सोसाइटी को राज्य सहायता देगी ।

## अध्याय–7
## सहकारी सोसाइटियों की सम्पत्तियॉ और निधियॉ

**54. डूबत ऋणों और हानियों का अपलेखन :**

समस्त उधार, उन पर के ब्याज को सम्मिलित करते हुये, और उनके सम्बन्ध में वसूली प्रभार, जो अवसूलीय पाये जायें और रजिस्ट्रार द्वारा जारी सोसाइटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में डूबत ऋण के रूप में प्रमाणित कर दिये जायें, पहले डूबत ऋण निधि के प्रति अपलिखित किये जायेंगें, और अतिशेष, यदि कोई हो, सोसाइटी की आरक्षित निधि तथा शेयर पूँजी के प्रति अपलिखित किये जा सकेंगे । अन्य समस्त शोध्य और संचित हानियां या सोसाइटी द्वारा उठायी गयी अन्य कोई भी हानि, जो वसूल की जा सकती है और जिसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अवसूलीय प्रमाणित कर दिया है, सोसाइटी की आरक्षित निधि या शेयर पूँजी के प्रति अपलिखित की जा सकेगी : परन्तु –

(i) कोई भी डूबत ऋण या हानियां साधारण निकाय की मंजूरी के बिना अपलिखित नहीं की जायेंगी ;

(ii) ऐसे किसी भी डूबत ऋणों या हानियों को अपलिखित करने के पूर्व, सोसाइटी, यदि वह किसी वित्तीय बैंक से सम्बद्ध है और उसकी ऋणी है तो, पहले बैंक का और रजिस्ट्रार का भी लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी । यदि सोसाइटी वित्तीय बैंक से सम्बद्ध है किन्तु उसकी ऋणी नहीं है, तो वह रजिस्ट्रार का लिखित

अनुमोदन प्राप्त करेगी । यदि सोसाइटी कोई केन्द्रीय बैंक है, तो राज्य सहकारी बैंक और रजिस्ट्रार का अनुमोदन पहले अभिप्राप्त किया जायेगा ;

(iii) गत लेखा परीक्षा के समय सोसाइटियों के "क" या "ख" के रूप में वर्गीकृत किये जाने के मामले में, यदि डूबत ऋण, विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिये सृजित डूबत ऋण निधि के प्रति अपलिखित किये जाने हैं तो, ऐसी अनुज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होगी :

(iv) रजिस्ट्रार अनुमोदन देते समय, डूबत ऋण निधि की पूर्ति के सम्बन्ध में और आरक्षित निधि के प्रति अपलिखित रकम के किसी भाग का या सम्पूर्ण रकम का भावी लाभों में से प्रत्यास्थापन करने के सम्बन्ध में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

**55. सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि :**

(1) रजिस्ट्रार द्वारा, शीर्ष सहकारी सोसाइटियों और राजस्थान राज्य सहकारी संघ के परामर्श से बनाये गये सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि विनियमों के अधीन एक सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि का सृजन और विनियमन किया जायेगा ।

(2) सोसाइटी द्वारा संदेय निधि में अभिदाय सोसाइटी की निधियों पर भार होंगे और अधिनियम की धारा 100 में उपबन्धित रीति से भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे तथा सोसाइटी का जो अधिकारी इस नियम की अपेक्षा का पालन करने में जानबूझकर विलम्ब रहता है वह निधि की उक्त रकम की पूर्ति करने के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा । इस प्रकार आवंटित रकम सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा शुद्ध लाभों को आवंटन किये जाने की तारीख से दो मास के भीतर भीतर निधि को विप्रेषित कर दी जायेगी ।

(3) उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन बनाये गये सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि विनियमों में अन्य बातों के साथ साथ (प) निधियों के प्रशासन (पप) अधिनियम की धारा 111 की उपधारा (2) के अधीन तैयार कार्यकरण योजना को कार्यान्वित करने के लिये सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये निधि के आवंटन और वितरण ; (पपप) विभिन्न जिला सहकारी संघों के बीच वितरण और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ में अभिदाय के सम्बन्ध में विनियम भी सम्मिलित होंगे।

परन्तु राजस्थान राज्य सहकारी संघ और जिला संघों को आवंटित निधि का रजिस्ट्रार द्वारा यथा विनिश्चित आवंटित भाग महिला सहकारी सोसाइटियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के उपयोग में लिया जायेगा ।

**56. अन्य विधियों का विनिधान :**

(1) कोई सोसाइटी आरक्षित निधि से भिन्न अपनी किन्हीं भी निधियों को धारा 49 में विनिर्दिष्ट किसी भी रीति से तब विनिहित कर सकेगी, जब ऐसी निधियों का सोसाइटी के कारबार के लिये उपयोग नहीं किया जा रहा हो ।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजन के लिये "सोसाइटी का कारबार" में सोसाइटी के सामान्य शोध्यों की वसूली की प्रक्रिया में, रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी से, सोसाइटी द्वारा स्थावर सम्पत्ति में या अपने स्वयं के उपयोग के लिये भवन या भवनों के संनिर्माण के प्रयोजन के लिये किया गया कोई विनिधान सम्मिलित होगा ।

(2) रजिस्ट्रार, किसी भी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग के मामले में, किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा किसी वबर्ग या वर्गों की प्रतिभूतियों में विनिहित की जाने वाली अधिकतम रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) प्रत्येक ऐसी सोसाइटी से, जिसने अपनी कार्यकरण पूँजी की 10 प्रतिशत से अन्यून रकम प्रतिभूतियों में विनिहित कर रखी है, विनिधान घटत–बड़त निधि गठित करने की अपेक्षा की जायेगी । रजिस्ट्रार यह निदेश दे सकेगा कि प्रतिवर्ष शुद्ध लाभों का विनिर्दिष्ट प्रतिशत, विनिधान घटत–बड़त निधि में जमा किया जायेगा जब तक कि उसकी राय में निधियों की रकम प्रतिभूतियों के निर्वतन से उद्भूत प्रत्याशित हानियों की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त न हो।

(4) कोई सोसाइटी रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी से, पट्टे पर भूमि के क्रय या पट्टे, या अपने कारबार के संचालन के लिये आवश्यक किसी भवन के अर्जन, संनिर्माण या नवीकरण में अपनी सम्पूर्ण निधियों का या उनके किसी भाग का विनिधान कर सकेगी । विनिहित निधियों की रकम की पूर्ति ऐसे निबन्धनों पर की जायेगी जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक मामले में अवधारित किये जायें ।

(5) उपनियम (4) के उपबन्ध, –

(क) (i) किसी सोसाइटी द्वारा उसकी किसी भी शोध्य राशि की वसूली के लिये उसके द्वारा अभिप्राप्त की गयी किसी डिक्री के निष्पादन में किये गये किसी विक्रय में ; या

(ii) किसी वित्तीय बैंक द्वारा, उसके द्वारा वित्त पोषित किसी सोसाइटी द्वारा, ऐसी सोसाइटी को देय किसी राशि की वसूली के लिये अभिप्राप्त की गयी किसी डिक्री के निष्पादन में किये गये किसी विक्रय में या उक्त सोसाइटी के समापक द्वारा किये गये किसी विक्रय में खरीदी गयी स्थावर सम्पत्ति पर ; या

(ख) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा, जिसके उद्देश्यों में, उसकी उपविधियों के अनुसार भूमियों का क्रय, पट्टा, संनिर्माण या नवीकरण सम्मिलित है, भूमि के क्रय या पट्टे पर या भवनों के क्रय, संनिर्माण या नवीकरण, लागू नहीं होंगे ।

(6) इस नियम के अधीन विनिहित रकम की पूर्ति वहॉ आवश्यक नहीं होगी जहॉ विनिधान :–

(क) किसी सोसाइटी द्वारा, लाभ से गठित उसकी भवन निर्माण निधि से ; या

(ख) उधार सोसाइटी से भिन्न किसी सोसाइटी द्वारा, जिसमें सदस्यों से ली गई शेयर पूँजी को विशेष प्रकार के ऐसे कारबार में लगाना आशयित है जिसके लिये यह रजिस्ट्रीकृत हुई है, किया जाये ।

(7) इस नियम की कोई बात किसी सोसाइटी की आरक्षित निधि के विनिधान पर लागू नहीं होगी और ऐसा विनिधान नियम 57 द्वारा विनियमित होगा ।

**57. आरक्षित निधि का उद्देश्य और विनिधान :**

(1) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा रखी जाने वाली कोई आरक्षित निधि सोसाइटी की होगी और वह अनवेक्षित हानियों की पूर्ति के लिये आशयित है । यह अविभाज्य होगी और कोई भी सदस्य उसमें कोई शेयर रखने का कोई दावा नहीं करेगा ।

(2) कोई सहकारी सोसाइटी, अधिनियम की धारा 49 के खण्ड (क) से (ख) में वर्णित एक या अधिक रीतियों के सिवाय अपनी आरक्षित निधि का विनिधान या निक्षेप नहीं करेगी ।

परन्तु रजिस्ट्रार, किसी भी सहकारी सोसाइटी को या सहकारी सोसाइटियों के किसी भी वर्ग को, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उसके स्वयं के कारबार में, आरक्षित निधि या उसके किसी भाग का विनिधान करने की अनुज्ञा दे सकेगा :

परन्तु यह और कि सहभागीदारी के आधार पर सहकारी गृह निर्माण के उद्देश्य से गठित किसी सोसाइटी के मामले में, सोसाइटी के भवनों के रख–रखाव, मरम्मत और नवीकरण पर व्यय के लिये आरक्षित निधि के उपयोग रजिस्ट्रार की पूर्व अनुज्ञा से किया जा सकेगा और किसी प्रसंस्करण सोसाइटी के मामले में आरक्षित निधि का उपयोग भूमि, भवन और मशीनरी के अर्जन, क्रय या संनिर्माण के लिये किया जा सकेगा ।

(3) कोई भी सहकारी सोसाइटी, जिसकी आरक्षित निधि पृथक से विनिहित या निक्षिप्त की गई है, ऐसी निधि को रजिस्ट्रार की लिखित रूप से पूर्वतः अभिप्राप्त मंजूरी के सिवाय, आहूत, गिरवी या अन्यथा नियोजित नहीं करेगी ।

(4) किसी सोसाइटी की आरक्षित निधि, रजिस्ट्रार की मंजूरी से, निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के भी उपयोग के लिये, इन शर्तों के अध्यधीन रहते हुये उपलब्ध रहेगी कि आहृत रकम रजिस्ट्रार द्वारा यथा–निर्दिष्ट रूप में प्रतिपूरित की जायेगी जब तब कि रजिस्ट्रार ऐसी प्रतिपूर्ति से, विशेष मामलों में अभिमुक्ति प्रदान न कर दे :–

(i) सोसाइटी द्वारा उपगत अनवेक्षित हानियों की पूर्ति के लिये ;

(ii) सोसाइटी के ऋणदाताओं के ऐसे दावों की पूर्ति के लिये जिनकी अन्यथा पूर्ति नहीं की जा सकती है ; और

(iii) विशेष कमी के समय अन्य वित्तीय आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिये ।

**58. किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन पर आरक्षित निधि का निवर्तन :**

(1) किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन पर, सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार उसके द्वारा गठित अन्य निधियों के सहित आरक्षित निधि को समापक द्वारा सोसाइटी के ऐसे दायित्वों के उन्मोचन के लिये, जो सोसाइटी की आस्तियों में से अनुन्मोचित रह जायें, निम्नलिखित क्रम में उपयोजित किया जायेगा, अर्थात् :–

(क) सोसाइटी के ऋण ;

(ख) समादत्त शेयर पूँजी ; और

(ग) समादत्त शेयर पूँजी पर, ऐसी किसी भी कालावधि या कालावधियों के लिये, जिनके लिये लाभांश संदत्त नहीं किया गया है,

6 प्रतिशत की दर से अनधिक लाभांश या समादत्त शेयर पूंजी पर ऐसा लाभांश, जो उस लाभांश को ऐसी किसी भी कालावधि के लिये, जिसके लिये लाभांश विनिर्दिष्ट अधिकतम से कम दर पर किया गया है, अधिकतम दर पर आये । तथापि यदि सोसाइटी की उपविधियों में शेयर पूँजी पर लाभांश देने का उपबन्ध नहीं है तो कोई लाभांश संदत्त नहीं किया जायेगा ।

(2) उपनियम (1) में वर्णित संदायों के पश्चात् रहने वाली किसी भी अधिशेष निधि का उपयोग निम्नलिखित रीति से और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये किया जायेगा, अर्थात् :–

(क) वित्तीय बैंक से भिन्न किसी सोसाइटी के मामले में –

(i) अधिशेष निधियां लोकोपयोगी ऐसे उद्देश्य के लिये उपयोजित की जायेगी जो विघटित सोसाइटी साधारण निकाय द्वारा किसी बैठक में चयनित किये जायें और रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाये ;

(ii) यदि सोसाइटीके कार्यकलापों के परिसमापन के लिये नियुक्त समापक द्वारा नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर भीतर साधारण निकाय कोई भी चयन, जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित हों, करने में विफल रहता है तो रजिस्ट्रार अधिशेष निधियों को धारा 66 के अधीन सृजित परिसमापन निधि में रख सकेगा ।

(ख) किसी वित्तीय बैंक के मामले में अधिशेष निधियां रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे किसी भी अन्य वित्तीय बैंक या बैंकों की, जिससे या जिनसे उस क्षेत्र में, जिसमें वह वित्तीय बैंक जिसका परिसमापन किया जा रहा है, अपने संकार्य करता था, कार्य करने वाली सोसाइटियां सम्बद्ध हैं, आरक्षित निधि या निधियों में समनुदिष्ट कर दी जायेंगी । यदि ऐसे क्षेत्र में कोई वित्तीय बैंक कार्य नहीं कर रहा है, तो रजिस्ट्रार, राज्य सहकारी बैंक में रकम का विनिधान तब तक के लिये करेगा, जब तक ऐसे क्षेत्र में कोई नया वित्तीय बैंक स्थापित नहीं हो जाता, उस दशा में निधियां ऐसे वित्तीय बैंक की आरक्षित निधि में जमा कर दी जायेगी।

**59. भविष्य निधि का रखा जाना और प्रशासन :**

कोई सोसाइटी, जिसने धारा 53 के अधीन अपने कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि स्थापित की है, रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से, अपने कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि के रखे जाने और उपयोग के लिये विनियम बनायेगी । अन्य बातों के साथ साथ ऐसे उक्त विनियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध होगा :

(i) भविष्य निधि का प्रशासन करने वाला प्राधिकारी ;

(ii) भविष्य निधि में अभिदाय करने के लिये हकदार कर्मचारियों का प्रवर्ग ;

(iii) कर्मचारियों के वेतन में से काटी जाने वाली अभिदाय की रकम (जो कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी)

(iv) सोसाइटी द्वारा किये जाने वाले अभिदाय की दर (जो कर्मचारी द्वारा किये गये वार्षिक अभिदाय से अधिक नहीं होगी)

(v) वह प्रयोजन, जिसके लिये और वह सीमा जिस तक, भविष्य निधि की प्रतिभूति पर अग्रिम दिये जा सकेंगे और वह कालावधि, जिसके पश्चात् ऐसा किया जा सकेगा तथा मासिक किस्तों की संख्या जिनमें उसकी पूर्ति की जानी है ;

(vi) कर्मचारियों के अभिदाय और सोसाइटी द्वारा किये गये अभिदाय का प्रतिदाय ;

(vii) कर्मचारी की मृत्यु के मामले में भविष्य निधि को रकम के संदाय के लिये नामनिर्देशन की रीति;

(viii) भविष्य निधि के विनिधान का और उस पर ब्याज के संदाय की रीति ;

(ix) भविष्य निधि, आहरणों और आवश्यक अन्य विषयों के सम्बन्ध में ऐसे प्ररूप में, जो रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेक, लेखाओं का संधारण ।

**60. उधारों के लिये आवेदन करने वाले सदस्यों द्वारा पालित की जाने वाली शर्तें :**

(1) सोसाइटी से उधार लेने के लिये आवेदन करने वाले सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य से, ऐसी रीति से और उसके द्वारा आवेदित उधार की रकम के ऐसे अनुपात में, जो सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये, शेयर धारण करने की अपेक्षा की जायेगी ।

(2) उपविधियों में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुये किसी संपदा सोसायटी के किसी सदस्य को मंजूर किया जाने वाला कोई उधार और उसके प्रतिसंदाय की कालावधि, रजिस्ट्रार द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार होगी ।

(3) किसी सदस्य को, अधिकतम रकम से अधिक उधार, उस केन्द्रीय बैंक की पूर्व मंजूरी से दिया जा सकेगा, जिससे सोसाइटी सम्बद्ध है :

परन्तु जहॉ उधार की रकम, उपविधियों में अन्तर्विष्ट अधिकतम सीमा की दुगुनी से अधिक हो, वहॉ रजिस्ट्रार की भी पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त की जायेगी ।

**61. सीमित दायित्व वाली सोसाइटियों द्वारा उधार लेने के लिये शर्तें :**

(1) नियम 62 और 63 में निर्दिष्ट सोसाइटियों को छोड़कर, सीमित दायित्व वाली कोई भी सोसाइटी रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी के बिना, अपनी समादत्त शेयर–पूॅजी, संचित आरक्षित निधि, और भवन–निधि में से संचित हानियों को घटाने के बाद रही कुल रकम के दस गुने से अधिक का दायित्व उपगत नहीं करेगी :

परन्तु केन्द्रीय बैंक और अरबन बैंक, रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी के बिना, अपनी समादत्त शेयर पूॅजी, संचित आरक्षित निधि और भवन निधि में से संचित हानियों के घटाने के बाद रही रकम के बारह गुने से अधिक के दायित्व उपगत नहीं करेंगें ।

स्पष्टीकरण : ऐसी किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग के मामले में, जिसकी उपविधियों में, रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उपज या अन्य माल की गिरवी करने पर या जंगम सम्पत्ति बंधक रखने पर उधार लेने या ऋण सुविधा देने की अनुज्ञा है, इस उपनियम के प्रयोजन के लिये दायित्व की कुल रकम की गणना करने में ऐसी सोसाइटी या उसके सदस्यों की कृषि उपज या अन्य माल की प्रतिभूति पर ऐसी उक्त सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा उधार ली गयी रकम के बराबर राशि इस नियम के अधीन वास्तविक दायित्व की रकम में से अपवर्जित कर दी जायेगी ।

(2) कोई भी सोसाइटी उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक का दायित्व इस शर्त के अधीन रहते हुए निक्षेप और उधार प्राप्त करके उपगत कर सकेगी कि उक्त सीमा से अधिक निक्षेपों के रूप में प्राप्त या उधारों के रूप में ली गयी रकम का उपयोग सोसाइटी के कारबार में नहीं किया जायेगा किन्तु उसे सरकारी प्रतिभूतियों में विनिहित किया जायेगा जो केन्द्रीय बैंकों के मामले में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में और अन्य सहकारी बैंकों के मामले में केन्द्रीय बैंकों में निक्षिप्त की जायेगी । कोई भी सोसाइटी ऐसी प्रतिभूतियों मे प्रति उधार नहीं लेगी ।

**62. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की उधार लेने की शर्तें :**

रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी के सिवाय, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अपनी समादत्त शेयर पूँजी, और समस्त आरक्षितियों में से संचित हानियां, वास्तविक डूबत ऋण, यदि कोई हो, तथा अतिशोध्य ब्याज घटाने के बाद रही कुल रकम के कुल पन्द्रह गुने से अधिक का दायित्व उपगत नहीं करेगी :

परन्तु बैंक निक्षेप प्राप्त करके या उधार लेकर पूर्वोक्त सीमा से अधिक का दायित्व इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए उपगत कर सकेगा कि निक्षेप उक्त सीमा से अधिक निक्षेपों के रूप में प्राप्त या उधारों के रूप में ली गयी रकम का उपयोग बैंक के कारबार में नहीं किया जायेगा किन्तु उसे सरकारी प्रतिभूतियों में विनिहित किया जायेगा जो भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षिप्त की जायेगी । बैंक ऐसी प्रतिभूतियों के प्रति उधार नहीं लेगा ।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिये दायित्व की कुल रकम की संगणना करने में बैंक के सदस्यों की कृषि उपज या अन्य माल की प्रतिभूति पर उधार ली गयी रकम के बराबर कोई राशि इस नियम के अधीन वास्तविक दायित्व की रकम में से अपवर्जित कर दी जायेगी ।

**63. भूमि विकास बैंक की उधार लेने की शर्तें :**

भूमि विकास बैंक अपनी समादत्त शेयर पूँजी, संचित आरक्षिती तथा भवन निधियों की कुल रकम में से संचित हानियां घटाने के बाद रही कुल रकम के बीस गुने से अधिक का दायित्व उपगत नहीं करेंगें।

**64. असीमित दायित्व वाली सोसाइटियों में गैर सदस्यों के उधार और निक्षेप :**

असीमित दायित्व वाली प्रत्येक सोसाइटी समय समय पर साधारण बैठक में अधिकतम दायित्व नियत करेगी जो वह गैर सदस्यों से उधारों में या निक्षेपों के रूप में उपगत करे । इस प्रकार नियत अधिकतम दायित्व रजिस्ट्रार की मंजूरी के अधीन होगा जो किसी भी समय उसके द्वारा सोसाइटी को लिखित रूप में संसूचित किये जाने वाले कारणों से उसे घटा सकेगा और चार मास से अन्यून की ऐसी कोई कालावधि विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके भीतर भीतर सोसाइटी उसके आदेशों का पालन करेगी । ऐसी कोई भी सोसाइटी किसी गैर सदस्य से ऐसा कोई भी उधार या निक्षेप प्राप्त नहीं करेगी जिससे गैर सदस्यों के प्रति उसका दायित्व रजिस्ट्रार द्वारा मंजूर सीमा से अधिक हो जाये ।

**65. गैर सदस्यों के साथ संव्यवहारों पर निर्बन्धन :**

किसी सोसाइटी के सदस्य के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से जब रजिस्ट्रार को यह प्रतीत हो कि किसी भी सोसाइटी विशेष के कार्यकरण के हित में किसी गैर सदस्य के साथ ऐसी सोसाइटी के संव्यवहारों को विनियमित या निर्बन्धित करना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उक्त संव्यवहारों को विनियमित या निर्बन्धित करते हुये ऐसे निदेश देगा जो वह आवश्यक समझे।

**66. किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने स्वयं के शेयरों के प्रति उधार देने पर निर्बन्धन :**

कोई सोसाइटी अपने स्वयं के शेयरों की प्रतिभूति के प्रति उधार या अग्रिम नहीं देगी ।

**67. उधार वापसी की रीति :**

(1) उधार लेने वाले सदस्य के साथ हुये करार में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, किसी सोसाइटी की समिति, जब उसका यह समाधान हो जाये कि दिये गये उधार का उपयोजन उस प्रयोजन के लिये नहीं किया गया है जिसके लिये वह दिया गया था, या ऐसे उधार की शर्तों में से किसी शर्त का भंग किया गया है, ऐसे सदस्य को एक सप्ताह का नोटिस देने के पश्चात् उधार की सम्पूर्ण रकम तुरन्त वापस मांगने की हकदार होगी ।

(2) जब रजिस्ट्रार के नोटिस में यह लाया जाये कि सोसाइटी द्वारा दिये गये उधार का दुरूपयोग किया गया है या उसकी शर्तों का पालन नहीं किया गया है तो इस नियम की कोई भी बात रजिस्ट्रार को स्वप्रेरणा से उधार वापस मांगने का निदेश सोसाइटी को देने से, प्रवारित करने वाली नहीं समझी जायेगी । रजिस्ट्रार इस मामले में ऐसी जांच कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और सोसाइटी को कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात् वित्तीय बैंक से परामर्श करने के पश्चात् सोसाइटी को आवश्यक निदेश जारी कर सकेगा । रजिस्ट्रार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये निदेशों का पालन सोसाइटी द्वारा किया जायेगा ।

**68. तरल संसाधनों का संधारण :**

निक्षेप स्वीकार करने वाली और नकद साख मंजूर करने वाली प्रत्येक सोसाइटी ऐसे प्ररूप में और ऐसे मानकों के अनुसार तरल संसाधन रखेगी, जो रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत किये जायें ।

**69. लाभों का विनियोजन :**

(1) लाभ कमाने वाली सोसाइटी वर्ष के सकल लाभों में से, लेखों में प्रोद्भूत होने वाले समस्त ब्याज, जो वसूल नहीं हुआ है, स्थापना प्रभार, उधारों और निक्षेपों पर संदेय ब्याज, लेखा परीक्षा फीस, मरम्मत, भाटक, करों तथा अवक्षयपों सहित कार्यकरण व्यय घटाकर तथा डूबत ऋणों और लाभों में से सृजित किसी भी निधि के प्रति समायोजित नहीं की गयी हानियों के लिये उपबन्ध करने या उन्हें अपलिखित करने के पश्चात् शुद्ध लाभों की संगणना करेगी । तथापि, कोई सोसाइटी वर्ष के शुद्ध लाभों में, पूर्ववर्ती वर्षों में प्रोद्भूत किन्तु वास्तव में वर्ष के दौरान वसूल किये गये ब्याज को जोड़ सकेगी । इस प्रकार संगणित शुद्ध लाभ, पिछले वर्ष के अग्रनीत लाभों की रकम सहित, विनियोजन के लिये उपलब्ध रहेगा ।

स्पष्टीकरण : स्थापना प्रभार मे सोसाइटी के किसी सदस्य को उसके द्वारा की गयी सोसाइटी की सेवाओं के लिये संदत्त या संदेय पारिश्रमिक, भत्ते या मानदेय भी सम्मिलित होंगे ।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट राशियों के अतिरिक्त संवितरणीय लाभों के प्रयोजन के लिये अपने लाभ संगणित करने के पूर्व सोसाइटी द्वारा अपने लाभों में से निम्नलिखित राशियां घटा दी जायेंगी :–

(i) सोसाइटी द्वारा लिये गये उधारों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति की सम्यक् पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये, अधिनियम, इन नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन गठित किसी निक्षेप निधि या प्रत्याभूति निधि में किया जाने वाला अभिदाय, यदि कोई हो ;

(ii) अपने विनिधानों के भाग के रूप में सोसाइटी द्वारा धारित किसी भी प्रतिभूति बन्धपत्रों या शेयरों के मूल्य में अवक्षयण के लिये आवश्यक समझे गये उपबन्ध ;

(iii) सरकार या किसी वित्तीय बैंक द्वारा अभिदत्त मोचन और शेयर पूँजी के लिये किये जाने हेतु अपेक्षित कोई उपबन्ध ।

**70. शुद्ध लाभों का संवितरण :**

रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी सहकारी सोसाइटी के किसी सहकारी वर्ष के सम्बन्ध में घोषित शुद्ध लाभ निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये धारा 48 में उपवर्णित रीति से विनियोजित किये जायेंगे, अर्थात् :

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये धारा 48 में यथा उपवर्णित शुद्ध लाभ का प्रतिशत उस वर्ष विशेष के लिये सोसाइटी के लेखाओं को अन्तिम रूप देते समय आरक्षित निधि में जमा किया जायेगा ।

(ii) भूमि विकास बैंक या ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य केवल स्थावर सम्पत्तियों को बंधक रखने पर दीर्घावधि उधार देना है, से भिन्न प्रत्येक कृषि उधार सोसाइटी और ऐसे वित्तीय बैंक, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थावर सम्पत्ति को बन्धक रखने पर दीर्घावधि उधार देना है, से भिन्न प्रत्येक कृषि उधार सोसाइटी और ऐसे वित्तीय बैंक, जिनका मुख्य उद्देश्य स्थावर सम्पत्ति को बन्धक रखने पर दीर्घावधि उधार देना है, से भिन्न प्रत्येक वित्तीय बैंक अपने शुद्ध लिभों का ऐसा प्रतिशत, जिसका रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर निदेश दिया जाये, कृषि उधार स्थिरीकरण निधि के लिये रखेगा, जिसका उपयोग उधार गृहिताओं को अकाल, सूखे या ऐसी ही अन्य अनवेक्षित कारणों से उधारों का प्रतिसंदाय करने में समर्थ बनाने के लिये किया जायेगा । इस निधि का उपयोग रजिस्ट्रार की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं किया जायेगा ।

(iii) किसी सोसाइटी द्वारा सदस्यों के शेयरों पर लाभांश का संदाय प्रत्येक शेयर के समादत्त मूल्य पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक का नहीं होगा :

परन्तु सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग को साधारण या विशेष आदेश द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक दर से लाभांश का संदाय करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(iv) कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों के अनुसार अपने सदस्यों को, उन सदस्यों द्वारा सोसाइटी में किये गये कारबार की सीमा या ऐसे सदस्यों द्वारा सोसाइटी की की गई सेवाओं के मूल्य के आधार पर शुद्ध लाभ के अधिकतम 25 प्रतिशत के अधीन रहते हुये बोनस दे सकेगी :

परन्तु कोई सहकारी सोसाइटी गैर सदस्यों द्वारा किये गये कारबार पर प्रोद्भूत होने वाले बोनस के किसी भाग का उपयोग सदस्यों को बोनस का संदाय करने के लिये नहीं करेगी किन्तु इस प्रकार प्रोद्भूत सम्पूर्ण रकम आरक्षित निधि या कारबार हानि आरक्षिती में जमा करेगी ।

(v) कोई सोसाइटी, जो वैतनिक कर्मचारी नियोजित करती है, ऐसे कर्मचारियों को बोनस का संदाय कर सकेगी :

परन्तु इस प्रकार संदत्त रकम अधिकतम दो मास के मूल वेतन के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रकम से अधिक नहीं होगी, जो उसकी उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाये ।

(vi) निधियों की उपलभ्यता के अध्यधीन रहते हुये ऐसी राशि जो शुद्ध लाभों के 10 प्रतिशत से संगणित करके साधारण निकायों द्वारा विनिश्चित किये गये, पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य अर्थात् चिकित्सा सहायता, स्वच्छता, सहकारिता प्रचार, पुस्तकालय के रख रखाव और गरीबों को शिक्षा तथा सहायता करने के लिये उपयोग करने हेतु सामान्य कल्याण निधि में जमा की जा सकेगी ।

**71. बोनस और लाभांश की समकारी निधि :**

(1) कोई सोसाइटी अपने शुद्ध लाभों में से बोनस समकारीनिधि और लाभांश समकारी निधि नामक निधि का सृजन कर सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्टतः प्राधिकृत किये जाने के सिवाय, इस प्रकार सृजित निधियों का उपयोग केवल बोनस या, यथास्थिति, लाभांश का संदाय करने के लिये सोसाइटी की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा ।

(3) कोई सोसाइटी किसी भी वर्ष में लाभांश समकारी निधि में, तब तक जब तक कि उक्त निधि की कुल रकम समादत्त शेयर पूँजी की 9 प्रतिशत न हो, समादत्त शेयर पूँजी के 2 प्रतिशत से अनधिक रकम जमा कर सकेगी ।

## अध्याय–8
## लेखा परीक्षा, जांच, निरीक्षण, अधिभार

**72. लेखा परीक्षा फीस :**

(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी प्रत्येक सहकारिता वर्ष के अपने लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिये रजिस्ट्रार द्वारा, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सोसाइटियों के उस वर्ग के, जिसका वह सदस्य है, संबंध में नियत मापदण्ड के अनुसार फीस राज्य सरकार को संदत्त करेगी ।

(2) रजिस्ट्रार, सरकार द्वारा अधिकथित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा, विभागीय लेखा परीक्षकों से भिन्न, लेखा परीक्षकों के किसी पैनल के लिये विकल्प देने वाली किसी सोसाइटी के मामले में लेखा परीक्षक को पारिश्रमिक के रूप में किस प्रतिशत में ऐसी लेखा परीक्षा फीस दी जायेगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) इस नियम के अधीन संदेय फीस अधिनियम की धारा 102 में विनिर्दिष्ट रीति से वसूलीय होगा।

(4) रजिस्ट्रार, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकथित की जायें, किसी सोसाइटी विशेष या सोसाइटियों के वर्ग विशेष द्वारा उपनियम (1) के अधीन किसी भी वर्ष के या किसी

साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अन्य कालावधि के लिये संदेय फीस को संपूर्णतः या अंशतः परिहृत कर सकेगा ।

**73. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और लेखा परीक्षा करने की प्रक्रिया :**

(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किसी लेखा परीक्षक से प्रत्येक वर्ष के अपने लेखाओं की परीक्षा कराये । किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग के लिये लेखा परीक्षा के संचालन के सन्नियम ऐसे होंगे जो रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर नियत किये जायें ।

(2) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियों की लेखा परीक्षा करने के लिये, समय समय पर ऐसी कालावधि के लिये, जो वह विनिर्दिष्ट करे, लेखा परीक्षकों के तीन पृथक पृथक पैनल अर्थात् विभागीय लेखा परीक्षक, प्रमाणित लेखा परीक्षक और चार्टेड एकाउन्टेण्ट तैयार करेगा ।

(3) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये लेखा परीक्षकों के तीन पैनलों में से किसी एक के लिये विकल्प का प्रयोग करने की इच्छुक कोई सोसाइटी, उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिये लेखा परीक्षा की जानी है, के अन्तिम दिन से कम से कम एक मास पूर्व, सोसाइटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से ऐसे विकल्प से रजिस्ट्रार को सूचित करेगी ।

(4) सोसाइटी की समिति सोसाइटी की लेखापरीक्षा के लिये पैनल के विकल्प के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने के लिये सक्षम होगी । समिति द्वारा इस सम्बन्ध में लिये गये संकल्प की प्रति उपर्युक्त उपनियम (3) के अधीन रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली सूचना के साथ संलग्न की जायेगी ।

(5) रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा विकल्पित लेखापरीक्षकों के पैनल में से प्रत्येक सोसाइटी की लेखापरीक्षा करने के लिये लेखापरीक्षक या ऐसी संख्या में लेखापरीक्षक, जो वह उचित समझे, नियुक्त करेगा :

परन्तु जहॉ सोसाइटी उपनियम (3) के अधीन नियत समय के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करती है या अपने विकल्प से रजिस्ट्रार को सूचित करने में विफल रहती है, वहॉ रजिस्ट्रार यह मानते हुये तीन पैनल में से किसी में से भी लेखापरीक्षक नियुक्त कर देगा कि सोसाइटी धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन किसी भी विकल्प का प्रयोग करना नहीं चाहती है ।

स्पष्टीकरण : 1 — इस नियम के प्रयोजनों के लिये "प्रमाणित लेखापरीक्षक" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो सहकारी लेखाओं में सरकारी डिप्लोमा या सहकारिता तथा लेखाकर्म में सरकारी डिप्लोमा धारण करता है, या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने सरकार के सहकारी विभाग में किसी लेखापरीक्षक के रूप में सेवा की है और जिसका नाम प्रत्येक तीन वर्ष से कम से कम एक बार, रजिस्ट्रार द्वारा रखे गये तथा उसके द्वारा राजपत्र में प्रकाशित प्रमाणित लेखापरीक्षकों के पैनल में सम्मिलित किया गया है ।

स्पष्टीकरण : 2 — इस नियम के प्रयोजनों के लिये "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 में यथा परिभाषित कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है, और जिसका नाम प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार, रजिस्ट्रार द्वारा रखे गये तथा उसके द्वारा राजपत्र में प्रकाशित लेखा परीक्षकों के पैनल में सम्मिलित किया गया है ।

(6) समस्त मामलों में धारा 54 के अधीन लेखापरीक्षक पूर्व लेखापरीक्षा की अन्तिम तारीख के बाद से की जायेगी और लेखापरीक्षा के ठीक पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष की अन्तिम तारीख तक की जायेगी या जहॉ रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी विशेष या सोसाइटियों के वर्ग विशेष के मामले में ऐसा निदेश दे वहॉ किसी ऐसी अन्य तारीख तक, जो रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, की जायेगी ।

(7) लेखापरीक्षक, सोसाइटी को और रजिस्ट्रार को, उसके द्वारा परीक्षित लेखाओं पर और उस तारीख को यथा–विद्यमान उस कालावधि के लिये जिस तक के लेखे परीक्षित किये गये हैं, तुलनपत्र और लाभ

तथा हानि लेखे पर लेखापरीक्षा ज्ञापन रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तुत करेगा तथा यह कथन करेगा कि उसकी राय में और उसकी सर्वोत्तम जानकारी और उसे दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखाओं में अधिनियम द्वारा अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना इस प्रकार अपेक्षित रीति से है और निम्नलिखित के विषय में सही है तथा उपयुक्त जानकारी देते हैं :–

(i) तुलनपत्र के मामले में वित्तीय वर्ष के अन्त में या किसी भी अन्य पश्चात्वर्ती ऐसी तारीख को, जिस तक के लेखे तैयार है और उसके द्वारा परीक्षित किये जाते हैं, सोसाइटी के कार्यकलाप की स्थिति, और

(ii) लाभ तथा हानि लेखे के मामले में, सहकारी वर्ष के लिये या, यथास्थिति, लेखा परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली कालावधि के लिये, लाभ या हानि ।

(8) लेखापरीक्षा ज्ञापन में निम्नलिखित का उल्लेख किया जायेगा :–

(i) कि क्या लेखापरीक्षक ने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिये आवश्यक समस्त सूचनायें और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिये थे ;

(ii) कि क्या उसकी राय में अधिनियम, इन नियमों और सोसाइटी को उपविधियों द्वारा यथाअपेक्षित लेखा पुस्तकें सोसाइटी द्वारा रखी गयी हैं, जहॉ तक कि पुस्तकों की परीक्षा से प्रतीत होता है ; और

(iii) कि आया उसके द्वारा परीक्षित तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा सोसाइटी की लेखा पुस्तकों तथा विवरणियों से संगत है ।

(9) जहॉ उपनियम (8) में निर्दिष्ट मामलों में से किसी का भी उत्तर नकारात्मक हो या सशर्त हो, वहॉ लेखापरीक्षा ज्ञापन में कारणों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

(10) लेखापरीक्षा ज्ञापन में निम्नांकित के पूर्ण ब्यौरे सहित अनुसूचियां भी होंगी –

(i) वे समस्त संव्यवहार जो अधिनियम, नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के उपबन्धों के विरूद्ध प्रतीत हों ;

(ii) वे समस्त राशियां जिन्हें सोसाइटी द्वारा लेखे में दिखाया जाना चाहिये था किन्तु नहीं दिखाया गया है ;

(iii) व्यय या सोसाइटी को देय धन की वसूली में कोई भी सारभूत अनोचित्य या अनियमितता;

(iv) सोसाइटी का कोई भी धन या सम्पत्ति जो लेखापरीक्षक को अशोध्य या संदिग्ध ऋण प्रतीत हो ; और

(v) रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अन्य कोई भी मामले ।

(11) लेखापरीक्षक द्वारा तैयार किये गये लेखापरीक्षा ज्ञापन का सारांश किसी साधारण बैठक में पढ़ा जायेगा । सोसाइटी के किसी भी सदस्य द्वारा लेखापरीक्षा ज्ञापन का उसकी सहवस्तुओं सहित निरीक्षण किया जा सकेगा । तथापि, रजिस्ट्रार यह निदेश दे सकेगा कि लेखापरीक्षा ज्ञापन के किसी भी भाग को, जो उसे आपत्तिजनक या तथ्यों द्वारा अप्रमाणित प्रतीत हो, निकाल दिया जायेगा और इस प्रकार निकाले गये भाग को लेखापरीक्षा ज्ञापन का भाग नहीं समझा जायेगा।

(12) जहॉ रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखापरीक्षा ज्ञापन में ऐसे आवश्यक तथ्य और ब्यौरे अन्तर्विष्ट नहीं हैं जो सोसाइटीके कार्यकलाप की स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक हों, वहॉ वह या तो भागतः या पूर्णतः पुनः लेखापरीक्षा करने के निदेश जारी कर सकेगा जो सोसाइटी पर बाध्यकारी होंगे।

(13) रजिस्ट्रार समय समय पर ऐसा या ऐस प्ररूप विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिसमें या जिनमें लेखापरीक्षा के लिये विवरण और सूचना सोसाइटी द्वारा तैयार की जायेगी ।

(14) लेखापरीक्षक अपनी कानूनी लेखापरीक्षा समाप्त होने पर रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार उस सोसाइटी को, जिसके लेखाओं की उसने संपरीक्षा की है, लेखापरीक्षा

वर्गीकरण देगा । रजिस्ट्रार यदि वह आवश्यक समझे तो, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से लेखापरीक्षा वर्गीकरण में संशोधन कर सकेगा ।

**74. शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी द्वारा जांच के लिये की अध्यपेक्षा :**

अपनी समिति के संकल्प द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी धारा 55 के अधीन, उससे सम्बद्ध किसी भी सोसाइटी के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से उन कारणों का उल्लेख करते हुए, जिनके आधार पर जांच इप्तित है, जांच करने के लिये रजिस्ट्रार को अध्यपेक्षा कर सकेगी । ऐसी अध्यपेक्षा की प्रति उस सोसाइटी को दी जायेगी, जिसके सम्बन्ध में अध्यपेक्षा की गयी है ।

**75. जांच और निरीक्षण करने की प्रक्रिया और सिद्धान्त :**

(1) धारा 55 के अधीन जांच या धारा 56 के अधीन निरीक्षण प्राधिकृत करने के आदेश में अन्य बातों के साथ निम्नांकित अन्तर्विष्ट होगा –
   (क) जांच या निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति का नाम ;
   (ख) उस सोसाइटी का नाम, जिसके कार्यकलाप की जांच की जानी है या जिसकी पुस्तकों का निरीक्षण किया जाना है ;
   (ग) वे विनिर्दिष्ट बिन्दु, जिन पर जांच या निरीक्षण किया जाना है, वह कालावधि जिसमें जांच या निरीक्षण पूर्ण किया जाना है और रजिस्ट्रार, या, यथास्थिति, वित्तीय बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है ।
   (घ) जांच या निरीक्षण से सम्बन्धित कोई भी अन्य मामला ।

(2) धारा 55 के अधीन जांच को प्राधिकृत करने के प्रत्येक आदेश की प्रति उस शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी या सोसाइटियों को दी जायेगी जिससे वह सोसाइटी, जिसके सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है, सम्बद्ध है ।

(3) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर भीतर जांच या निरीक्षण पूर्ण नहीं किया जा सके तो जांच या निरीक्षण करने वाला व्यक्ति जांच या निरीक्षण पूर्ण करने में विफल रहने के कारणों का उल्लेख करते हुए अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा रजिस्ट्रार या निरीक्षण प्राधिकृत करने वाला वित्तीय बैंक यदि उसका समाधान हो जाये तो, जांच या निरीक्षण को पूर्ण करने के लिये इतना समय बढ़ाने की स्वीकृति दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे या वह उस अधिकारी से, जिसे यह सौंपा गया है, जांच या निरीक्षण को वापस ले सकेगा और जांच या निरीक्षण स्वयं कर सकेगा या ऐसे अन्य व्यक्ति को सौंप सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश प्राप्त होने पर जांच या निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, सोसाइटी या उसके किसी अधिकारी, सदस्य, एजेन्ट या कर्मचारी के कब्जे में की सुसंगत लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा करने की कार्यवाही आरम्भ करेगा और ऐसी जांच या निरीक्षण करने के लिये सोसाइटी के ऐसे किन्हीं भी अधिकारियों, सदस्यों, एजेन्टों या कर्मचारियों से सोसाइटी के संव्यवहारों और कार्यकरण के सम्बन्ध में ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण अभिप्राप्त करेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(5) जांच या निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति उपनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, वित्तीय बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । रिपोर्ट में उसके निष्कर्ष और जांच या निरीक्षण के दौरान उसके द्वारा अभिलिखित ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित उनके कारण अन्तर्विष्ट होंगे ।

(6) जांच करने के लिय प्राधिकृत व्यक्ति अपनी रिपोर्ट में जांच पर हुआ व्यय भी कारणों सहित विनिर्दिष्ट करेगा और रजिस्ट्रार को सिफारिश करेगा कि सोसाइटी, उस सोसाइटी, जिससे सम्बन्धित सोसाइटी सम्बद्ध है या जांच की मांग करने वाले सदस्यों या लेनदारों या सोसाइटी के अधिकारी या पूर्व अधिकारियों के बीच सम्पूर्ण व्यय या उसके किसी भाग को किस रीति से प्रभाजित किया जाये । रजिस्ट्रार सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा जो न्यायोचित समझे जायें ।

(7) उपनियम (6) के अधीन, रजिस्ट्रार द्वारा प्रभाजित जांच का व्यय भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा । रजिस्ट्रार यह निदेश दे सकेगा कि उक्त व्ययों या उनके किसी भाग का संदाय प्रथमतः सोसाइटी की निधियों में से संदत्त कर दिया जाये और तत्पश्चात् वसूल करके सोसाइटी या, यथास्थिति, लेनदार को प्रतिसंदत्त कर दिया जायेगा ।

**76. धारा 57 के अधीन अधिभार के निर्धारण की प्रक्रिया :**

(1) धारा 57 में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसी सीमा के बारे में जिस तक ऐसे किसी व्यक्ति, जिसने किसी सोसाइटी के संगठन या प्रबन्ध में कोई भाग लिया है या सोसाइटी के किसी भी मृत, भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी या कर्मचारी ने सोसाइटी के किसी धन या सम्पत्ति का दुरूपयोजन या प्रतिधारण किया हो या जो उसके लिये दायी या भागी हो या सोसाइटीके सम्बन्ध में लापरवाही या न्यास भंग किया हो या अधिनियम, इन नियमों या उपविधियों के प्रतिकूल कोई संदाय किया हो, ऐसी और जांच कर सकता है जो वह आवश्यक समझे ।

(2) उपनियम (1) के अधीन और जांच पूर्ण कर लेने के पश्चात् रजिस्ट्रार, जहॉ आवश्यक हो, संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को दुरूपयोजन, प्रतिधारण, लापरवाही या न्यास भंग के कार्यों की विशिष्टियां और उनमें अन्तर्वलित उसके या उनके दायित्वों की सीमा बताते हुये तथा उससे या उनसे नोटिस जारी किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर उसके या उनके बचाव में कथन प्रस्तुत करने की मांग करते हुये, नोटिस जारी करेगा ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट कथन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति या व्यक्तियों को दायी ठहराये जाने के लिये युक्तियुक्त आधार है, आरोप विरचित करेगा ।

(4) आरोपों के विरचित किये जाने के पश्चात् संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों से उसके या उनके बचाव में कथन प्रस्तुत करने और ऐसा दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य, जिसे वे पेश करना चाहें, उपदर्शित करने के लिये कहा जायेगा । रजिस्ट्रार ऐसा आवश्यक समझा जाने पर बाद में अन्य दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(5) तत्पश्चात् रजिस्ट्रार संबंधित सोसाइटी या व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभिलिखित करेगा और उनके द्वारा साबित दस्तावेजों को अभिलेखबद्ध करेगा तथा उसके पश्चात् दोनों पक्षकारों के तर्कों की सुनवाई के लिये तारीख नियत करेगा ।

(6) उपनियम (5) के अधीन सुनवाई के लिये नियत की गई तारीख को रजिस्ट्रार तर्क सुनेगा और उसी दिन या सुनवाई समाप्त होने की तारीख के साठ दिन के भीतर अपने द्वारा नियत किसी तारीख को अपना अन्तिम आदेश पारित कर सकेगा । उपनियम (5) के अधीन सुनवाई के लिये निश्चित तारीख को रजिस्ट्रार या तो सोसाइटी को धन का प्रतिसंदाय करने या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट दर से ब्याज सहित सम्पत्ति लौटाने या दुरूपयोजन, प्रतिधारण, लापरवाही या न्यास भंग के संबंध में ऐसी रकम का, जो अवधारित की जाये, सोसाइटी की आस्तियों में प्रतिकर के रूप में अभिदाय करने का आदेश देते हुए अन्तिम आदेश करेगा या सोसाइटी की ओर से प्रस्तुत दावे को अस्वीकार कर सकेगा ।

(7) रजिस्ट्रार अपने आदेश के इस नियम के अधीन कार्यवाही के व्यय या उक्त व्यय के किसी भाग के, जिसे वह न्यायसंगत समझे, संदाय का उपबन्ध भी कर सकेगा ।

(8) रजिस्ट्रार उपनियम (6) के अधीन अपने आदेश की एक प्रति उस तारीख के, जिसको वह अपना अन्तिम आदेश करता है, दस दिन के भीतर भीतर संबंधित पक्षकार को भेजेगा ।

(9) यदि इस नियम के अधीन कार्यवाहियों के दौरान रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति जिसके आचरण की जांच धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन की गई है, दुरूपयोजन, प्रतिधारण, लापरवाही या न्यास भंग के कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं है तो वह उसके विरूद्ध मामले को समाप्त करने का आदेश पारित कर सकेगा, और यदि उसकी यह भी राय है कि इसके लिये कोई अन्य व्यक्ति उत्तरदायी है तो वह इस सम्बन्ध में और समुचित कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये दस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को इस आशय का विस्तृत टिप्पण भेजेगा । यदि वह स्वयं सक्षम प्राधिकारी है तो वह स्वयं तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगा ।

## अध्याय–9
## विवादों का निपटारा

**77. विवाद का निर्देश :**

(1) अधिनियम की धारा 58 के अधीन किसी विवाद का निर्देश रजिस्ट्रार को प्ररूप 'ज' में लिखित में किया जायेगा । जहॉ भी आवश्यक हो, रजिस्ट्रार उसे विवाद निर्दिष्ट करने वाले पक्षकार से ऐसे निर्देश पर विचार करने के पूर्व ऐसे सुसंगत अभिलेखों की, जिन पर विवाद आधारित है और ऐसे अन्य कथनों या अभिलेखों की, जिन पर विवाद आधारित है और ऐसे अन्य कथनों या अभिलेखों की, जो उसके द्वारा अपेक्षित है, प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) जहॉ उपनियम (1) के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन यह विनिश्चित करे कि विवाद को मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिये निर्देशित किया जाये, वहॉ रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को निर्देश किया जायेगा जो या तो राजस्थान राज्य या अधीनस्थ सहकारी सेवा का सेवारत या कोई सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी या राजस्थान राज्य सेवाओं का कोई अन्य सेवारत अधिकारी या सम्बन्धित सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों से अवगत कोई भी अन्य विधि विशेषज्ञ होगा ।

**78. विवादों की सुनवाई और विनिश्चय की प्रक्रिया :**

(1) जहॉ कोई विवाद विनिश्चय के लिये किसी भी व्यक्ति या मध्यस्थ को धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन निर्दिष्ट किया जाये और उसके द्वारा तीन मास के भीतर या ऐसी और कालावधि के भीतर जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुज्ञात की जाये, को विनिश्चित नहीं किया जाये वहॉ रजिस्ट्रार उस विवाद को उससे वापस ले सकेगा और विवाद का विनिश्चय या तो स्वयं कर सकेगा या उसे पुनः किसी व्यक्ति या मध्यस्थ को पुनः निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या विनिश्चय करने वाला अन्य व्यक्ति विवाद के पक्षकारों के और उपस्थित होने वाले साक्षियों का साक्ष्य हिन्दी में अभिलिखित करेगा तथा इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर और पक्षकारों द्वारा पेश किये गये किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् ऐसे रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति द्वारा न्याय, साम्या और शुद्ध अन्तःकरण के अनुसार विनिश्चत् या, यथास्थिति, पंचाट दिया जायेगा । दिया गया विनिश्चय या पंचाट लिख लिया जायेगा । ऐसा विनिश्चय या पंचाट या तो तत्काल ही या भविष्य की किसी ऐसी तारीा को, जिसकी सम्यक् सूचना पक्षकारों को दी जायेगी, घोषित किया जायेगा ।

(3) जब कार्यवाहियों में उपस्थित होने के लिये समुचित रूप से समनित कोई भी पक्षकार उपसंजात होने में विफल रहे तो विवाद को एकपक्षीय रूप से विनिश्चित किया जा सकेगा ।

(4) मध्यस्थ या धारा 60 के अधीन प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी पंचाट, या विनिश्चय या पारित कोई आदेश उसके दिये या पारित किये जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर विवाद के समस्त कागज–पत्र और कार्यवाहियों सहित उसके द्वारा रजिस्ट्रार को भेजा जायेगा ।

**79. विवादों के सम्बन्ध में समन, नोटिस और तारीख, स्थान आदि नियत करना :**

(1) रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अन्य व्यक्ति विवाद की सुनवाई के लिये नियत तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व निम्नलिखित की अपेक्षा करते हुये समन या नोटिस जारी कर सकेगा :–

(i) विवाद के पक्षकारों और साक्षियों की, यदि कोई हों, उपस्थिति, और

(ii) विवाद के विषय में संबंधित समस्त पुस्तकों और दस्तावेजों का पेश किया जाना ।

(2) रजिस्ट्रार या मध्यस्थ या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किये गये समन या नोटिस तहसीलदार या सहकारी विभाग या किसी शीर्ष या केन्द्रीय प्राथमिक सोसाइटी के किसी कर्मचारी के माध्यम से या सोसाइटी के अध्यक्ष या सचिव के माध्यम से या रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील कराये जा सकेंगे । प्रत्येक

व्यक्ति या सोसाइटी, जिसे समन या नोटिस तामील के लिये भेजे जायें, उनकी तामील युक्तियुक्त समय के भीतर कराने के लिये बाध्य होगी ।

(3) ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें समन या नोटिस तामील कराये गये हैं, समन या नोटिस तामील कराने वाले अधिकारी मूल समन या नोटिस पर वह समय, जिसमें और वह रीति, जिससे समन या, यथास्थिति, नोटिस की, तामील करायी गयी थी तथा तामील किये गये व्यक्ति को पहचानने वाले और समनों या नोटिसों के परिदान या निविदान के साक्षी व्यक्ति (यदि कोई हो) का नाम और पता बताते हुये विवरणी पृष्ठांकित या उपाबद्ध करेंगे या करायेंगें ।

(4) समन या नोटिस जारी करने वाला अधिकारी तामील कराने वाले अधिकारी की शपथ पर परीक्षा कर सकेगा या उस तहसीलदार या अन्य अधिकारी के द्वारा, जिसके माध्यम से उसकी तामील करायी गयीहो, परीक्षा करा सकेगा और मामले में ऐसी और जांच कर सकेगा जो वह ठीक समझे, और या तो यह घोषणा करेगा कि समन, या यथास्थिति, नोटिस की, सम्यक् रूप से तामील हो गयी है या उसकी ऐसी रीति से, जिसे वह ठीक समझे, तामील कराने का आदेश देगा ।

**80. विवादों के विनिश्चय पर हुये व्यय का संदाय :**

(1) जहॉ विवाद, धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रार या मध्यस्थ या किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया गया हो, वहॉ रजिस्ट्रार विवाद निर्दिष्ट करने वाले पक्षकार या पक्षकारों से ऐसी राशि, जो उसकी राय में व्ययों की पूर्ति करने के लिये आवश्यक हो, रजिस्ट्रार या किसी भी व्यक्ति या मध्यस्थ की फीस को सम्मिलित करते हुये, जमा कराने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार या मध्यस्थ या किसी भी व्यक्ति को विवादों को अवधारित करने की फीस और व्यय का संदाय सोसाइटी द्वारा उसकी निधियों में से या विवाद के ऐसे पक्षकार या पक्षकारों द्वारा, जिन्हें वह ठीक समझे, उपनियम (1) के अधीन जमा करायी गयी रकम को देखते हुये, रजिस्ट्रार द्वारा अधिकथित मानदण्ड के अनुसार किये जाने का आदेश करने की शक्ति होगी ।

(3) रजिस्ट्रार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे या मध्यस्थ या किसी भी व्यक्ति को संदत्त की जाने वाली फीस और व्ययों का मानदण्ड विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

## अध्याय–10
## सोसाइटियों का परिसमापन और विघटन

**81. समापक द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :**

जहॉ धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन कोई समापक नियुक्त किया गया हो, वहॉ निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी, अर्थात् :–

(1) समापक की नियुक्ति रजिस्ट्रार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जायेगी ।

(2) समापक धारा 61 के अधीन आदेश जारी हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र सम्पूर्ण सम्पत्ति, चीजबस्त और अनयोज्य दावे तथा सोसाइटी के कारबार से सम्बन्धित पुस्तके, अभिलेख, नकदी और दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा तथा नियंत्रण में ले लेगा और उन्हें अपनी अभिरक्षा तथा नियंत्रण में रखे रहेगा।

(3) समापक ऐसे माध्यम द्वारा, जिसे वह उचित समझे, एक नोटिस प्रकाशित करायेगा, जिसमें ऐसे नोटिस के प्रकाशन के दो मास के भीतर भीतर सोसाइटी के विरूद्ध समस्त दावों को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जायेगी । उक्त सोसाइटी की लेखा पुस्तकों में अभिलिखित समस्त दायित्वों को स्वयंमेव ही इस खण्ड के अधीन उसे सम्यक् रूप से प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा ।

(4) समापक सोसाइटी की उस तारीख को यथा विद्यमान आस्तियों और दायित्वों का, जिसको धारा 61 के अधीन उसके परिसमापन का आदेश किया गया था, निश्चय करने के पश्चात्, उसके प्रत्येक सदस्य, भूतपूर्व सदस्य द्वारा या मृतक सदस्य के नामनिर्देशिति दों, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों की संपदाओं द्वारा या किन्हीं भी अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा धारा 64 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ड.) के अधीन सोसाइटी की आस्तियों में किये जाने वाला अभिदाय अवधारित करने के लिये आगे की कार्यवाही करेगा । यदि फिर भी आवश्यकता उत्पन्न हो तो वह, उक्त अभिदायों के लिय सहायक आदेश भी तैयार कर सकेगा

और ऐसे आदेश तथा मूल आदेश धारा 100 के अधीन प्रवर्तनीय होंगे ।

(5) समापक रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप में, जिनकी रजिस्ट्रार अपेक्षा करे, सोसाइटी के परिसमापन में हुई प्रगति दर्शित करते हुये त्रैमासिक रिपोर्ट और अन्य विवरणियां तथा विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(6) समापक साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर से संग्रहण करने और विधिमान्य रसीद देने के लिये लिखित रूप में सशक्त कर सकेगा ।

(7) समापक के प्रभार में की समस्त निधियां सरकारी खजाने में या डाकखाने के बचत खाते में या वित्तीय बैंक में या अन्य ऐसे बैंक या व्यक्ति के पास, जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित हो, जमा करायी जायेंगी और समापक के नाम जमा रहेंगी ।

(8) धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन नियत समापक के पारिश्रमिक को परिसमापन के व्यय में सम्मिलित किया जायेगा जो सोसाइटी की आस्तियों में से अन्य समस्त दावों की अपेक्षा पहले संदेय होगा ।

(9) समापक को समय समय पर सोसाइटी के सदस्यों की बैठक बुलाने की शक्ति होगी ।

(10) समापक ऐसी पुस्तकें और लेखे रखेगा जो समय समय पर रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित हों, तथा रजिस्ट्रार किसी भी समय ऐसी पुस्तकों और लेखाओं की परीक्षा करवा सकेगा ।

(11) यदि समापक की राय में सोसाइटी के पुनरूज्जीवन के सफल होने का युक्तियुक्त अवसर हो तो वह उसके पुनरूज्जीवन के लिये रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । रजिस्ट्रार ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह धारा 61 की उपधारा (2) के अधीन उचित समझे ।

(12) परिसमापन के अन्त में सोसाइटी की साधारण बैठक बुलायी जायेगी जिसमें समापक या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति अपनी कार्यवाहियों के परिणाम या संक्षेपण करेगा और नियम 58 के उपनियम (2) में विहित रीति से किन्हीं अतिरिक्त निधियों के व्ययन के लिये मत लेगा :

परन्तु जहॉ समापक के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी साधारण बैठक नहीं बुलायी जा सकती हो वहॉ वह अपनी अन्तिम रिपोर्ट में उसके कारण अभिलिखित करेगा और अतिशेष निधि को समापन निधि में जमा करायेगा ।

(13) यदि दावेदारों का पता ज्ञात न होने के कारण या किसी भी अन्य कारण से समापक द्वारा किसी भी दायित्व का उन्मोचन नहीं किया जा सके तो ऐसे अनुन्मोचित दायित्व की रकम वित्तीय बैंक में जमा करवायी जा सकेगी और सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों के दावों की पूर्ति के लिये उपलब्ध रहेगी । ऐसी रकम के जमा कराये जाने की तारीख से तीन वर्ष समाप्त हो जाने पर रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या वित्तीय बैंक के आवेदन पर यह निदेश देते हुये आदेश पारित कर सकेगा कि उक्त रकम नियम 67 के उपनियम (2) में उपबन्धितानुसार उपयोग में ली जायेगी :

परन्तु रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उसने सोसाइटी के संचालन में समाविष्ट ग्राम या ग्रामों में डोंडी पिटवाकर या राजपत्र में प्रकाशन करवाकर या किसी भी अन्य साधन द्वारा, जिसे वह उपयुक्त समझे, उक्त आदेश पारित करने के अपने आशय की सूचना प्रकाशित न कर दी कहो और ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि समाप्त न हो गयी हो ।

(14) समापक को, रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकेगा और इस प्रकार हटाये जाने पर वह परिसमापित की जाने के लिये आदिष्ट सोसाइटी से संबंधित सम्पूर्ण सम्पत्ति, चीजबस्त, अनुयोज्य दावे, पुस्तकें, अभिलेख, नकद और अन्य दस्तावेजों को वह ऐसे व्यक्ति को सौंप देने के लिये बाध्य होगा, जिसके लिये रजिस्ट्रार निदेश करे ।

(15) जिस सोसाइटी के लिये धारा 63 के अधीन समापक नियुक्त किया गया है उसके कार्यकलाप परिसमापित होने और धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द किये जाने का आदेश दे देने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, समापक परिसमापित सोसाइटी की समस्त पुस्तक तथा अभिलेख और अपने स्वयं के समस्त कागज–पत्र तथा कार्यवाहियों का विवरण स्वयं द्वारा किये गये व्ययों के लेखे सहित, यह दर्शित करते हुये

कि अतिशेष का व्ययन किस प्रकार किया गया है और उस व्यक्ति की रसीद, जिसे कि वह सौंपी गयी थी, रजिस्ट्रार को भेजेगा ।

(16) जिस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया है, उसकी समस्त पुस्तकों और अभिलेखों की तथा समापन की कार्यवाहियों की, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने वाले आदेश की तारीख से दो वर्ष अवसित होने के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा छंटाई की जा सकेगी ।

**82. समापन के अधीन की किसी सोसाइटी द्वारा देय रकमों पर ब्याज :**

जिस सोसाइटी को परिसमापित किया जा रहा है, उसका लेनदार सोसाइटी द्वारा देय किसी भी ऋण पर, रजिस्ट्रार द्वारा परिसमापन किये जाने के आदेश की तारीख तक के ब्याज का संदाय करने के लिये समापक को आवेदन कर सकेगा । राजस्थान राज्य सहकारी बैंक या किसी वित्तीय बैंक के मामले में जो ब्याज संदत्त किया जायेगा उसकी दर सोसाइटियों का वित्त पोषण करने के लिये रजिस्ट्रार द्वारा अनुमत संविदा दर होगी और किसी भी अन्य मामले में रजिस्ट्रार द्वारा नियत होगी जो संविदा दर से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि शेयरों के दायित्वों को सम्मिलित करते हुये, समस्त दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई आस्तियां बचें तो ऐसे ऋणों पर रजिस्ट्रार द्वारा नियत की जाने वाली किन्तु संविदा दर से अनधिक किसी दर से और ब्याज उपयुक्त तारीख से लगाकर मूलधन के प्रतिसंदाय की तारीख तक लेनदारों का अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

# अध्याय–11
# भूमि विकास बैंक

**83. भूमि विकास बैंकों से उधार लेने के लिये आवेदन प्रस्तुत करने तथा उन पर विचार करने की प्रक्रिया:**

(1) भूमि विकास बैंक से उधार लेने के लिये समस्त आवेदन रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत किये जायेंगे । प्ररूप में अन्य बातों के साथ साथ ऐसी सभी दस्तावेजों की सूची होगी, जिन्हें आवेदन पर कार्यवाही करने के प्रयोजनों के लिये प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

(2) प्रत्येक भूमि विकास बैंक ऋण के आवेदनों के प्ररूपों की पर्याप्त संख्या में मुद्रित प्रतियां रखेगा और आशयी उधार लेने वाले को उनका प्रदान ऐसी फीस का संदाय करने पर करेगा जो कि राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाये ।

(3) प्रत्येक भूमि विकास बैंक समय समय पर ऐसे अधिकारी का (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् प्रापक कहा गया है) नाम, पदनाम तथा पता विनिर्दिष्ट करेगा जो आशयी उधार लेने वाले से समस्त उधार आवेदन प्राप्त करेगा ।

(4) आवेदक द्वारा, आवश्यक दस्तावेजों तथा रजिस्ट्रार के अनुमोदन से राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट समस्त फीस की रकम तथा बैंक के एक शेयर के मूल्य के समतुल्य निक्षेप सहित आवेदन प्रापक अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा ।

(5) ऋण के लिये कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्रापक अधिकारी आवेदन पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा और अपना पदनाम तथा प्राप्त होने की तारीख का उल्लेख करेगा ।

(6) उधार के आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रापक अधिकारी इसका सत्यापन करेगा कि आया उसमें सभी आवश्यक विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हैं और उसके साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं। यदि किन्हीं विवरणों की कमी हो तो वह आवेदक से आवेदन की पूर्ति करायेगा ।

(7) प्रत्येक आवेदन भूमि विकास बैंक से उधारों के लिये आवेदनों के प्रापक अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में तिथि क्रम से प्रविष्ट किया जायेगा तथा उसी क्रम से उन पर कार्यवाही की जायेगी ।

(8) भूमि विकास बैंक से उधारों के लिये आवेदनों के रजिस्टर में आवेदन की प्रविष्टि हो जाने के तुरन्त पश्चात् प्रापक अधिकारी उसे सहकारी सोसाइटियों के उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को अग्रेषित

कर देगा, जिसकी अधिकारिता में वह भूमि जिसके सम्बन्ध में आवेदन किया गया है, स्थित है (वह अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये विहित व्यक्ति होगा जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् लोक जांच अधिकारी कहा गया है) लोक जांच अधिकारी समस्त हितबद्ध व्यक्तियों से उधार के सम्बन्ध में अपने आक्षेप, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुये प्ररूप (ञ) में कम से कम 8 दिन का नोटिस देगा । नोटिस डोंडी पिटवाकर भी दिया जायेगा और उस ग्राम की चौपाल पर जहॉ आवेदक रहता है तथा जिसकी सीमाओं में सुधार के लिये प्रस्तावित या उधार के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली भूमि या भूमियां स्थित है, चिपकाया जायेगा । नोटिस की प्रति सम्बन्धित भूमि विकास बैंक के मुख्य कार्यालय तथा सम्बन्धित शाखा कार्यालय, यदि कोई हो, में और नोटिस देने वाले व्यक्ति के कार्यालय में, यदि कोई हो, प्रदर्शित की जायेगी । यदि कोई हितबद्ध व्यक्ति पूर्वोक्त नोटिस में उल्लिखित या अपेक्षित रीति से उपसंजात होने में विफल रहता है तो विवादास्पद प्रश्न का विनिश्चय उसकी अनुपस्थिति में कर दिया जायेगा और ऐसे व्यक्तियों का उस सम्पत्ति पर, जिसके कि विरूद्ध आवेदित उधार मंजूर किया जायेगा, ऐसी अवधि तक जब तक कि उधार लेने वाले द्वारा उधार, उस उधार पर ब्याज या उधार से उद्‌भूत अन्य देयों सहित, पूरी तरह संदत्त न कर दिया जाये, किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं होगा ।

(9) लोक जांच अधिकारी धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक आक्षेप पर विचार करेगा और तब लोक जांच अधिकारी आवेदनों को उनके निपटारे के दो दिन के भीतर भीतर सम्बन्धित भूमि विकास बैंक को अग्रेषित करेगा । यदि लोक जांच अधिकारी आवेदन को दो दिन के भीतर भीतर अग्रेषित करने में असमर्थ हो तो उसके कारण बताते हुये रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा और उसके बाद वह रजिस्ट्रार द्वारा उसे जारी किये गये निदेशों के अनुसार कार्य करेगा ।

(10) भूमि विकास बैंक आवेदनों की जांच के लिये जांच अधिकारी (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् जांच अधिकारी कहा गया है) नियुक्त कर सकेगा । जांच अधिकारी उस भूमि को, जिसका सुधार करने का प्रस्ताव किया गया है और प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत भूमियों और अन्य सम्पत्ति को वस्तुतः देखकर जांच करेगा । वह अपनी जांच रजिस्ट्रार के अनुमोदन से राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा विहित किये जाने वाले प्ररूप में करेगा ।

(11) जांच अधिकारी ऐसी अन्य जांच भी कर सकेगा जो आवश्यक हो और भूमियों का मूल्यांकन ऐसे फार्मूले के अनुसार करेगा जो राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा रजिस्ट्रार के अनुमोदन से समय समय पर अधिकथित किया जाये, आवेदक की प्रतिसंदाय क्षमता का अनुमान लगायेगा और प्रस्तावित सुधार की संभाव्यता और उपयोगिता की परीक्षा करेगा । इसके पश्चात् वह यह बताते हुये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि आवेदक को कितनी रकम का उधार किस प्रतिभूति पर और किस प्रयोजन के लिये स्वीकृत किया जाये तथा वह कालावधि बतायेगा जिसमें उससे उसकी वसूली की जा सकेगी । जांच अधिकारी अपनी जांच उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर भीतर अपनी जांच पूरी करने में असमर्थ रहता है तो वह एक रिपोर्ट उसमें उसके कारणों को बताते हुये रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा और उसके पश्चात् वह ऐसे निदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो रजिस्ट्रार द्वारा उसे दिये जायें ।

(12) जांच पूरी होने के पश्चात् आवेदन जांच अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों सहित भूमि विकास बैंक को अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जायेगा :–

(क) बकाया सरकारी देयों के संबंध में प्रमाण–पत्र ।

(ख) अन्य कोई भी सुसंगत प्रमाण–पत्र ।

(13) उपनियम (12) के अधीन, जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भूमि विकास बैंक स्वयं का यह समाधान करेगा कि जांच समुचित रूप से की गई है । यदि कोई कमियां पाई जायें तो बैंक उन्हें तुरन्त पूरी करायेगा ।

(14) भूमि विकास बैंक तब ऐसी और छानबीन कर सकेगा जो आवश्यक हो और 30 दिन के भीतर भीतर या तो राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा दी गयी शक्ति की सीमा तक अन्तिम आदेश पारित कर सकेगा या राज्य भूमि विकास बैंक को सिफारिश कर सकेगा । तत्पश्चात् 7 दिन के भीतर भीतर आवेदक को विनिश्चय की सूचना भेज दी जायेगी । राज्य भूमि विकास बैंक ऐसी और छानबीन भी कर सकेगा जो आवश्यक हो और आवेदन की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर भीतर अन्तिम आदेश पारित कर सकेगा । यदि अन्तिम आदेश 30 दिन के भीतर भीतर पारित नहीं किया जाता है तो भूमि विकास बैंक या, यथास्थिति, राज्य भूमि विकास बैंक रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट उसमें उसके कारण बताते हुये प्रस्तुत करेगा तथा उसके बाद, रजिस्ट्रार द्वारा उसे दिये गये निदेशों के अनुसार कार्य करेगा ।

(15) भूमि विकास बैंक द्वारा प्राप्त समस्त आवेदनों का निपटारा बैंक द्वारा अधिकतम चार मास की कालावधि के भीतर भीतर कर दिया जायेगा । यदि बैंक उधार के किसी आवेदन का निपटारा चार मास की कालावधि के भीतर भीतर करने में असमर्थ रहे तो वह रिपोर्ट रजिस्ट्रार को उसके कारण उसमें बताते हुये, प्रस्तुत करेगा और उसके बाद बैंक रजिस्ट्रार द्वारा उसे दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा ।

(16) उधार के आवेदनों के अस्वीकृत हो जाने की दशा में, उसके कारण बैंक द्वारा आवेदक को सूचित किये जायेंगे । जब उधार स्वीकृत कर दिया गया हो तो बैंक उधार की स्वीकृति से सम्बन्धित, किस्तों के संदाय, भूमि सुधार की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और बाद की किस्तें मुक्त करने से सम्बन्धित निबन्धन और शर्तें अधिकथित करेगा । भूमि विकास बैंक, आवेदक को बैंक के मुख्य कार्यालय या शाखा कार्यालय में बंधक विलेख के निष्पादन के लिये प्रथमतः और तत्पश्चात् उधार या उसकी प्रथम किस्त प्राप्त करने के लिये, नियत की जाने वाली तारीख को, उपस्थित रहने को कहेगा । तत्पश्चात् कथित तारीख साधारणतः आवेदक को उधार की स्वीकृति की संसूचना देने की तारीख से 15 दिन से बाद की नहीं होगी ।

(17) आवेदक, जब उधार या उसकी प्रथम किस्त की रकम प्राप्त करे तो, बैंक के इतनी मात्रा में शेयर क्रय करेगा जो बैंक की उपविधियों के अधीन अपेक्षित हों । भूमि विकास बैंक आवेदक को उसके द्वारा समय समय पर संदत्त रकमों का पूर्ण विवरण देते हुये रसीद जारी करेगा ।

(18) इस नियम में विनिर्दिष्ट किन्ही भी समय सीमाओं के पालन में विफलता से भूमि विकास बैंक द्वारा या राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा उधारों की स्वीकृति की विधिमान्यता किसी भी प्रकार संभावित नहीं होगी ।

**84. धारा 78 के अधीन लिखतों की प्रतियों का रजिस्ट्रीकरण :**

धारा 78 में निर्दिष्ट लिखतों की, भूमि विकास बैंक के शाखा प्रबन्धक/सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रतियां भूमि विकास बैंक द्वारा, लिखतों के निष्पादन की तारीख के तीन मास के भीतर भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक से या व्यक्तिशः सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जायेंगी ।

**85. धारा 89 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिये भूमि विकास बैंक को प्राधिकार :**

(1) रजिस्ट्रार द्वारा, भूमि विकास बैंक को धारा 89 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिये प्राधिकार संबंधित बन्धककर्त्ता या बन्धकर्त्ताओं के, यदि कोई हो, सुनने के दिया जायेगा ।

**86. प्रापक की नियुक्ति और धारा 89 के अधीन उसकी शक्तियां :**

(1) राज्य भूमि विकास बैंक, किसी भूमि विकास बैंक के आवेदन पर और उन परिस्थितियों में, जिनमें धारा 89 के द्वारा प्रदत्त विक्रय करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा, किसी भी व्यक्ति को लिखित रूप से बन्धकित सम्पत्तियां या उसके किसी भाग के उत्पाद और आय का प्रापक नियुक्त कर सकेगा और ऐसा प्रापक या तो सम्पत्ति का कब्जा लेने या, यथास्थिति, उसके उत्पाद और आय का, संग्रहण करने, उसके द्वारा वसूल किये किसी भी धन में से, राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा नियत उसके पारिश्रमिक यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुये, उसके प्रबन्ध व्यय का प्रतिधारण करने और अतिशेष को सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 69–क की उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार उपयोजित करने का हकदार होगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किसी प्रापक को पर्याप्त हेतुक होने पर और बन्धककर्ता द्वारा किये गये आवेदन पर, राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा हटाया जा सकेगा ।

(3) प्रापक के पद की कोई रिक्ति राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा भरी जा सकेगी ।

(4) जहॉ बन्धकित सम्पत्ति सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी प्रापक के कब्जे में पहले से है, वहॉ इस नियम की कोई भी बात राज्य भूमि विकास बैंक को प्रापक नियुक्त करने के लिये सशक्त नहीं करेगी ।

**87. धारा 89 के अधीन विक्रय अधिकारी की नियुक्ति, अर्हतायें और शक्तियां तथा कृत्य :**

भूमि विकास बैंक, धारा 89 के अधीन बन्धकित सम्पत्ति को बेचने के प्रयोजन के लिये रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, उसकी समिति के संकल्प द्वारा अपने किसी अधिकारी को या किसी भी अन्य व्यक्ति को समय समय पर विक्रय अधिकारी नियुक्त कर सकेगा । ऐसा विक्रय अधिकारी इन नियमों के अधीन वसूली अधिकारी और विक्रय अधिकारी को प्रदत्त की गयी शक्तियों और कृत्यों के समान ही शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा ।

**88. बन्धकित भूमि के उत्पाद के करस्थम और विक्रय की तथा बन्धकित सम्पत्ति के विक्रय की प्रक्रिया:**

नियम 94 में अधिकथित प्रक्रिया धारा 88 और 89 के अधीन बन्धकित भूमि के उत्पाद के करस्थम् और विक्रय तथा बन्धकित सम्पत्ति के विक्रय के लिये यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी :

परन्तु बन्धकित सम्पत्ति के विक्रय के मामले में, बन्धक धन या, यथास्थिति, उसके भाग के संदाय के लिये भाग का नोटिस तथा अनुज्ञात समय के भीतर भीतर संदाय न करने की दशा में, बन्धकित सम्पत्ति के विक्रय का नोटिस भी बन्धककर्ता या बन्धककर्ताओं में से प्रत्येक पर तथा निम्नलिखित व्यक्तियों पर भी तामील किया जायेगा, अर्थात् :

(i) जहॉ तक बैंक को ज्ञात है ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसका बन्धकित सम्पत्ति में या उसके मोचन के अधिकार में या उस पर कोई हित या भार है ;

(ii) बन्धकित ऋण या उसके किसी भाग के संदाय के लिये कोई प्रतिभू ; और

(iii) बन्धककर्ता का ऐसा कोई लेनदार जिसने उसकी सम्पदा के प्रशासन के किसी वाद में, बन्धकित सम्पत्ति के विक्रय के लिये डिक्री प्राप्त कर ली है ।

निर्दिष्ट मांग नोटिस में बन्धक धन या उसके भाग के संदाय समय, नोटिस तीन मास से कम का नहीं होगा ।

**89. परिस्थितियां जिनके अधीन राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी धारा 89 के अधीन कार्यवाही कर सकेगा :**

(1) यदि कोई भूमि विकास बैंक धारा 85 या 88 या धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन व्यतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही करने में विफल रहे तो राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा पूर्ववर्ती से सात दिन की कालावधि के भीतर भीतर आवश्यक कार्यवाही करने और अनुपालना रिपोर्ट देने की अपेक्षा कर सकेगा । यदि अनुपालन की कोई रिपोर्ट प्राप्त न हो तो राज्य भूमि विकास बैंक पूर्वोक्त धारा और उपधारा में उपदर्शित आवश्यक कार्यवाही स्वयं कर सकेगा ।

(2) जहॉ व्यतिक्रमी के विरूद्ध भूमि विकास बैंक द्वारा या राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है, वहॉ न्यासी उनसे सात दिन के भीतर भीतर आवश्यक कार्यवाही करने और अनुपालन की रिपोर्ट देने की अपेक्षा कर सकेगा । यदि अनुपालन की ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो तो न्यासी आवश्यक कार्यवाही स्वयं कर सकेगा ।

**90. धारा 90 के अधीन विक्रय की पुष्टि के लिये रिपोर्ट प्रस्तुत करना :**

(1) जब बन्धकित सम्पत्ति का विक्रय भूमि विकास बैंक द्वारा, धारा 89 के अधीन कर दिया गया हो और क्रेता से क्रय की रकम प्राप्त हो गयी हो तो बैंक, धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित विक्रय की रिपोर्ट राज्य भूमि विकास बैंक और रजिस्ट्रार को तुरन्त ही प्रस्तुत करेगा ।

(2) जब बन्धकित सम्पत्ति का विक्रय धारा 89 के अधीन, राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी द्वारा किया गया हो और क्रेता से क्रय की रकम प्राप्त हो गयी हो तो, राज्य भूमि विकास बैंक या, यथास्थिति, धारा 90 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित विक्रय की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को तुरन्त देगा ।

(3) उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में अन्य ब्यौरे के साथ साथ निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा :–

(क) उन परिस्थितियों का संक्षिप्त लेखा जिनके कारण विक्रय करना आवश्यक हो गया ;

(ख) धारा 89 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क), (ख) और (ग) के उपबन्धों का किस प्रकार अनुपालन किया गया है, यह दर्शित करते हुये पूर्ण ब्यौरा ;

(ग) नियम 94 में स्थावर सम्पतित के विक्रय के लिये अधिकथित प्रक्रिया का किस प्रकार अनुसरण किया गया है, यह दर्शित करते हुये पूर्ण ब्यौरा ;

(घ) विक्रय अधिकारी का नाम ;

(ड.) विक्रय का स्थान ;

(च) विक्रय की तारीख ;

(छ) विक्रीत सम्पत्ति का वर्णन ;

(ज) क्रेता का नाम और उसका पता ;

(झ) वसूल किया गया मूल्य ;

(ञ) विक्रय पर हुआ परिव्यय ; और

(ट) क्रेता से क्रय धन की प्राप्ति की तारीख ।

(4) राज्य भूमि विकास बैंक या रजिस्ट्रार भूमि विकास बैंक से कोई भी स्पष्टीकरण, जो आवश्यक समझा जाये, मांग सकेगा और वह स्वयं का समाधान करेगा कि विक्रय समुचित ढंग से किया गया है तथा भूमि विकास बैंक स्पष्टीकरण तुरन्त देगा । इसी प्रकार रजिस्ट्रार राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी से उसी प्रयोजन के लिये कोई स्पष्टीकरण मांग सकेगा और राज्य भूमि विकास बैंक, या यथास्थिति, न्यासी द्वारा ऐसा स्पष्टीकरण तुरन्त दिया जायेगा ।

**91. क्रय का प्रमाण पत्र :**

धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र प्ररूप "ञ" में होगा ।

**92. किसी भूमि विकास बैंक द्वारा क्रय की गयी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय :**

(1) भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक, जिसने अधिनियम के अध्याय 12 के अधीन विक्रीत किसी भी स्थावर सम्पत्ति का क्रय किया है, जब कि न्यासी द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाये, बैंक के सर्वाधिक हित में सम्पत्ति का विक्रय यथासंभव शीघ्र करने के पूर्ण प्रयास करेगा । विक्रय क्रय की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर भीतर या ऐसी और कालावधि के भीतर भीतर जो न्यासी द्वारा अनुज्ञात की जाये, लोक नीलाम द्वारा किया जायेगा ।

(2) ऐसे लोक नीलाम की तारीख और स्थान को निम्न प्रकार से कम से कम तीस दिन पूर्व अधिसूचित किया जायेगा :–

(क) एक या अधिक स्थानीय समाचारपत्रों में सम्पत्ति के विक्रय का, पूर्ण ब्यौरा देते हुये, विज्ञापन देकर :–

(ख) उस ग्राम में, जहॉ सम्पत्ति स्थित है, डोंडी पिटवाकर विक्रय की उद्घोषणा कराके :

(ग) विक्रय नोटिस का प्रकाशन निम्नलिखित स्थानों पर कराके –

(i) ग्राम चौपाल, पंचायत और ग्राम के किसी सहजदृश्य स्थान पर,

(ii) सम्बन्धित तहसीलदार के कार्यालय में,

(iii) भूमि विकास बैंक और उसकी संबंधित शाखा के कार्यालय में, और

(iv) संबंधित उप–सहायक रजिस्ट्रार के प्रधान कार्यालय में ।

विक्रय रजिस्ट्रार द्वारा पुष्टि के अध्यधीन होगा ।

**93. अधिनियम के अध्याय 12 के अधीन स्थावर सम्पत्ति के विक्रय पर नियम 24 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना :**

(1) अधिनियम के अध्याय 12 के अधीन स्थावर सम्पत्ति के विक्रय पर नियम 94 के उपनियम (11) के खण्ड (ग),(च),(छ),(ज),(झ),(ञ) तथा (ट) के साथ उपनियम (12),(13) तथा (14) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(2) ऐसे विक्रय या प्रयतित विक्रय से आनुषंगिक व्यय, रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त समय समय पर अधिकथित मापमान के अनुसार संगणित किये जावेंगे ।

## अध्याय–12
## अधिनिर्णयों, डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन

**94. अधिनिर्णयों आदि के निष्पादन की प्रक्रिया :**

(1) कोई भी डिक्रीधारक या रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, जिसे इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है धारा 100 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपबन्धों को लागू किये जाने की अपेक्षा करते हुये, उस वसूली अधिकारी को आवेदन करेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर व्यतिक्रमी निवास करता है या व्यतिक्रमी की सम्पत्ति स्थित है:

परन्तु वसूली अधिकारी वसूली प्रक्रिया प्रथमतः मूल उधार लेने वाले के विरूद्ध आरम्भ करेगा और जहॉ उसका यह समाधान हो जाता है कि मूल उधार लेने वाले से लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऋण या मांग का वसूल किया जाना कठिन है वहॉ वह उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करेगा, जिसने ऐसे ऋण या मांग के प्रतिसंदाय के लिये प्रत्याभूति निष्पादित की है ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जायेगा और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा उसके साथ ऐसी फीस होगी जो रजिस्ट्रार द्वारा साधारण या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट की जाये । आवेदक यह उपदर्शित कर सकेगा कि क्या वह डिक्री धारक के पास बंधकित स्थावर सम्पत्ति या अन्य स्थावर सम्पत्ति के विरूद्ध कार्यवाही करवाने का या जंगम सम्पत्ति की कुर्की करवाने का इच्छुक है ।

(3) उक्त आवेदन प्राप्त होने पर या जब रजिस्ट्रार नियम 98 के अधीन कार्यवाही कर रहा हो, तो वसूली अधिकारी आवेदन में वर्णित विशिष्टियों के सही और यथार्थ होने का रजिस्ट्रार के कार्यालय के अभिलेख से, यदि कोई हो, सत्यापन करेगा तथा रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में व्यतिक्रमी का नाम और देय रकम का वर्णन करते हुये, दो प्रतियों में लिखित रूप में मांग नोटिस तैयार करेगा तथा उसे विक्रय अधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(4) जब तक कि आवेदक ने ऐसी इच्छा व्यक्त न की हो कि कार्यवाही उपनियम (2) में अधिकथित की जानी चाहिये तब तक निष्पादन सामान्यतः निम्नलिखित से किया जायेगा –

(i) व्यतिक्रमी की जंगम सम्पत्ति के विरूद्ध कार्यवाही प्रथमतः की जायेगी किन्तु यह आवश्यकता पड़ने पर स्थावर सम्पत्ति के विरूद्ध भी साथ साथ कार्यवाही करने से प्रतिवारित नहीं करेगी ।

(ii) यदि कोई जंगम सम्पत्ति नहीं है या यदि स्थावर सम्पत्ति अथवा कुर्क की गई और विक्रय की गई सम्पत्ति के विक्रयागम आवेदक की मांग की पूर्णतः पूर्ति करने में अपर्याप्त है तो आवेदक के पास बन्धकित–स्थावर सम्पत्ति, या व्यतिक्रमी की अन्य स्थावर सम्पत्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है ।

(5) स्थावर सम्पत्ति के अभिग्रहण और विक्रय करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–

(क) विक्रय अधिकारी आवेदक को पूर्व नोटिस देने के पश्चात् उस स्थान, ग्राम, कस्बे या, यथास्थिति, नगर में जायेगा जहॉ व्यतिक्रमी निवास करता है या करस्थम् की जाने वाली सम्पत्ति स्थित है और व्यतिक्रमी को, यदि वह उपस्थित है, मांग नोटिस देगा । यदि देय रकम का संदाय व्यय

सहित तुरन्त न कर दिया जाये तो विक्रय अधिकारी करस्थम् कर लेगा और व्यतिक्रमी को करस्थम् सम्पत्ति की सूची, तथा यदि देय रकम पहले ही चुकता न कर दी गयी हो तो करस्थम् सम्पत्ति के विक्रय के स्थान, दिन और समय की सूचना देगा । यदि व्यतिक्रमी अनुपस्थित हो तो विक्रय अधिकारी उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरूष पर या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता पर मांग नोटिस की तामील करेगा या जब ऐसी तामील नहीं करायी जा सके तो मांग नोटिस की प्रति उसके निवास स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपका देगा । तत्पश्चात् वह करस्थम् की कार्यवाही करेगा और करस्थम् की गयी सम्पत्ति की सूची व्यतिक्रमी के प्रायिक निवास स्थान पर, उस पर उस स्थान का पृष्ठांकन करते हुये चिपका देगा जहॉ सम्पत्ति रह सकेगी या रखी जा सकेगी और विक्रय का स्थान, दिन और समय क्या होगा ।

(ख) करस्थम् करने के पश्चात् विक्रय अधिकारी कुर्क की गई सम्पत्ति को आवेदक की या अन्य किसी की अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था कर सकेगा । यदि विक्रय अधिकारी आवेदक से, सम्पत्ति को अपनी अभिरक्षा में रखने की अपेक्षा करे तो वह ऐसा करने को बाध्य होगा और उसकी उपेक्षा के कारण उपगत हानि की पूर्ति आवेदक द्वारा की जायेगी। यदि कुर्क की गई सम्पत्ति पशुधन के रूप में हो तो आवेदक उसके लिये आवश्यक चारा उपलब्ध कराने के दायित्वाधीन होगा । विक्रय अधिकारी व्यतिक्रमी या ऐसी सम्पत्ति में हित रखने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के अनुरोध पर, उस ग्राम, नगर या, यथास्थिति, कस्बे में या ऐसे स्थान पर, जहॉ सम्पत्ति कुर्क की गई थी, उसे ऐसे व्यतिक्रमी के या ऐसे व्यक्तियों के प्रभार में तब छोड़ सकेगा यदि वह एक या अधिक प्रतिभूतियों के साथ रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में कोई ऐसा बन्धपत्र लिख देने की मांग करने पर, वह सम्पत्ति को प्रस्तुत कर देगा ।

(ग) करस्थम् सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व ही किया जायेगा और किसी अन्य समय पर नहीं किया जायेगा ।

(घ) करस्थम् सम्पत्ति का मूल्य ब्याज और करस्थम्, निरोध तथा विक्रय से आनुषंगिक समस्त व्ययों को मिलाकर व्यतिक्रमी से शोध्य राशि के यथासंभव निकटतम अनुपात में होगा ।

(ड.) यदि किसी व्यतिक्रमी की भूमि की फसलों या एकत्र न किये गये उत्पादों को कुर्क कर लिया जाये तो विक्रय अधिकारी उनसे कटने या एकत्र किये जाने योग्य हो जाने पर, उनका विक्रय करवा सकेगा या स्वयं के विकल्प पर उपयुक्त समय पर उन्हें कटवाकर या एकत्र करके, उनका विक्रय होने तक, उपयुक्त स्थान में रखवा सकेगा । पश्चात्वर्ती दशा में ऐसी फसलों या उत्पादों की कटाई या एकत्र करने और संग्रहण करने के व्यय का भुगतान स्वामी द्वारा, सम्पत्ति का उन्मोचर कर लिये जाने पर, या उनके बेच दिये जाने की दशा में विक्रय के आगमों में से किया जायेगा ।

(च) विक्रय अधिकारी बैलों या पशुओं से कोई कार्य नहीं लगा या करस्थम् माल या चीजबस्त को उपयोग में नहीं लेगा और वह पशुओं या पशुधन के लिये आवश्यक चारा आदि उपलब्ध करवायेगा और उसके व्यय का भुगतान स्वामी द्वारा सम्पत्ति का उन्मोचन कर लिये जाने पर, या बेच दिये जाने की दशा में उसके विक्रय आगमों में से, किया जायेगा।

(छ) विक्रय अधिकारी के लिये किसी अस्तबल, गोशाला, धान्यागार, गोदाम, उपगृह या अन्य भवन को बलपूर्वक खोलना विधिपूर्ण होगा कऔर वह किसी भी आवास गृह में, जिसका बाहरी द्वार खुला हुआ हो, प्रवेश कर सकेगा तथा किसी व्यतिक्रमी की किसी कमरे में रखी सम्पत्ति को कुर्क करने के प्रयोजन के लिये उक्त आवास गृह के उस कमरे के द्वार को तोड़कर खोल सकेगा, परन्तु सदैव शर्त यह है कि विक्रय अधिकारी के लिये उक्त निवास गृह में के, जनाना के लिये या स्त्रियों के आवास के लिये निर्धारित कक्ष को, एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति के सिवाय अन्यथा किसी भी रूप में, तोड़कर खोलना या उसमें प्रवेश करना विधिपूर्ण नहीं होगा ।

(ज) जहॉ विक्रय अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यतिक्रमी की सम्पत्ति ऐसे आवास गृह में जिसका बाहरी द्वार बन्द है या स्त्रियों के लिये निर्धारित किन्हीं भी कक्षों में,

जो कि रीति–रिवाजों या रूढ़ियों द्वारा वैयक्तिक समझे जाते हैं, रखी हुई है वहॉ विक्रय अधिकारी इस तथ्य की रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को देगा । ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त थाने का प्रभारी अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी को घटना स्थल पर भेजेगा, जिसकी उपस्थिति में विक्रय अधिकारी, स्त्रियों के निर्धारित कमरे को छोड़कर, उक्त आवास गृह के बाहरी द्वार को तोड़कर खुलवा सकेगा । विक्रय अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, स्त्रियों को जनाने में चले जाने का सम्यक् नोटिस देकर तथा यदि वे उच्च श्रेणी की हो तथा रीति–रिवाजों या रूढ़ियों के कारण सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकती हों तो, उनके लिये चले जाने की व्यवस्था उपयुक्त रीति से करने के पश्चात्, व्यतिक्रमी की सम्पत्ति, यदि वहॉ रखी हो, के करस्थम् के प्रयोजन के लिये जनाने कक्षों में भी प्रवेश कर सकेगा, किन्तु यदि उक्त सम्पत्ति, यदि मिल जाये तो, ऐसे कक्षों से तुरन्त ही हटा दी जायेगी और उसके पश्चात् उन्हें पूर्ववर्ती अधिभोगियों के लिये उपलब्ध कर दिया जायेगा ।

(झ) विक्रय अधिकारी, विक्रय के पूर्ववर्ती दिन और विक्रय के ही दिन उस ग्राम, नगर या, यथास्थिति, कस्बे में, जहॉ व्यतिक्रमी निवास करता है और ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर, जहॉ विक्रय अधिकारी विक्रय का सम्यक् प्रचार करना आवश्यक समझे, किये जाने के लिये आशयित विक्रय के समय और स्थान की उद्घोषणा डोंडी पिटवाकर करायेगा । जब तक विक्रय के नोटिस की तामील होने या खण्ड (क) में अधिकथित रीति से उसे चिपकवाने की तारीख से 15 दिन की कालावधि समाप्त न हो गई हो तब तक विक्रय नहीं किया जायेगा ;

परन्तु जहॉ अभिगृहित सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हों या जहॉ उसके अभिरक्षण के व्यय की उसके मूल्य से अधिक होने की सम्भावना हो, वहॉ यदि देय रकम का संदाय शीघ्र ही न कर दिया गया हो तो विक्रय अधिकारी उक्त 15 दिन की कालावधि समाप्त होने से पहले, किसी भी समय, उसे बेच सकेगा ।

(ञ) सम्पत्ति, नियत समय पर एक या अधिक लोटो में, जैसा कि विक्रय अधिकारी उचित समझे, रखी जायेगी और सबसे ऊॅची बोली लगाने वाले व्यक्ति को बेच दी जायेगी;

परन्तु जहॉ प्रस्तावित कीमत सम्यक् रूप से कम प्रतीत हो, या अन्य पर्याप्त कारण हो, वहॉ विक्रय अधिकारी उच्चतम बोली को ही स्वीकार करने से इनकार करने के लिये स्वतन्त्र होगा । जहॉ सम्पत्ति देय रकम से अधिक में बेची गई हो, वहॉ ब्याज और प्रक्रिया के व्ययों तथा अन्य प्रभारों को घटाने के पश्चात्, अधिक रकम व्यतिक्रमी को संदत्त कर दी जायेगी ;

परन्तु यह और कि वसूली अधिकारी या विक्रय अधिकारी विक्रय का स्थगन विनिर्दिष्ट दिन और समय के लिये अपने कारणों को अभिलिखित करते हुये स्वविवेक से कर सकेगा । जहॉ विक्रय 7 दिन से अधिक कालावधि के लिये इस प्रकार स्थगित किया जाये वहॉ जब तक व्यतिक्रमी उसके अधित्यजन के लिये सहमति न दे दे, खण्ड (1) के अनुसार नई उद्घोषणा की जायेगी ।

(ट) विक्रीत सम्पत्ति का संदाय विक्रय के समय या उसके पश्चात् जैसा भी विक्रय करने वाला विक्रय अधिकारी नियत करे, शीघ्र ही नकद में किया जायेगा तथा क्रेता को, सम्पत्ति के किसी भाग को ले जाने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने उसके लिये पूर्णतः संदाय न कर दिया हो । जहॉ क्रेता क्रय धन का संदाय करने में विफल रहे वहॉ सम्पत्ति पुनः बेची जायेगी ।

(ठ) जहॉ सक्षम अधिकारिता रखने वाले किसी भी सिविल न्यायालय को समाधानप्रद रूप से यह साबित हो जाये कि इन नियमों के अधीन करस्थम् किसी सम्पत्ति को किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक या छिपे तौर से हटा दिया गया है, वहॉ न्यायालय ऐसी सम्पत्ति को विक्रय अधिकारी को तुरन्त ही वापस दिला देने का आदेश दे सकेगा ।

(ड) जहॉ व्यतिक्रमी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या कुर्क की गई सम्पत्ति में हित रखने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति विक्रय के लिये नियत दिन से पूर्व ब्याज, पट्टा और सम्पत्ति को कुर्क करने में हुये अन्य खर्चों को सम्मिलित करते हुये पूर्ण रकम संदत्त कर

देता है वहॉ विक्रय अधिकारी कुर्की के आदेश रद्द कर देगा और सम्पतित को तत्काल मुक्त कर देगा ।

(6) जहॉ कुर्क की जाने वाली जंगम सम्पत्ति किसी लोक अधिकारी या रेल कर्मचारी, या किसी स्थानीय प्राधिकारी या फर्म या कम्पनी, सहकारी सोसाइटी के किसी कर्मचारी का वेतन या भत्ता या मजदूरी है वहॉ वसूली अधिकारी, विक्रय अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह आदेश दे सकेगा कि सिविल प्रक्रिया सहिंता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 60 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, उक्त रकम ऐसे वेतन या भत्ते या मजदूरी में से एकमुश्त संदाय या मासिक किस्तों द्वारा, जैसा कि वसूली अधिकारी निर्दिष्ट करे, रोक ली जाये तथा आदेश प्राप्त होने पर वह अधिकारी या व्यक्ति, जिसका कार्य ऐसा वेतन या भत्ता या मजदूरी का संवितरण करना है, आदेश के अधीन देय रकम या, यथास्थिति, मासिक किस्तें रोक लेगा और विक्रय अधिकारी को प्रेषित कर देगा ।

(7) (i) जहॉ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति में व्यतिक्रमी के, उसकी जंगम सम्पत्ति में शेयर या हित हों तथा जिसके अन्य सहस्वामी भी हों वहॉ कुर्की व्यतिक्रमी को शेयर या हित का अन्तरण करने से या उन्हें किसी भी प्रकार से भारित करने से प्रतिषिद्ध करने का नोटिस देकर, की जायेगी ।

(ii) जहॉ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति न तो न्यायालय में और न ही किसी लोक अधिकारी की अभिरक्षा में जमा कराई गई कोई परक्राम्य लिखत हो, वहॉ कुर्की उसका वास्तविक अभिग्रहण करके की जायेगी तथा लिखत कुर्की का आदेश देने वाले वसूली अधिकारी के कार्यालय में लायी जायेगी और उसके भावी आदेशों तक उसे वहॉ रखा जायेगा ।

(iii) जहॉ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में हो वहॉ कुर्की ऐसे न्यायालय या अधिकारी से यह निवेदन करते हुये नोटिस देकर की जा सकेगी कि ऐसी सम्पत्ति तथा उस पर संदेय होने वाला कोई ब्याज या लाभांश नोटिस जारी करने वाले वसूली अधिकारी की भावी मांगों के अधीन रहते हुये रखा जाये :

परन्तु जहॉ ऐसी सम्पत्ति किसी अन्य जिले के न्यायालय या वसूली अधिकारी की अभिरक्षा में हो वहॉ आवेदक और किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति के, जो व्यतिक्रमी न हो तथा उक्त सम्पत्ति में किसी समनुदेशन, कुर्की के कारण या अन्चथा हित रखने का दावा करता हो, बीच स्वत्व या पूर्विकता का कोई भी प्रश्न ऐसे न्यायालय या वसूली अधिकारी द्वारा अवधारित किये जाने के लिये छोड़ दिया जायेगा ।

(8) (i) जहॉ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति, या तो धन के संदाय की या किसी बन्धक या प्रभार के प्रवर्तन स्वरूप किये जाने वाले विक्रय की कोई डिक्री है वहॉ, कुर्की, यदि कुर्क की जाने के लिये ईप्सित डिक्री रजिस्ट्रार द्वारा या ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा पारित की गई थी, जिसे कोई विवाद अन्तरित किया गया था तो, रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम की धारा 60 के अधीन की जायेगी या किसी मध्यस्थ या किसी व्यक्ति द्वारा पारित की गयी थी, तो कुर्की रजिस्ट्रार के आदेश से की जायेगी ।

(ii) जहॉ रजिस्ट्रार खण्ड (प)के अधीन कोई आदेश करता है वहॉ वह डिक्री के निष्पादन के लिये कार्यवाही आवेदक के जिसने कि डिक्री कुर्क करायी है, के आवेदन पर करेगा और शुद्ध आगमों का उपयोजन डिक्री की तुष्टि में करेगा जिसका कि निष्पादन ईप्सित है।

(iii) खण्ड (प) में विनिर्दिष्ट स्वरूप की अन्य डिक्री की, जिसका निष्पादन डिक्रीधारक द्वारा कुर्की द्वारा किया जाना ईप्सित है, कुर्क की गई डिक्री के धारक का प्रतिनिधि समझा जायेगा और वह उक्त कुर्क की गई डिक्री को उसके धारक के लिये किसी भी रीति से निष्पादित कराने का हकदार होगा ।

(iv) जहॉ किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति खण्ड (प) में निर्दिष्ट स्वरूप से भिन्न स्वरूप की कोई डिक्री हो, वहॉ कुर्की वसूली अधिकारी ऐसे डिक्रीधारक को, किसी प्रकार से उसके अन्तरण या उसे भारित करने से प्रतिषिद्ध करते हुये नोटिस जारी करने के पश्चात् की जायेगी ।

(v) इस उपनियम के अधीन कुर्क की गई किसी डिक्री का धारक डिक्री का निष्पादन करने वाले वसूली अधिकारी को ऐसी सूचना और सहायता देगा, जिसकी युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जाये ।

(vi) इस उपनियम के अधीन कुर्की का आदेश करने वाला वसूली अधिकारी, अन्य डिक्री की कुर्की द्वारा निष्पादित की जाने के लिये ईप्सित डिक्री धारक के आवेदन पर, कुर्क की गई डिक्री द्वारा आबद्ध निर्णीत ऋणी को ऐसे आदेश का नोटिस देगा ; और नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् निर्णीत ऋणी द्वारा ऐसे आदेश के उल्लंघन में कुर्क डिक्री के किसी संदाय या समायोजन को, चाहे वह वसूली अधिकारी के माध्यम से किया गया हो या अन्यथा मान्यता तब तक प्रदान नहीं की जायेगी जब तक कुर्की प्रवर्तनशील रहे ।

(9) जहॉ कुर्क की जाने वाली जंगम सम्पत्ति –

(क) प्रश्नगत व्यतिक्रमी को देय कोई ऋण है,

(ख) किसी निगम की पूँजी में कोई शेयर या उसमें विनियोजित कोई निक्षेप है, या

(ग) किसी भी सिविल न्यायालय में जमा की गई या उसकी अभिरक्षा में रखी गई सम्पत्ति को छोड़कर ऐसी अन्य जंगम सम्पत्ति है, जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है

वहॉ कुर्की निम्नलिखित का प्रतिषेध करते हुये वसूली अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित आदेश से की जायेगी, –

(i) किसी ऋण के मामले में, लेनदार द्वारा ऋण की वसूली का और ऋणी द्वारा उसके संदाय का;

(ii) शेयर या निषेप के मामले में जिस व्यक्ति के नाम से शेयर या निक्षेप हों, उसके द्वारा शेयर या निक्षेप का अन्तरण या उस पर किसी लाभांश या ब्याज प्राप्त करने का ; और

(iii) अन्य किसी जंगम सम्पत्ति के मामले में, जिस व्यक्ति के कब्जे में जंगम सम्पत्ति हो, उसके द्वारा उसे व्यतिक्रमी को देने का ।

ऋणी के मामले में ऐसे आदेश की प्रति ऋणी को, शेयर या निक्षेप के मामले में, निगम के समुचित अधिकारी को और अन्य किसी जंगम सम्पत्ति के मामले में ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति हो, भेजी जायेगी । खण्ड (क) में निर्दिष्ट ऋण या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट निक्षेप जैसे ही परिपक्व हो जायें, वसूली अधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति को उसे रकम संदत्त करने का निदेश दे सकेगा । जहॉ शेयर प्रत्याहरणीय न हो वहॉ वसूली अधिकारी दलाल के माध्यम से उसके विक्रय की व्यवस्था करेगा तथा जहॉ शेयर प्रत्याहरणीय हो वहॉ उसका मूल्य वसूली अधिकारी को या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट पक्षकार को संदत्त कर दिया जायेगा । शेयर ऋणी को परिदेय होने के साथ ही सम्बन्धित व्यक्ति उसे वसूली अधिकारी को सौंप देगा ।

(10) स्थावर सम्पत्ति किसी डिक्री के निष्पादन में तब तक नहीं बेची जायेगी जब तक कि उक्त सम्पत्ति पहले कुर्क नहीं कर ली, गई हो ;

परन्तु जहॉ डिक्री ऐसी सम्पत्ति के बंधक के आधार पर प्राप्त की गई है, वहॉ उसे कुर्क किया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

(11) स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय करने या बिना कुर्की विक्रय करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा :–

(क) उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत आवेदन में ऐसी स्थावर सम्पत्ति का, जिसके विरूद्ध कार्यवाही की जानी है – उसकी पहचान के लिये पर्याप्त विवरण अन्तर्विष्ट होगा और यदि ऐसी सम्पत्ति बन्दोबस्त या सर्वेक्षण के किसी अभिलेख में दी गयी सीमाओं या संख्याओं द्वारा पहचानी जा सकती हो तो ऐसी सीमाओं या संख्या का विनिर्देश और आवेदक के सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार तथा जहॉ तक वह उसे अभिनिश्चित कर सकने में समर्थ हो, ऐसी सम्पत्ति में, व्यतिक्रमी के शेयर या हित का विनिर्देश होगा ।

(ख) वसूली अधिकारी द्वारा उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये मांग नोटिस में व्यतिक्रमी का नाम, व्ययों सहित देय रकम, यदि कोई हो, तथा ऐसे व्यक्ति को, जो मांग नोटिस तामील करायेगा,

संदत्त किया जाने वाला बट्टा, संदाय के लिये अनुज्ञात समय और संदाय न किये जाने की दशा में कुर्क और विक्रीत की जाने वाली या, यथास्थिति, बिना कुर्की विक्रीत की जाने वाली सम्पत्तियों की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी । विक्रय अधिकारी, मांग नोटिस प्राप्त करने के पश्चात्, मांग नोटिस की प्रति व्यतिक्रमी पर या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य पर उसके निवास के प्रायिक स्थान पर, या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता पर तामील करायेगा या करवायेगा या यदि ऐसी व्यक्तिशः तामील सम्भव नहीं हो तो उसकी प्रति कुर्क और विक्रीत या, यथास्थिति, बिना कुर्की विक्रीत की जाने वाली स्थावर सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका देगा :

परन्तु जहॉ वसूली अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि कोई व्यतिक्रमी अपने विरूद्ध निष्पादन की कार्यवाही को निष्फल बनाने या विलम्बित करने के आशय से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग का निवर्तन करने वाला है तो वसूली अधिकारी द्वारा उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये मांग नोटिस में व्यतिक्रमी को उसके द्वारा देय रकम का संदाय करने के लिये कोई समय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा और व्यतिक्रमी की सम्पत्ति तुरन्त कुर्क कर ली जायेगी ।

(ग) यदि व्यतिक्रमी मांग नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम अनुज्ञात समय के भीतर भीतर संदत्त करने में विफल रहे तो विक्रय अधिकारी निष्पादन के लिये आवेदन में लिखित सम्पत्ति को निम्नलिखित रीति से कुर्क करने या बेचने या, यथास्थिति, बिना कुर्की बेचने, की कार्यवाही करेगा ।

(घ) जहॉ विक्रय से पूर्व कुर्की अपेक्षित हो वहॉ विक्रय अधिकारी, यदि संभव हो तो, कुर्की का नोटिस व्यतिक्रमी पर व्यक्तिशः तामील करवायेगा । जहॉ व्यक्तिशः तामील सम्भव नहीं हो वहॉ व्यतिक्रमी के अन्तिम ज्ञात निवास स्थान, यदि कोई हो, के किसी सहजदृश्य भाग पर, नोटिस चिपकवा दिया जायेगा । कुर्की के तथ्य की उद्घोषणा ऐसी सम्पत्ति पर के या उसके आसपास के किसी स्थान पर तथा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर, जहॉ वसूली अकिारी विक्रय का सम्यक् प्रचार करना आवश्यक समझे, डोंडी पिटवाकर या अन्य किसी रूढ़िगत रीति के अनुसार, की जायेगी । कुर्की के नोटिस में यह वर्णन किया जायेगा कि यदि देय रकम का ब्याज तथा व्यय सहित संदाय उसमें उल्लिखित तारीख के भीतर भीतर नहीं कर दिया गया तो सम्पत्ति का विक्रय कर दिया जायेगा । प्रति आवेदक को भेजी जायेगी । जहॉ विक्रय अधिकारी ऐसा निदेश करे, वहॉ कुर्की को राजपत्र में सार्वजनिक उद्घोषणा द्वारा भी अधिसूचित किया जायेगा ।

(ड.) विक्रय की उद्घोषणा विक्रय के लिये नियत तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व वसूली अधिकारी के कार्यालय तथा तहसील कार्यालय में नोटिस लगाकर और ग्राम, नगर, या, यथास्थिति, कस्बे में डोंडी पिटवाकर (विक्रय की तारीख से पूर्ववर्ती लगातार दो दिन तथा विक्रय प्रारम्भ होने से पूर्व विक्रय के दिन) प्रकाशित की जायेगी । जहॉ कुर्की विक्रय से पूर्व अपेक्षित हो, वहॉ ऐसी उद्घोषणा कुर्की करने के पश्चात् की जायेगी । नोटिस आवेदक और व्यतिक्रमी को भी दिया जायेगा । उद्घोषणा में निम्नलिखित यथासम्भव सही और यथार्थतः निर्दिष्ट करते हुये, विक्रय के समय और स्थान का उल्लेख किया जायेगा :–

(i) बेची जाने वाली सम्पत्ति ;

(ii) कोई विल्लंगम जिसके कि सम्पत्ति दायित्वाधीन है ;

(iii) वह रकम जिसकी वसूली के लिये विक्रय का आदेश दिया गया है ; और

(iv) प्रत्येक ऐसी अन्य बात जिसका विक्रय अधिकारी क्रेता को सम्पत्ति के स्वरूप तथा मूल्य का निर्णय कर सकने के लिये ज्ञात होना सारवान् समझता हो ।

(च) जब कोई स्थावर सम्पत्ति इन नियमों के अधीन बेची जाये तो विक्रय, सम्पत्ति पर के पूर्व विल्लंगमों के, यदि कोई हो, अधीन होगा । जब वह रकम, जिसकी वसूली के लिये विक्रय किया जाता है, 1000/– रू. से अधिक हो तो आवेदक ऐसे समय के भीतर भीतर जो उसके द्वारा या वसूली अधिकारी द्वारा नियत किया जाये, विक्रीत की जाने के लिये ईप्सित सम्पत्ति की कुर्की की

तारीख से पूर्व या उपनियम (10) के परन्तुक के अधीन आने वाले मामलों में निष्पादन के आवेदन की तारीख से पूर्व कम से कम बारह वर्ष की कालावधि के लिये एक विल्लंगम प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रीकरण विभाग से प्राप्त कर विक्रय अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । विल्लंगम प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने का समय विक्रय अधिकारी या, यथास्थिति, वसूली अधिकारी के विवेक से बढ़ाया जा सकेगा । विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को किया जायेगा :

परन्तु जहॉ प्रस्तावित कीमत असम्यक् रूप से कम प्रतीत हो या अन्य पर्याप्त कारणों से, विक्रय अधिकारी को सबसे ऊँची बोली को अस्वीकृत करने की स्वतंत्रता होगी :

परन्तु यह और कि वसूली अधिकारी या विक्रय अधिकारी स्वविवेक से, विक्रय का स्थगन, ऐसे स्थगन के लिये अपने कारण अभिलिखित करते हुये, किसी विनिर्दिष्ट दिन और समय तक के लिये कर सकेगा । जहॉ विक्रय 7 दिन से अधिक की कालावधि के लिये इस प्रकार स्थगित किया जाये वहॉ जब तक व्यतिक्रमी अधित्यजन की सहमति न दे दे, खण्ड (ड.) के अधीन एक नई उद्घोषणा की जायेगी । विक्रय वसूली अधिकारी के कार्यालय में उद्घोषणा का नोटिस लगाये जाने की तारीख से कम से कम तीस दिन समाप्त हो जाने के पश्चात् किया जायेगा । विक्रय का समय और स्थान वसूली अधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा तथा विक्रय का स्थान वह ग्राम, नगर या, यथास्थिति, कस्बा, जहॉ विक्रीत की जाने वाली सम्पत्ति स्थित है, या उससे लगा हुआ सार्वजनिक समागम का ऐसा प्रमुख स्थान होगा जो वसूली अधिकारी द्वारा नियत किया जाये :

परन्तु यह भी कि जिन मामलों में सम्बन्धित अभिलेखों के नष्ट हो जाने के कारण कोई विल्लंगम प्रमाण–पत्र अभिप्राप्य न हो उनमें ग्राम के पटवारी का, उसे ज्ञात विल्लंगमों के सम्बन्ध में, प्रमाण–पत्र द्वारा समर्थित शपथ–पत्र विल्लंगम प्रमाण–पत्र के स्थान पर स्वीकार किया जायेगा ।

(छ) क्रेता द्वारा, क्रय के समय स्थावर सम्पत्ति के मूल्य के 15 प्रतिशत के बराबर धनराशि विक्रय अधिकारी के पास जमा करायी जायेगी और इसे जमा कराने में व्यतिक्रमी होने पर सम्पत्ति का तत्काल पुनः विक्रय किया जायेगा :

परन्तु जहॉ आवेदक क्रेता हो और खण्ड (ट) के अधीन क्रय धन की मुजराई का हकदार हो वहॉ विक्रय अधिकारी इस खण्ड की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगा ।

(ज) क्रय धन का शेष तथा विक्रय प्रमाण–पत्र के लिये अपेक्षित स्टाम्पों की रकम विक्रय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर भीतर संदत्त की जायेगी :

परन्तु स्टाम्पों के मूल्य का संदाय का समय समुचित और पर्याप्त कारणों से वसूली अधिकारी के विवेक से, विक्रय की तारीख से तीस दिन तक बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन संदत्त की जाने वाली रकम की संगणना करने में क्रेता ऐसी किसी भी मुजराई का लाभ उठायेगा जिसका वह खण्ड (ट) के अधीन हकदार है :

(झ) अन्तिम पूर्ववर्ती खण्ड में उल्लिखित कालावधि के भीतर भीतर संदाय करने में व्यतिक्रम होने पर यदि वसूली अधिकारी, विक्रय में हुये खर्चों को चुकाने के पश्चात् उचित समझे तो निक्षेप राज्य को समपहृत हो सकेगा और व्यतिक्रमी क्रेता के सम्पत्ति पर या उस राशि, जिसमें उसे बाद में बेचा गया हो, के किसी भाग पर समस्त दावे समपहृत हो जायेंगे ।

(ञ) खण्ड (ज) में उल्लिखित रकम का संदाय ऐसे संदाय के लिये अनुज्ञात समय के भीतर भीतर करने में व्यतिक्रम होने पर, स्थावर सम्पत्ति का प्रत्येक पुनर्विक्रय, विक्रय के लिये पूर्वतः विहित कालावधि के तथा विहित रीति से नयी उद्घोषणा जारी करने के पश्चात् किया जायेगा ।

(ट) जहॉ कोई आवेदक सम्पत्ति का क्रय करता है वहॉ क्रय धन और डिक्री पर देय रकम की एक दूसरे के प्रति मुजराई कर दी जायेगी, और विक्रय अधिकारी डिक्री की तुष्टि तद्नुसार पूर्णतः या अंशतः कर देगा ।

(12) जहॉ विक्रय के लिये नियत की गई तारीख से पूर्व व्यतिक्रमी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति या बेची जाने के लिये ईप्सित सम्पत्ति में कोई हित रखने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति देय कुल रकम का संदाय ब्याज, बट्टा तथा सम्पत्ति को विक्रय के लिये प्रस्तुत करने में उपगत अन्य व्ययों सहित कुर्की के व्यय, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुये कर देता है वहॉ विक्रय अधिकारी, यदि सम्पत्ति कुर्क कर ली गयी हो, कुर्की के आदेश को रद्द करने के पश्चात् सम्पत्ति को तुरन्त निर्मोचित कर देगा ।

(13) (i) जहॉ स्थावर सम्पत्ति विक्रय अधिकारी द्वारा बेच दी गयी है वहॉ या तो ऐसी सम्पत्ति का स्वामी या ऐसे विक्रय के पूर्व अर्जित किये गये किसी स्वत्व के आधार पर उसमें हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति वसूली अधिकारी के पास स्वयं निम्नलिखित जमा कराकर, विक्रय को अपास्त करने के लिये आवेदन कर सकेगा :–

(क) क्रेता को संदाय के लिये, क्रय–धन के 5 प्रतिशत के बराबर राशि, और

(ख) आवेदक को संदाय के लिये, विक्रय की उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया रकम उसके ब्याज सहित जिसकी वसूली के लिये विक्रय के आदेश दिये गये थे और कुर्की, यदि कोई हो, तथा विक्रय करने में हुआ व्यय, और ऐसी रकम के सम्बन्ध में देय अन्य व्यय, जिसमें से ऐसी उद्घोषणा की तारीख से आवेदक को प्राप्त रकम घटा दी जायेगी।

(ii) यदि ऐसा निक्षेप और आवेदन विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर भीतर कर दिया जाये तो वसूली अधिकारी विक्रय को अपास्त करने का आदेश पारित करेगा और क्रेता को, आवेदक द्वारा जमा कराया गया वह क्रय धन 5 प्रतिशत सहित प्रतिसंदत्त करेगा जो तब तक जमा कराया जा चुका है :

परन्तु यदि एक से अधिक व्यक्तियों ने इस उपनियम के अधीन निक्षेप और आवेदन किया है तो विक्रय को अपास्त करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी को दिया गया प्रथम निक्षेप का आवेदन स्वीकार कर लिया जायेगा ।

(iii) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (14) के अधीन, स्थावर सम्पत्ति के विक्रय को अपास्त करने के लिये आवेदन करता है तो वह इस उपनियम के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा ।

(14) (i) आवेदक या आस्तियों के आनुपातिक वितरण में शेयर रखने का हकदार कोई भी व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति जिसके हित विक्रय से प्रभावित होते हैं, स्थावर सम्पतित के विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर भीतर किसी भी समय, वसूली अधिकारी को, विक्रय के प्रकाशन या संचालन में हुई किसी तात्विक अनियमितता या त्रुटि या कपट के आधार पर विक्रय को अपास्त करने के लिये आवेदन कर सकेगा :

परन्तु कोई विक्रय अनियमितता या कपट के आधार पर तब तक अपास्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वसूली अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाये कि आवेदन को ऐसी अनियमितता, त्रुटि या कपट के कारण सारवान् क्षति हुई है ।

(ii) यदि आवेदन स्वीकृत कर लिया जाये तो, वसूली अधिकारी, विक्रय को अपास्त कर देगा और नये सिरे से करने का निदेश दे सकेगा ।

(iii) यदि विक्रय की तारीख से तीस दिन अवसित हो जाने पर भी विक्रय के अपास्त किये जाने के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं हो या यदि ऐसा आवेदन किया गया हो और अस्वीकृत कर दिया गया हो तो वसूली अधिकारी विक्रय की पुष्टि करते हुये आदेश करेगाः

परन्तु यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि विक्रय इस बात के होने पर भी कि ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया है या ऐसे किसी भी आवेदन में, जो किया गया हो और अस्वीकृत कर दिया गया हो, अभिकथित आधारों से भिन्न आधारों पर अपास्त किया जाना चाहिये तो वह अपने कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् विक्रय को अपास्त कर सकेगा ।

(iv) जब कभी किसी भी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की इस प्रकार पुष्टि नहीं की जाये या उसे अपास्त नहीं किया जाये तो निक्षेप या, यथास्थिति, क्रय धन, क्रेता को लौटा दिया जायेगा ।

(v) ऐसे किसी विक्रय की पुष्टि हो जाने के पश्चात् वसूली अधिकारी क्रेता को, विक्रय प्रमाण–पत्र देगा जिस पर उसकी मुहर और हस्ताक्षर होंगे तथा ऐसे प्रमाण–पत्र में विक्रीत सम्पत्ति और क्रेता का नाम उल्लिखित होगा, तथा यह उन समस्त न्यायालयों और अधिकरणों में, जहॉ उसे साबित करना आवश्यक हो, क्रय के तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा, तथा जब तक कि उस प्राधिकारी के, जिसके कि समक्ष उसे पेश किया गया है, पास उसकी प्रामाणिकता के बारे में संदेह करने का कारण न हो तब तक वसूली अधिकारी की मुहर या हस्ताक्षर का सबूत देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(vi) इस उपनियम के अधीन किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और किसी भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।

(15) जहॉ स्थावर सम्पत्ति का कोई विधिपूर्ण क्रेता, सद्भावनापूर्वक अपने स्वामित्व के आधार पर सम्पत्ति पर कब्जे का दावा करने वाले व्यक्ति (जो व्यतिक्रमी न हो) से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा, क्रय की गई स्थावर सम्पतित का कब्जा अभिप्राप्त करने से प्रतिरोधित और निवारित किया जाता है वहॉ सक्षम अधिकारिता वाला कोई भी न्यायालय आवेदन किये जाने पर तथा उपनियम (14) द्वारा उपबन्धित विक्रय प्रमाण–पत्र के पेश किये जाने पर, उक्त क्रेता को कब्जा दिलाने के प्रयोजन के लिये समुचित आदेशिका उसी रीति से जारी करेगा मानो क्रीत स्थावर सम्पतित की डिक्री क्रेता को न्यायालय के किसी विनिश्चय द्वारा दी गयी थी ।

(16) विक्रय अधिकारी द्वारा व्यतिक्रमी की सम्पूर्ण स्थावर सम्पतित का या उसके किसी भाग का, देय धन चुकाने के लिये विक्रय करना विधिपूर्ण होगा :

परन्तु जहॉ तक साध्य हो देय रकम का चुकारा, ब्याज, और कुर्की, यदि कोई हो, के तथा विक्रय के व्ययों सहित, करने के लिये पर्याप्त स्थावर सम्पत्ति के भाग या प्रभाग से अधिक को बेचा नहीं जायेगा ।

(17) इन नियमों के अधीन नोटिस या अन्य आदेशिकाओं की तामील करने के लिये नियोजित व्यक्ति ऐसी दरों से बट्टा प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो वसूली अधिकारी द्वारा समय समय पर निश्चित की जाये ।

(18) जहॉ इस नियम के अधीन जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय या स्थावर सम्पतित की कुर्की और विक्रय या बिना कुर्की विक्रय के सम्बन्ध में उपगत व्यय तथा प्रभार, आवेदक द्वारा जमा कराये गये व्यय की रकम से अधिक हो वहॉ ऐसा आधिक्य विक्रीत सम्पत्ति के विक्रयागमों में से या, यथास्थिति, व्यतिक्रमी द्वारा संदत्त धन में से, काट लिया जायेगा और शेष आवेदक को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

(19) किसी भी देय धन, जिसकी वसूली के लिये इस नियम के अधीन आवेदन किया गया है, के प्रति संदाय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, विक्रय अधिकारी, या वसूली अधिकारी द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, उक्त रकम की रसीद प्राप्त करने का हकदार होगा, ऐसी रसीद में संदाय करने वाले व्यक्तियोंके नाम तथा उस विषय का, जिसके सम्बन्ध में संदाय किया गया है, उल्लेख होगा ।

(20) (क) जहॉ इस नियम के अधीन कुर्क की गई किसी सम्पत्ति के प्रति कोई भी दावा या उसकी कुर्की के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप इस आधार पर किया जाये कि ऐसी सम्पत्ति ऐसी कुर्की के दायित्वाधीन नहीं है, वहॉ विक्रय अधिकारी दावे या आक्षेप का अन्वेषण करेगा तथा उसे गुणावगुण के आधार पर निपटायेगा :

परन्तु ऐसा अन्वेषण तब नहीं किया जायेगा जब विक्रय अधिकारी यह समझे कि दावा या आक्षेप तुच्छ है ।

(ख) जहॉ ऐसी सम्पत्ति के, जिसके सम्बन्ध में दावा या आक्षेप है, विक्रय के लिये विज्ञापित कर दिया गया हो वहॉ विक्रय अधिकारी, दावे या आक्षेप का अन्वेषण होने तक विक्रय को स्थगित कर सकेगा ।

(ग) जहॉ ऐसे पक्ष को, जिसके विरूद्ध कोई आदेश किया गया है, कोई दावा या आक्षेप प्रस्तुत किया जाये वहॉ वह विवादग्रस्त सम्पत्ति में अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिये कोई वाद संस्थित कर सकेगा किन्तु वह आदेश ऐसे वाद के परिणाम, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुये अन्तिम होगा ।

(21) (i) उपनियम (11) के खण्ड (ञ) के अधीन आयोजित किसी पुनः विक्रय में क्रेता को व्यतिक्रम के कारण होने वाली मूल्य की कमी और ऐसे पुनः विक्रय के समस्त व्यय, विक्रय अधिकारी द्वारा वसूली अधिकारी को प्रमाणित कर दिये जायेंगें तथा इस नियम के उपबन्ध के अधीन आवेदक या व्यतिक्रमी के कहने पर व्यतिक्रमी क्रेता से वसूलीय होंगे । ऐसी वसूली से आनुषंगिक व्यय, यदि कोई हो, भी व्यतिक्रमी क्रेता द्वारा उठाये जायेंगें ।

(ii) जहॉ सम्पत्ति दूसरी बार बेचे जाने पर प्रथम विक्रय से अधिक मूल्य पर बेची जाये वहॉ प्रथम विक्रय का व्यतिक्रमी क्रेता अन्तर या वृद्धि के लिये दावा नहीं कर सकेगा ।

(22) जहॉ कोई सम्पत्ति, डिक्री के निष्पादन में कुर्क कर ली गयी है किन्तु आवेदक के व्यतिक्रम के कारण वसूली अधिकारी निष्पादन के आवेदन पर आगे की कार्यवाही करने में असमर्थ है वहॉ वह आवेदन को या तो खारिज कर देगा या किसी भी पर्याप्त कारण से कार्यवाही को आगे की किसी तारीख के लिये स्थगित कर देगा । ऐसे आवेदन को खारिज कर देने पर कुर्की समाप्त हो जायेगी ।

(23) (क) जहॉ विक्रय अधिकारी, इन नियमों के अधीन ऐसी किसी सम्पत्ति को, जो किसी भी न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है परन्तु किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में पहले से कुर्की के अधीन है, कुर्क करता है या कुर्क किया गया है, वहॉ ऐसा न्यायालय, ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त और वसूल करेगा और उसके प्रति दावों को तथा उसकी कुर्की के प्रति किन्हीं भी आक्षेपों को अवधारित करेगा :

परन्तु जहॉ सम्पत्ति एक से अधिक न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन में कुर्की के अधीन हो वहॉ ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त या वसूल करने वाला और प्रति किसी दावे या उसकी कुर्की के प्रति किसी भी आक्षेप का अवधारण करने वाला न्यायालय उच्चतम श्रेणी का न्यायालय होगा, या जहॉ न्यायालयों के मध्य श्रेणी में कोई अन्तर नहीं हो, वहॉ प्रथम बार जिस न्यायालय की डिक्री के अधीन सम्पत्ति कुर्क की गयी हो, वह न्यायालय होगा ।

(ख) जहॉ विक्रय अधिकारी आस्तियों का धारण करता है और ऐसी आस्तियां प्राप्त होने के पूर्व उसी व्यतिक्रमी के विरूद्ध डिक्री के निष्पादन के आवेदनों के अनुसरण में एक से अधिक डिक्रीधारकों से मांग नोटिस प्राप्त हुये हों और डिक्रीधारकों ने उसका चुकारा अभिप्राप्त नहीं किया हो वहॉ विक्रय अधिकारी द्वारा आस्तियों का अनुपाततः वितरण वसूली के व्ययों को काटकर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 73 में उपबन्धित रीति से ऐसे समस्त आवेदकों के मध्य कर दिया जायेगा ।

(24) जहॉ कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 100 के अधीन किसी आवेदक पर कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कोई आदेशिका जारी करने की अपेक्षा करे या जारी की गई किसी आदेशिका पर आक्षेप करे या पारित किये गये किसी आदेश पर आक्षेप करे वहॉ वह, ऐसी फीस संदत्त करेगा जो रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाये ।

**95. अधिनिर्णय या आदेश के पूर्व कुर्की करने की रीति :**

(1) अधिनियम की धारा 101 के अधीन सम्पत्ति की कुर्की नियम 94 में उपबन्धित रीति से की जायेगी ।

(2) जहॉ कोई दावा उपनियम (1) के अधीन कुर्क की गई सम्पत्ति के लिये किया जाये वहॉ ऐसे दावे का अन्वेषण नियम 94 में विनिर्दिष्ट रीति से और प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(3) जहॉ कोई निदेश उपनियम (1) के अधीन किसी सम्पत्ति की कुर्की करने के लिये किया जाये वहॉ वसूली अधिकारी कुर्की को प्रत्याहृत करने के आदेश तब देगा –

(क) जब सम्बन्धित पक्षकार कुर्की के व्यय की प्रतिभूति के साथ साथ अपेक्षित प्रतिभूति प्रस्तुत करे ; या

(ख) जब समापक अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन यह अवधारित करे कि सम्बन्धित पक्षकार द्वारा कोई अभिदाय संदेय नहीं है ; या

(ग) जब रजिस्ट्रार धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन यह आदेश पारित करे कि सम्बन्धित पक्षकार को प्रतिकर के रूप में सोसाइटी की आस्तियों के लिये कोई धन या सम्पत्ति प्रतिसंदत्त या प्रत्यावर्तित करने या कोई भी राशि अभिदत्त करने की आवश्यकता नहीं है;

(घ) जब धारा 60 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवाद ऐसे पक्षकार के विरूद्ध विनिश्चित कर दिया गया है, जिसके कहने पर कुर्की की गई थी ;

(ड.) जब आदेश अधिनियम की धारा 107 या किसी भी अन्य उपबन्ध के अधीन पारित आदेश कुर्की के आदेश को अपास्त कर दे ।

(4) जहॉ सम्पत्ति इस नियम के उपबन्धों के आधार पर कुर्की के अधीन हो और तत्पश्चात् उस व्यक्ति के विरूद्ध कोई डिक्री पारित की जाये जिसकी सम्पत्ति कुर्क की गई है, वहॉ ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिये आवेदन करने पर सम्पत्ति को पुनः कुर्क करने के लिये आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

**96. धारा 101 के अधीन कुर्क की गयी सम्पत्ति की अभिरक्षा की प्रक्रिया :**

(1) जहॉ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज से भिन्न, ऋणी के कब्जे में की जंगम सम्पत्ति है वहॉ कुर्की वास्तविक अभिग्रहण द्वारा की जायेगी और कुर्की करने वाला अधिकारी सम्पत्ति को स्वयं की अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थों में से किसी एक की या किसी प्रापक की, यदि वह उपनियम (2) के अधीन नियुक्त किया गया है, अभिरक्षा में रखेगा तथा उसकी सम्यक् अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा :

परन्तु जब अभिगृहित सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो, या जब उसकी अभिरक्षा का व्यय उसके मूल्य से अधिक होने की सम्भावना हो तो कुर्की करने वाला अधिकारी उसे तुरन्त बेच सकेगा ।

(2) जहॉ धारा 101 के अधीन सशर्त कुर्की करने का आदेश देने वाले अधिकारी को उचित और सुविधाजनक प्रतीत हो वहॉ वह उस धारा के अधीन कुर्क जंगम सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये कोई प्रापक नियुक्त कर सकेगा और उसके कर्त्तव्य और दायित्व सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 40 के अधीन नियुक्त प्रापक के समान ही होंगें ।

(3) (i) जहॉ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति स्थावर हो वहॉ कुर्की, ऋणी को किसी भी रूप में सम्पत्ति को अन्तरित या प्रभारित करने, और उक्त अन्तरण या प्रभार से समस्त व्यक्तियों को कोई लाभ उठाने से प्रतिषिद्ध करने वाले आदेश द्वारा की जायेगी ।

(ii) आदेश की उद्घोषणा ऐसी सम्पत्ति पर के किसी स्थान पर या उसके आसपास डोंडी पिटवाकर या अन्य रूढ़िगत रीति से की जायेगी और आदेश की एक प्रति सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर और गांव के किसी सहजदृश्य भाग पर तथा जहॉ सम्पत्ति राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि हो वहॉ, जिसकी अधिकारिता में सम्पत्ति स्थित है, उस जिले के कलक्टर के कार्यालय में तथा तहसीलदार या अन्य किसी राजस्व अधिकारी के कार्यालय में भी चिपकायी जायेगी ।

**97. सम्पत्ति के प्राइवेट अन्तरण का प्रतिषेध करने की उद्घोषणा का जारी किया जाना :**

रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, जब धारा 100 के अधीन कार्य कर रहा हो, किसी भी सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करते समय प्ररूप ''ट'' में उद्घोषणा जारी करेगा और स्थावर सम्पत्ति के मामले में, उद्घोषणा की प्रति ऐसे तहसीलदार को भी अग्रेषित करेगा, जिसकी अधिकारिता में सम्पत्ति स्थित है, जो अधिकार अभिलेख में ऐसे प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में प्रविष्टि करायेगा ।

**98. विशेष मामलों में अधिनिर्णयों या आदेशों का निष्पादन :**

धारा 100 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये रजिस्ट्रार लिखितआदेश द्वारा सहकारी विभाग या शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी के किसी भी अधिकारी को, उसे उसके आवेदन करने पर, किसी सोसाइटी द्वारा निष्पादन के लिये प्राप्त किये गये अधिनिर्णयों या आदेशों को मंगाने और भेजने के लिये विशेषतः प्राधिकृत कर सकेगा आदेश में

वह सोसाइटी या वे सोसाइटियां विनिर्दिष्ट की जायेंगी जिसके या जिनके सम्बन्ध में इन शक्तियों का प्रयोग किया जाना है ।

**99. ऐसी सम्पत्ति का अन्तरण जो बेची नहीं जा सके :**

(1) जब धारा 100 के अधीन निष्पादित किये जाने के लिये ईप्सित किसी आदेश के निष्पादन में कोई सम्पत्ति क्रेताओं के अभाव में बेची नहीं जा सके तो, यदि ऐसी सम्पत्ति व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के, या उक्त धारा के खण्ड (क) या (ख) के अधीन, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र दिये जाने के बाद, व्यतिक्रमी द्वारा सृजित किसी हक के अधीन उस पर दावा करने वाले किसी व्यक्ति क कब्जे में हो, निष्पादन करने वाला अधिकारी इस तथ्य की रिपोर्ट न्यायालय या कलक्टर या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार को, और उक्त आदेश के निष्पादन के लिये आवेदन करने वाली सोसाइटी को यथासाध्य शीघ्र देगा ।

(2) सोसाइटी, उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, रिपोर्ट प्राप्त होने के छह मास के भीतर भीतर या ऐसी और कालावधि के भीतर भीतर, जो कि किसी विशिष्ट मामले में पर्याप्त कारणों से न्यायालय, या कलक्टर या रजिस्ट्रार द्वारा अनुज्ञात की जाये, न्यायालय, कलकटर या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार को लिखित रूप में आवेदन, यह बताते हुये प्रस्तुत कर सकेगी कि वह ऐसी सम्पतित लेने के लिये सहमत है या नहीं ।

(3) उपनियम (2) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर व्यतिक्रमी और ऐसे व्यक्तियों को, जिनके नाम सम्पत्ति में कोई हित धारण करने वाले व्यक्तियों के रूप में अधिकार अभिलेख में हों, सम्मिलित करते हुये, सम्पत्ति के हितबद्ध के रूप में ज्ञात समस्त व्यक्तियों को, आशयित अन्तरण के सम्बन्ध में नोटिस जारी किये जायेंगे ।

(4) ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर व्यतिक्रमी या ऐसी सम्पत्ति पर स्वामित्व रखने वाला या धारा 100 के अधीन कोई प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख के पूर्व अर्जित किसी हक के आधार पर उसमें हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति निष्पादित किये जाने के लिये ईप्सित आदेश के अधीन सोसाइटी को देय रकम के बराबर राशि का उस पर के ब्याज सहित, एवं/सोसाइटी को संदाय करने के लिये परिव्ययों तथा अन्य आनुषंगिक व्ययों के संदाय के लिये ऐसी अतिरिक्त राशि, जो न्यायालय या कलक्टर या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त अवधारित की जाये, ऐसे नोटिस प्राप्त होने की तारीा से एक मास के भीतर भीतर न्यायालय या कलकटर या रजिस्ट्रार के पास जमा करा सकेगा ।

(5) व्यतिक्रमी या सम्पत्ति में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति के अथवा उसमें किसी प्रकार का हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति के उपनियम (4) के अधीन रकम जमा कराने में विफल रहने पर न्यायालय या कलकटर या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार प्ररूप "ठ" में प्रमाणपत्र में बतायी गयी शर्तों पर सम्पत्ति सोसाइटी को अन्तरित करने का निदेश देगा ।

(6) उपनियम (5) के अधीन दिये गये प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया जायेगा कि आया व्यतिक्रमी द्वारा सोसाइटी को देय रकम के पूर्ण या आंशिक चुकारे के लिये सम्पत्ति का अन्तरण किया गया है ।

(7) यदि सोसाइटी को सम्पत्ति का अन्तरण व्यतिक्रमी द्वारा उसे देय रकम के आंशिक चुकारे के लिये किया गया है तो न्यायालय या कलक्टर या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार, सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार का हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणपत्र पेश किये जाने पर धारा 100 में अधिकथित रीति से, सोसाइटी को देय राशि वसूल करेगा ।

(8) उपनियम (5) के अधीन सम्पत्ति का अन्तरण निम्नलिखित रूप से प्रभावी किया जायेगा :–

(i) जंगम सम्पत्ति के मामले में :–

(क) जहॉ सम्पत्ति स्वयं व्यतिक्रमी के कब्जे में हो या न्यायालय या कलकटर या रजिस्ट्रार की ओर से कब्जे में ली गयी हो वहॉ वह सोसाइटी को परिदत्त की जायेगी ।

(ख) जहॉ सम्पत्ति किसी व्यतिक्रमी की ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में हो वहॉ उसका परिदान ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में वह है, उसका वास्तविक शान्तिपूर्वक कब्जा

सोसाइटी को देने का निदेश देते हुये और सम्पत्ति का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त करने से उसे प्रतिषिद्ध करते हुये, नोटिस देकर किया जायेगा

(ग) सम्पत्ति सोसाइटी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सोसाइटी की ओर से कब्जा लेने के लिये परिदत्त की जायेगी ।

(ii) स्थावर सम्पत्ति के मामले में :–

(क) जहॉ सम्पत्ति कोई उगती या खड़ी फसल हो वहॉ वह काटी और एकत्र की जाने के पूर्व सोसाइटी को परिदत्त की जा सकेगी और सोसाइटी उस भूमि पर प्रवेश करने तथा वह सब करने की हकदार होगी जा उस फसल की देखभाल और काटने तथा एकत्र करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ।

(ख) जहॉ सम्पत्ति व्यतिक्रमी के या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के या धारा 100 के अधीन कोई प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् व्यतिक्रमी द्वारा सृजित किसी हक के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के कब्जे में हो वहॉ न्यायालय या कलकटर या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार, परिदान का आदेश सोसाइटी को या ऐसे किसी भी व्यक्ति को,क जिसे कि सोसाइटी अपनी ओर से परिदान लेने के लिये नियुक्त करे, सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा देकर और यदि आवश्यक हो तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उसे खाली करने से अवैध रूप से इनकार करता है, हटाकर परिदान किये जाने के लिये देगा ।

(ग) जहॉ सम्पत्ति किसी अधिकारी के या धारा 100 के अधीन कोई प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख के पूर्व अर्जित किसी हक द्वारा उसे धारित करने के हकदार अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो वहॉ न्यायालय या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार परिदान का आदेश, सम्पत्ति पर के किसी सहजदृश्य स्थान में सम्पत्ति के सोसाइटी को अन्तरण के प्रमाणपत्र की प्रति चिपकाकर और उक्त व्यक्ति के प्रति किसी सुविधाजनक स्थान पर डोंडी पिटवाकर या किसी अन्य रूढ़िगत ढंग से उद्घोषणा करके परिदान किये जाने के लिये देगा ।

(9) सोसाइटी से विक्रय के आनुषंगिक व्यय, जिसमें पशुधन, यदि कोई हो, के अनुरक्षण का खर्चा भी सम्मिलित है, ऐसे मापमान के अनुसार संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर नियत किया जाये ।

(10) जहॉ भूमि किसी उगती या खड़ी फसल के काटे जाने और एकत्र किये जाने के पूर्व उपनियम (8) के खण्ड (पप) के उपखण्ड (क) के अधीन सोसाइटी को अन्तरित की जाये, वहॉ सोसाइटी भूमि पर चालू वर्ष का भू–राजस्व देने की दायी होगी ।

(11) सोसाइटी उपनियम (8) के खण्ड (पप) के उपखण्ड (ख) या (ग) के अधीन सम्पत्ति के किसी अन्तरण की रिपोर्ट ग्राम पटवारी की सूचना तथा अधिकार अभिलेखों में प्रविष्ट करने के लिये तत्काल देगी ।

(12) सोसाइटी जिसको उपनियम (5) के अधीन सम्पत्ति का अन्तरण किया गया हो, बाह्य विल्लंगमों के संदाय को सम्मिलित करते हुये, उपगत समस्त व्यय भू–राजस्व और सम्पतित पर के अन्य देयों तथा उससे प्राप्त सम्पूर्ण आय दर्शित करते हुये प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रमी के लिये पृथक–पृथक लेखा रखेगी ।

(13) जिस सोसाइटी को उपनियम (5) के अधीन सम्पत्ति अन्तरित की गई है वह सोसाइटी के तथा व्यतिक्रमी के अधिकतम फायदे के लिये सम्पत्ति को यथासाध्य शीघ्र बेचने का सर्वोत्तम प्रयास करेगी तथा प्रथम विकल्प सदैव उस व्यतिक्रमी को दिया जायेगा जो सम्पत्ति का मूलतः स्वामी रहा है । विक्रय रजिस्ट्रार द्वारा पुष्टि किये जाने के अधीन होगा । विक्रय के आगमों का उपयोजन विक्रय के व्ययों और उपनियम (9) तथा (12) में निर्दिष्ट, सोसाइटी द्वारा उपगत अन्य व्ययों के चुकारे और निष्पादन में के आदेश क अधीन व्यतिक्रमी द्वारा देय राशि की बकाया का संदाय करने में किया जायेगा तथा तब अधिशेष (यदि कोई हो) का संदाय व्यतिक्रमी को कर दिया जायेगा ।

(14) जब तक सम्पत्ति बेची नहीं जाये तब तक वह सोसाइटी, जिसे उपनियम (5) के अधीन सम्पत्ति अन्तरित की जाती है, सम्पत्ति से अधिकतम सम्भव आय प्राप्त करने के लिये उसे पट्टे पर देने या उसका अन्य कोई ऐसा उपयोग करने के लिये, जो किया जा सकता है, अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करेगी ।

(15) जब ऐसी सोसाइटी ने, जिसे उपनियम (5) के अधीन सम्पत्ति अन्तरित की जाती है, ऐसे आदेश के, जिसके निष्पादन में सम्पत्ति अन्तरित की गई थी, अधीन अपने समस्त देयों की वसूली सम्पत्ति के प्रबन्ध के आगमों से कर ली हो तो सम्पत्ति, यदि बेची न गयी हो, व्यतिक्रमी को वापस कर दी जायेगी ।

**100. सरकार को देय राशियों की वसूली की प्रक्रिया :**

अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन सरकार को अधिनिर्णीत किन्हीं व्ययों सहित किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा या किसी सहकारी सोसाइटी के किसी अधिकारी या सदस्य या पूर्व सदस्य द्वारा सरकार को देय समस्त राशियां रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त जारी प्रमाणपत्र पर, उसी रीति से वसूल की जा सकेंगी जिससे भू–राजस्व की बकाया वसूल की जाती है ।

## अध्याय–13

## अपीलें, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन

**101. धारा 104 के अधीन सरकार और रजिस्ट्रार को अपील पेश करने तथा उनके द्वारा उनका निर्वतन किये जाने की प्रक्रिया :**

(1) (क) सरकार या रजिस्ट्रार को कोई अपील या तो अपीलार्थी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्त अभिकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी के समक्ष कार्यालय समय के दौरान व्यक्तिशः पेश की जायेगी या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जायेगी । जब किसी सोसाइटी की ओर से अपील पेश की जाये तो अपील के संबंध में तथा उक्त अपील पर हस्ताक्षर करने और उसे पेश करने के लिये अधिकारी को प्राधिकृत करने के सोसाइटी की समिति के संकल्प की प्रति भी अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न की जायेगी ।

(ख) अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को कोई अपील, ऐसे अधिकारी या अधिकारियों द्वारा सुनी जा सकगी जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें ।

(2) जब ऐसी अपील किसी अभिकर्ता द्वारा पेश की जाये तो उसके साथ अपीलार्थी का उसे इस रूप में नियुक्त करने का प्राधिकार पत्र संलग्न किया जायेगा ।

(3) प्रत्येक अपील के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति लगायी जायेगी, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है ।

(4) प्रत्येक अपील :–

(i) या तो टंकित होगी या स्याही से सुपाठ्यरूप रूप से हस्तलिखित होगी ;

(ii) में अपीलार्थी का नाम और पता तथा प्रतिपक्षी का नाम और पता, जैसी भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट होगा ;

(iii) में उस व्यक्ति का उल्लेख होगा, जिसके द्वारा वह आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, दिया गया था ;

(iv) में उस आदेश की तारीख दी जायेगी जिसके विरूद्ध अपील की गयी है ;

(v) में उन आधारों का स्पष्ट वर्णन होगा, जिन पर अपील की गयी है ; और

(vi) में उस अनुतोष का संक्षिप्त वर्णन होगा जिसके लिये अपीलार्थी दावा करता है ।

(5) अपील प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी उस पर वह तारीख पृष्ठांकित करेगा जिसको वह उसे प्राप्त हुई है । अपील प्राधिकारी, यथा–सम्भव शीघ्र उसकी परीक्षा करेगा और स्वयं का समाधान करेगा कि –

(i) उसे प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अपील करने के लिये प्राधिकृत है ;

(ii) वह विहित समयावधि के भीतर की गयी है ; और

(iii) वह अधिनियम तथा इन नियमों के समस्त उपबन्धों के अनुरूप है ।

(6) यदि अपील प्राधिकारी यह पाये कि पेश की गयी अपील इस नियम के किन्हीं उपबन्धों में से किसी के भी अनुरूप नहीं है तो वह अपील पर उस प्रभाव का टिप्पण करेगा तथा अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता को, ऐसा करने का नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर भीतर त्रुटियों को सुधारने के या यदि अपील विहित कालावधि के भीतर भीतर पेश नहीं की गयी है तो, उक्त सात दिन की समयावधि के भीतर यह कारण बताने की अपीलार्थी से अपेक्षा कर सकेगा कि कालातीत हो जाने के कारण अपील प्राधिकारी द्वारा उसे क्यों न खारिज कर दिया जाये ।

(7) यदि त्रुटि सुधार दी जाये या अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा बताये गये कारण से अपील अधिकारी का समाधान हो जाये तो अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाये तो अपील प्राधिकारी अपील पर विचार करने की कार्यवाही कर सकेगा ।

(8) यदि अपीलार्थी या उसका अभिकर्ता उक्त कालावधि के भीतर भीतर त्रुटियों को सुधारने या अपील प्राधिकारी को समाधानस्पद कारण बताने में विफल रहता है, तो अपील प्राधिकारी यदि अपील समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की गयी है तो, अपील को कालातीत के रूप में खारिज कर सकेगा । जिन मामलों में सुनवाई का अवसर देना आवश्यक समझा जाये उनमें अपील प्राधिकारी सुनवाई के लिये तारीख नियत कर सकेगा जिसका सम्यक् नोटिस अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता को दिया जायेगा ।

(9) अपील प्राधिकारी इस प्रकार नियत तारीख का अभिलेख पर विचार करने और अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता, यदि उपस्थित हों, को सुनने के पश्चात् अपील पर उपयुक्त आदेश पारित करेगा ।

(10) अपील प्राधिकारी अपने विवेक से किसी भी अपील की सुनवाई को किसी भी प्रक्रम पर किसी भी अन्य तारीख के लिये स्थगित कर सकेगा ।

(11) जब अपील की सुनवाई पूर्ण हो जाये तो अपील प्राधिकारी अपना निर्णय तुरन्त सुनायेगा या अपीलार्थी या अपील के अन्य पक्षकारों को सम्यक् नोटिस देने के पश्चात् उसके लिये कोई तारीख नियत कर सकेगा ।

(12) अपील प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय या आदेश लिखित रूप में होगा और उसकी प्रति अपीलार्थी और ऐसे अन्य पक्षकारों को दी जायेगी जिनका अपील प्राधिकारी की राय में विनिश्चय या आदेश से प्रभावित होना संभव हो ।

**102. राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें और चयन की प्रक्रिया :**

(1) धारा 105 की उपधारा (3) और (4) में क्रमशः यथानिर्दिष्ट राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की सेवा के निबन्धन और शर्तें और वेतन और भत्ते सदस्यों को उनके पैतृक विभाग में उन पर लागू सम्बन्धित नियमोंा द्वारा विनियमित होंगे ।

(2) धारा 105 की उपधारा (5) में यथा निर्दिष्ट सदस्य की सेवा के निर्बन्धन और शर्तें और वेतन और भत्ते राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित किये जायेंगे ।

(3) धारा 105 की उपधारा (3) और (4) में यथानिर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्य क्रमशः राजस्थान उच्च न्यायालय और सरकार द्वारा चयनित और नियुक्त किये जायेंगे ।

(4) धारा 105 की उपधारा (5) में यथानिर्दिष्ट सदस्य निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा :–

(क) प्रमुख सचिव/शासन सचिव, सहकारिता विभाग,राजस्थान — अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान — सदस्य

(ग) विधि सचिव, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि (जैसे संयुक्त विधि परामर्शी से नीचे की रैंक का न हो) सदस्य

(घ) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान सदस्य सचिव

## अध्याय–14
## प्रकीर्ण

**103. सोसाइटियों द्वारा लेखे और अन्य पुस्तकों का रखा जाना :**

(1) प्रत्येक सोसाइटी अपने द्वारा किये गये कारबार के अभिलेखन के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित लेखे और पुस्तकें रखेगी तथा संधारित करेगी :–

(क) समिति की और सदस्यों के साधारण निकाय की कार्यवाहियों के अभिलेखन के लिये कार्यवृत्त पुस्तक ।

(ख) आवेदक का नाम और पता, आवेदन प्राप्त होने की तारीख, आवेदित शेयरों की संख्या तथा अस्वीकार के मामले में आवेदन ग्रहण करने से इनकार करने के विनिश्चय की संसूचना देने की तारीख अन्तर्विष्ट करते हुये, सदस्यता के आवेदनों का रजिस्टर ।

(ग) प्रत्येक सदस्य की क्रम संख्या, नाम तथा पता, (सदस्यता) की तारीख उसके द्वारा लिये गये शेयर या शेयरों की संख्या, ऐसे सदस्य द्वारा नियुक्त नामनिर्देशिती का नाम, ऐसे नामनिर्देशन के साक्षी तथा सदस्यता समाप्त होने की तारीख दर्शित करते हुये सदस्यों का रजिस्टर ।

(घ) प्रत्येक सदस्य का नाम तथा पता, उसके द्वारा लिये गये शेयर या शेयरों की संख्या और उसके द्वारा ऐसे शेयरों के लिये संदत्त रकम तथा उसे प्रतिदत्त शेयर पूँजी की रकम, यदि कोई हो, ऐसे प्रत्येक संदाय और प्रतिदाय की तारीख सहित, अन्तरित शेयर या शेयरों की संख्या और ऐसे अन्तरण की तारीख सहित अन्तरिती का नाम दर्शित करते हुये शेयर रजिस्टर ।

(ड.) दैनिक प्राप्तियॉ और व्यय, प्रत्येक दिन के संव्यवहारों के समाप्त होने पर रहे अतिशेष को दर्शित करते हुये रोकड़ बही ।

(च) द्विप्रतिक प्रारूपों वाली रसीद बुक, प्रत्येक सैट में से एक सोसाइटी द्वारा प्राप्त किये गये धन की रसीदें जारी करने के लिये और दूसरी प्रतिपर्ण के रूप में काम में लेने के लिये।

(छ) सोसाइटी द्वारा उपगत आकस्मिक व्यय के क्रमांकित तथा काल–क्रमानुसार लगाये गये समस्त वाउचरों की वाउचर फाईल ।

(ज) समस्त प्रकार के निक्षेप और उधार दर्शित करने वाला उधारों का लेजर ।

(झ) उधार देने वाली सोसाइटियों के सम्बन्ध में –

(1) सदस्यों को दिये गये प्रत्येक उधार के संवितरण की संख्या तथा तारीख, उधार की रकम, प्रयोजन, जिसके लिये वह मंजूर किया गया है तथा मूलधन और ब्याज को सुभिन्न करते हुये प्रतिसंदाय की तारीख या तारीखें दर्शित करने वाला उधारों का लेजर ।

(2) प्रत्येक सदस्य की, सोसाइटी के सम्बन्ध में, चाहे उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लिये गये उधारों के कारण या उन उधारों के कारण, जिनके लिये वह प्रतिभू होता है, ऋण दर्शित करने वाला दायित्वों का रजिस्टर ।

(ञ) असीमित दायित्व वाली सोसाइटी के मामले में प्रत्येक पृथक–पृथक सदस्य की, उसके प्रवेश लेने की तारीख को, भूमियों की सर्वेक्षण संख्या सहित उसकी सम्पत्ति के पूर्ण विवरणों के साथ, आस्तियों और दायित्वों को दर्शित करने वाला सदस्यों की सम्पत्ति का विवरण, ऐसा विवरण जब–जब भी आवश्यक हो और किसी भी दशा में तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षित किया जायेगा तथा उक्त विवरणों को सिली हुई जिल्द वाले रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा ।

(ट) ऐसी सोसाइटी के सम्बन्ध में, जिसकी कामकाज पूँजी बीस हजार रूपये से अधिक है, दिन–प्रतिदिन की प्राप्तियां और सवितरण तथा विभिन्न शीर्षों के अधीन बकाया दर्शित करने वाला सामान्य लेजर ।

(ठ) ऐसी सोसाइटी के मामले में, जिस पर नियम 66 लागू होता है, सोसाइटी के आसन्न दायित्व तथा उनकी पूर्ति के लिये उपलभ्य तरल संसाधनों की सीमा दर्शित करने वाला तरल संसाधन रजिस्टर ।

(ड) प्राप्तियों और संवितरणों का मासिक रजिस्टर ।

(ढ) लाभांश का रजिस्टर ।

(ण) डिबेन्चरों तथा बन्धपत्रों (जहॉ पूँजी डिबेन्चरें तथा बन्धपत्रों द्वारा एकत्र की जाती है) का रजिस्टर ।

(त) स्टॉक रजिस्टर ।

(थ) सम्पत्ति का रजिस्टर ।

(द) प्रसंस्करण सोसाइटी तथा उत्पादकों की सोसाइटी आदि के सम्बन्ध में संयन्त्र और मशीनरी का रजिस्टर ।

(ध) लेखापरीक्षा संबंधी आक्षेपों और उनके परिशोधन का रजिस्टर ।

(न) उपभोक्ता या विपणन सोसाइटी के मामले में माल के विक्रयों या अन्तरण में लगे हुये प्रत्येक बिक्रीकर्ता और गोदामरक्षक या किसी अन्य कर्मचारी चाहे किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, के लिये मूल्य के निबन्धनों के अनुसार पृथक दायित्व रजिस्टर जिसमें प्रत्येक बीजक, आदेश, किसी भी अन्य दस्तावेज, जिसके माध्यम से माल के विक्रय या अन्तरण के प्रयोजन के लिये उसके द्वारा स्टॉक प्राप्त किया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की विक्रय प्रोत्साहन स्कीम, यदि कोई हो, के अधीन प्राप्त किया गया स्टॉक सम्मिलित है, सोसाइटी के लेखाओं में उसके द्वारा जमा की गयी रकम के कारण कम हुआ दायित्व, माल का अन्तरण, माल के विनाश, टूट–फूट, अवसान या ह्रास इत्यादि जो सोसाइटी में प्रचलित संनियमों के अधीन अनुज्ञात हो और मूल्य के निबन्धनों के अनुसार प्रत्येक प्रविष्टि के पश्चात् दायित्व का सन्तुलन दर्शित हो ।

(प) ऐसे अन्य लेखे तथा पुस्तकें, जिनकी रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर अपेक्षा की जाये ।

(2) इन नियमों और उपविधियों के अधीन विहित रजिस्टरों तथा सोसाइटीी के अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा के लिये सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, उत्तरदायी होगा ।

**104. सहकारी सोसाइटियों के नामादि के रजिस्टर का रखा जाना :**

रजिस्ट्रार, या किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने के लिये सक्षम प्राधिकारी :–

(1) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त सहकारी सोसाइटियों के नामों और पतों का रजिस्टर रखेगा, और

(2) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की उपविधियों का, उनके समस्त पश्चात्वर्ती संशोधनों को उस क्रम में, जिसमें संशोधन रजिस्ट्रीकृत हुये हैं, अभिलेख रखेगा ।

**105. लेखे तथा पुस्तकें लिखे जाने के लिये निदेश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति :**

रजिस्ट्रार किसी भी सहकारी सोसाइटी को लिखित आदेश द्वारा नियम 103 के अधीन उसके द्वारा रखे जाने के लिये अपेक्षित किसी भी या समस्त लेखे और पुस्तकें, ऐसी तारीख तक, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर–भीतर, जैसा वह निदेश करे, लिखे जाने का निदेश दे सकेगा । किसी सोसाइटी के ऐसा करने में विफल रहने पर रजिस्ट्रार, अपने किसी अधिनस्थ अधिकारी को लेखे और पुस्तकें लिखने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकेगा । ऐसे मामले में, रजिस्ट्रार कार्य में अन्तर्वलित समय और उसके लिये प्रतिनियुक्त अधिकारी को परिलब्धियों के सन्दर्भ में वे प्रभार, जो सम्बन्धित सोसाइटी द्वारा राज्य सरकार को संदत्त किये जाने चाहियें, अवधारित करने और सोसाइटी से उसकी वसूली करने का निदेश देने के लिये सक्षम होगा ।

**106. पुस्तकों की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियों का प्रमाणित किया जाना :**

(1) धारा 114 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये किसी सहकारी सोसाइटी की, उसके कारबार के दौरान नियमित रूप से रखी गयी पुस्तकों में की प्रविष्टि की प्रति,

(क) सोसाइटी के अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी और उस पर सोसाइटी की मुहर भी लगायी जायेगी, या

(ख) जहॉ धारा 63 के अधीन सोसाइटी का समापक नियुक्त करने का कोई आदेश पारित किया गया है, वहॉ परिसमापक द्वारा, प्रमाणित की जायेगी, या

(ग) जहॉ धारा 30 के अधीन सोसाइटी का प्रशासक नियुक्त करने का कोई आदेश पारित किया गया है, वहॉ प्रशासक द्वारा प्रमाणित की जायेगी ।

(2) ऐसी प्रमाणित प्रतियां देने के लिये उद्गृहीत किये जाने वाले प्रभार नियम 112 में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होंगे ।

**107. सोसाइटियों द्वारा दिये जाने वाले विवरण और विवरणियां :**

(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी प्रत्येक सहकारी वर्ष के लिये निम्नलिखित तैयार करेगी :–

(क) वर्ष की प्राप्तियां और संवितरण दर्शित करते हुये विवरण,

(ख) लाभ और हानि लेखा,

(ग) तुलनपत्र, और

(घ) ऐसे अन्य विवरण या विवरणियां जो रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें ।

(2) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार को ऐसे समय के भीतर जैसा वह निदेश करे, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरणों की प्रति प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेगी । रजिस्ट्रार या लेखा परीक्षक द्वारा विवरणों का सत्यापन कर लिये जाने तथा उनका लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र देने के पश्चात् सोसाइटी लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र और अन्य विवरणों में से ऐसा विवरण, जैसा वह निदेश दे, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित करेगी और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जहॉ तक साध्य हो, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरणों के प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर भीतर दे दिया जायेगा ।

(3) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी के अतिरिक्त रजिस्ट्रार को कोई भी विवरण या विवरणी भी ऐसे प्ररूप में, ऐसे समय के भीतर भीतर तथा ऐसी कालावधि के लिये, जो रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगी ।

(4) उपनियम (1) या (3) में विनिर्दिष्ट किसी भी विवरण या विवरणी को उसके द्वारा निदेशित समय के भीतर भीतर प्रस्तुत करने में किसी सोसाइटी के विफल रहने की दशा में रजिस्ट्रार, आवश्यक विवरण या विवरणी तैयार करने के लिये किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगा । समिति के सदस्य और सोसाइटी के अन्य अधिकारी कार्य से न्यस्त ऐसे अधिकारी की विवरणीया विवरणियां तैयार करने के लिये आवश्यक सम्पूर्ण सूचना देगा । ऐसे मामलों में, रजिस्ट्रार, कार्य में अन्तर्वलित समय तथा उसके लिये प्रतिनियुक्त अधिकारी की परिलब्धियों के संदर्भ में वे प्रभार, जो संबंधित सोसाइटी द्वारा राज्य सरकार को संदत्त किये जाने चाहिए अवधारित करने और सोसाइटी से उसकी वसूली भू–राजस्व की बकाया के रूप में करने का निर्देश देने के लिए सक्षम होगा।

**108. समन या नोटिसों के तामील किये जाने की रीति :**

(1) अधिनियम या इन नियमों के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन या नोटिस लिखित में होगा, और उस पर उस अधिकारी की, जिसके द्वारा वह जारी किया गया है, मुहर, यदि कोई हो, होगी तथा ऐसे अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा । समय या नोटिस द्वारा समनित व्यक्ति से बताये गये समय और स्थान पर उक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी, तथा उसमें यह विनिर्दिष्ट होगा कि क्या उसकी उपस्थिति साक्ष्य देने के या कोई दस्तावेज पेश करने के प्रयोजन के लिये या दोनों प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है ; तथा ऐसा कोई दस्तावेज विशेष, जिसके प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी है, समन में युक्तियुक्त रूप से सही सही वर्णित होगा ।

(2) अधिनियम या इन नियमों के अधीन जारी किये गये समन या नोटिसों की तामील तहसीलदार या सहकारी विभाग के या किसी शीर्ष या केन्द्रीय या प्राथमिक सोसाइटी के किसी भी कर्मचारी के माध्यम से या सोसाइटी के अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से या रसीदी रजिस्ट्री डाक से की जायेगी । प्रत्येक ऐसा व्यक्ति या सोसाइटी, जिसे समन या नोटिस तामील के लिये भेजे गये हों, उनकी तामील एक सप्ताह के भीतर भीतर करने के लिये बाध्य होगा ।

(3) किसी भी व्यक्ति को, साक्ष्य देने के लिये समनित किये बिना दस्तावेज पेश करने के लिये समन किया जा सकेगा, तथा केवल दस्तावेज पेश करने के लिये समनित किसी भी व्यक्ति द्वारा, यदि वह उसे पेश करने के लिये स्वयं उपस्थित होने के बजाय उक्त दस्तावेज पेश करा देता है तो, समन का अनुपालन किया गया होना समझा जायेगा ।

(4) अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी भी व्यक्ति पर समय या नोटिसों की तामील निम्नलिखित किसी भी रीति से की जा सकेगी :–

(क) उसे व्यक्तिशः देकर या प्रस्तुत करके, या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले तो उसे उसके अन्तिम ज्ञात आवास या कारबार के स्थान पर छोड़कर या उसे उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य को देकर या प्रस्तुत करके, या

(ग) यदि रजिस्ट्रार या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को उसका पता ज्ञात हो तो उसे रसीदी रजिस्ट्री डाक से भेजकर, या

(घ) यदि पूर्वोक्त साधनों में से कोई भी उपलब्ध न हो तो उसके अन्तिम ज्ञात आवास या कारबार के स्थान के सहजदृश्य भाग पर चिपकाकर, या

(ड.) उस क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन वाले किसी समाचारपत्र में प्रकाशन करके ।

(5) जहॉ तामील करने वाला अधिकारी प्रतिवादी को व्यक्तिशः या उसकी ओर से किसी अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को समन या नोटिसों की प्रति दे देता है या प्रस्तुत कर देता है वहॉ वह ऐसे व्यक्ति से, जिसे इस प्रकार की दी या प्रस्तुत की गयी है, मूल समन या नोटिसों पर, तामील की अभिस्वीकृति के रूप में पृष्ठांकित हस्ताक्षर करने की अपेक्षा करेगा ।

(6) तामील करने वाला अधिकारी ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें उपनियम (5) के अधीन समन या नोटिसों की तामील हो गयी है, मूल समन या नोटिसों को, उन पर वह समय जब, तथा वह रीति, जिससे समन या नोटिस की तामील की गयी थी तथा उस व्यक्ति को, पहचानने वाले तथा समनों या नोटिसों के परिदत्त या प्रस्तुत किये जाने के साक्षी व्यक्ति, यदि कोई हो, का नाम और पता उल्लिखित करते हुये विवरणी पृष्ठांकित या उपाबद्ध करेगा या करवायेगा ।

(7) जहॉ समनित किया जाने वाला प्रतिवादी कोई लोक अधिकारी है या किसी स्थानीय प्राधिकारी का या सोसाइटी का कर्मचारी है वहॉ समन जारी करने वाला अधिकारी, यदि उसे यह प्रतीत हो कि समन सुविधापूर्वक इस प्रकार तामील कराया जा सकता है, उसे उस कार्यालय के प्रमुख को, जिसमें वह नियोजित है, प्रतिवादी के द्वारा रखी जाने वाली प्रति के साथ समनित किये जाने वाले पक्षकार पर तामील कराने के लिये, रसीदी रजिस्ट्री डाक से भेज सकेगा ।

**109. आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय की संसूचना :**

अधिनियम या इन नियमों के अधीन संसूचित किये जाने के लिये अपेक्षित कोई भी आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय, जब तक अधिनियम या इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो, पक्षकार द्वारा दिये गये उसके अन्तिम पते पर इस अनुदेश के साथ कि उसकी प्रति सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये, प्रेषण प्रमाण–पत्र के अधीन तथा सोसाइटी को सूचित करते हुये, डाक द्वारा भेजा जायेगा ।

**110. दस्तावेजों का निरीक्षण :**

सोसाइटी का कोई सदस्य रजिस्ट्रार के कार्यालय में, प्रत्येक अवसर के लिये पांच रूपये फीस देकर निम्नलिखित दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा और निम्नलिखित फीस का संदाय करने पर उनकी प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त कर सकेगा :–

| | | |
|---|---|---|
| (i) | किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का आवेदन | प्रत्येक 200 या उससे कम शब्दों के लिये 2 रू. |
| (ii) | रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र | प्रत्येक के लिये 10 रू. |
| (iii) | सोसाइटियों की उपविधियां | प्रत्येक 200 या उससे कम शब्दों के लिये 2 रू. |
| (iv) | सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन | प्रत्येक 200 या उससे कम शब्दों के लिये 2 रू. |
| (v) | किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का आदेश | प्रत्येक 200 या उससे कम शब्दों के लिये 2 रू. |
| (vi) | सोसइटी का लेखा परीक्षा ज्ञापन | प्रत्येक 200 या उससे कम शब्दों के लिये 2 रू. |
| (vii) | वार्षिक तुलनपत्र | प्रत्येक 200 या उससे कम शब्दों के लिये 2 रू. |
| (viii) | धारा 57 के अधीन अधिभार का आदेश | प्रत्येक 200 या उससे कम शब्दों के लिये 2 रू. |
| (ix) | किसी समिति के अधिक्रमण या उसके किसी सदस्य को हटाने का आदेश | प्रत्येक 200 या उससे कम शब्दों के लिये 2 रू. |
| (x) | किसी विवाद या विनिश्चय को निर्दिष्ट करने वाला आदेश | प्रत्येक 200 या उससे कम शब्दों के लिये 2 रू. |
| (xi) | कोई भी अन्य आदेश जिसके विरूद्ध अपील करने का उपबन्ध है | प्रत्येक 200 या उससे कम शब्दों के लिये 2 रू. |

परन्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123, 124, 129 और 131 के अधीन विशेषाधिकृत दस्तावेज निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा ।

**111. सोसाइटियों द्वारा दस्तावेजों की प्रतियों का प्रदाय तथा उनके लिए फीस :**

(1) सोसाइटी का कोई सदस्य, जिसे धारा 113 की उपधारा (2) के अधीन दस्तावेजों में से किसी की प्रति की आवश्यकता हो, उसके लिए सोसाइटी को आवेदन कर सकेगा । ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपये की फीस होगी । निक्षेप प्राप्त होने पर सोसाइटी उसके लिए एक रसीद जारी करेगी ।

(2) जब प्रतियां तैयार हो जाएं, तो उपनियम (1) में अधिकथित मापदण्ड के अनुसार सदस्य द्वारा देय रकम सोसाइटी प्रतिलिपि फीस के रूप में रख लेगी और निक्षेप में से शेष अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, प्रतियां देते समय सदस्य को प्रतिदत्त कर दी जाएगी । जहां सदस्य द्वारा जमा करायी गयी रकम प्रतिलिपिकरण की फीस को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पायी जाए, वहां प्रतियां प्राप्त करने के पूर्व सदस्य से घाटा पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(3) प्रतियां नियम 106 में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति द्वारा सही प्रतियों के रूप में प्रमाणित और हस्ताक्षरित की जाएगी ।

**112. निरसन और व्यावृत्ति :**

राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 1966 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु ऐसा निरसन उनके अधीन किए गए किसी आदेश, की गई किसी कार्रवाई की, की गई या भुगती गई किसी बात के प्रभावों, परिणामों या अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी भी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व या उसके सम्बन्ध में की गई किसी जांच, सत्यापन या कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा ।

## प्ररूप "क"

( नियम 24 देखिये )

.....को.....सोसाइटी लिमिटेड/अनलिमिटेड के सदस्यों की सूची

| क्र.सं. | पिता/पति के नाम सहित सदस्य का पूरा नाम | पता | सदस्यों का वर्ग |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

## प्ररूप "ख"
## (नियम 42 (1) देखिये)
## तुलन–पत्र

| वे अनुदेश जिनके अनुसरण में दायित्व निर्धारित किये जाने चाहिये | दायित्व<br>पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े | चालू वर्ष के आंकड़े | आस्तियां<br>पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े | चालू वर्ष के आंकड़े | वे अनुदेश, जिनके अनुसरण में आस्तियां निर्धारित की जानी चाहिये |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. सरकार द्वारा और सहकारी सोसाइटियों द्वारा तथा व्यक्तिगत रूप से सदस्यों द्वारा अभिदत्त पृथक पृथक दर्शित किये जायेंगें । मोचन या किसी मोचनीय अधिमानी शेयरों के संपरिवर्तन के निबन्धनों का उल्लेख किया जाना चाहिये । | | रू.<br>I- शेयर पूँजी :–<br>प्राधिकृत : प्रत्येक.....रू. के शेयर अभिदत्त (पूँजी के भिन्न भिन्न वर्गों के बीच भेद और प्रत्येक वर्ग के सम्बन्ध में नीचे विनिर्दिष्ट विशिष्टियां बताते हुये), प्रत्येक के ..... शेयर घटाईये–बकाया मांगे जोड़िये–अग्रिम मांगे<br>1. रू. शेयरों के प्रति अभिदाय | | रू.<br>I- नकदी और बैंक बैलेन्स<br>(क) हस्तगत नकदी<br>(ख) बैंक में नकदी :–<br>(प) चालू खाला<br>(पप) बचत बैंक खाता<br>(पपप) बैंक में मांग निक्षेप | रू.<br>I- सैन्ट्रल बैंकों और अन्य अनुमोदित बैंकरों के पास नियतकालिक–निक्षेपों और मांग निक्षेपों को "विनिधान" शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिये न कि "नकदी और बैंक बैलेन्स" शीर्षक के अन्तर्गत," |
| II- (क) परिनियम आरक्षण निधि तथा अन्य आरक्षण एवं निधियां पृथक से दिखायी जायेंगी ।<br>(ख) पिछली बैलेन्स शीट के बाद के योग और कटौतियां प्रत्येक विनिर्दिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत दिखायी जायें :<br>(ग) आरक्षणों के प्रकार की निधियां और किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये, लाभों में से सृष्ट निधियां पृथक से दिखायी जानी चाहियें । | | II- आरक्षण निधियां एवं अन्य निधियां :<br>(क) परिनियत आरक्षण निधि<br>(ख) निर्माण निधि<br>(ग) विशेष विकास निधि<br>(घ) डूबन्त एवं संदिग्ध ऋण आरक्षण<br>(ड.) विनिधान अवयक्षण निधि<br>(च) लाभांश समंकारी निधि<br>(छ) बोनस समकारी निधि<br>(ज) अतिशोध्य ब्याज के लिये आरक्षण<br>(झ) अन्य निधियां | | II. विनिधान :<br>(क) सरकारी प्रतिभूतियां<br>(ख) अन्य न्यासी प्रतिभूतियां<br>(ग) न्यासीतर प्रतिभूतियां<br>(घ) अन्य सहकारी सोसाइटियों के शेयर<br>(ड.) कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनियों के शेयर, डिबेंचर या बन्धपत्र | II- प्रत्येक विनिधान का प्रकार और मूल्यांकन (लागत या बाजार मूल्य) का ढंग उल्लिखित किया जाना चाहिये । यदि किसी भी सोसाइटी का पुस्तांकित मूल्य बाजार मूल्य से कम हो तो प्रत्येक मद के सामने इस आशय की अभ्युक्ति की जानी चाहिये । |
| III-कर्मचारियों के फायदे के लिये रखी जाने वाली स्टाफ भवि य निधि और अन्य किन्हीं बीमा अथवा बोनस निधियों को पृथक से दिखाया जाना चाहिये | | III- स्टाफ भविष्य निधि : | | III-(1) स्टाफ भवि य निधि का विनिधान<br>(2) स्टाफ भवि य निधि में से अग्रिम | III. उद्धत और अनुद्धत प्रतिभूतियों को पृथक पृथक दिखाया जाना चाहिये । |
| IV-प्रतिभूति का प्रकार प्रत्येक मामले में विनिर्दि ट किया जाना चाहिये । जहॉ उधार सरकार या राज्य सहकारी अथवा सैन्ट्रल बैंकों द्वारा अनुदत्त किये गये हों, वहॉ इसका भी उल्लेख, उक्त प्रत्याभूति की अधिकतम रकम सहित, किया जाना चाहिये ।<br>(1) सरकार, (2) राज्य सहकारी बैंकों या सैन्ट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य बैंकों से लिये जाने वाले उधारों को पृथक पृथक दिखाया जाना चाहिये । | | IV-प्रतिभूति उधार :<br>(क) डिबेन्चर<br>(ख) बैंकों से उधार, ओवर ड्राफ्ट और रोकड़ उधार<br>(ग) सरकारों से उधार<br>(घ) अन्य प्रतिभूति उधार | | IV-उधार एवं अग्रिम :<br>(क) उधार<br>(ख) ओवरड्राफ्ट<br>(ग) रोकड़ उधार :<br>(प) माल गिरवी रखकर<br>(पप) माल का आडमान करके<br>(पपप)<br>2. प्रबन्ध समिति सदस्यों द्वारा देय उधार.....रू. सचिव द्वारा और अन्य कर्मचारियों द्वारा देय उधार .....रू. | IV. सैन्ट्रल बैंकों और अन्य संघीय सोसाइटियों के मामले में, सोसाइटियों और व्यक्तिशः सदस्यों द्वारा देय उधारों को पृथक पृथक दिखाया जाना चाहिये । |
| V- | | रू.<br>V-अप्रतिभूति उधार :<br>(क) सैन्ट्रल बैंकों से उधार, रोकड़ उधार एवं ओवरड्राफ्ट<br>(ख) सरकार से<br>(ग) अन्यों से<br>(घ) संदेय बिल | | रू.<br>V-विविध ऋणी :<br>(1) उधार विक्रय<br>(2) अग्रिम<br>(3) अन्य | रू.<br>V- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VI-सोसाइटियों और व्यक्ति की ओर से निक्षेपों को पृथक पृथक दिखाया जाना चाहिये । | VI- निक्षेप :<br>(क) नियतकालिक निक्षेप<br>(ख) आवर्ती निक्षेप<br>(ग) थ्रिफ्ट या बचत निक्षेप<br>(घ) चालू निक्षेप<br>(ड.) मांग हेतु निक्षेप<br>(च) अन्य निक्षेप<br>(छ) प्रत्येक जमा खाते और ओवर ड्राफ्ट खाते में जमा अतिशेष | VI. चालू आस्तियां :<br>स्टोर के अतिरिक्त पुर्जे<br>खुले औजार<br>व्यापार स्टॉक<br>चल रहे संकर्म | VI. मूल्यांकन का ढंग और स्टॉक बताया जायेगा तथा उपभोग के लिये अपेक्षित कच्चेमाल, अंशतः तैयार और तैयार माल एवं स्टोर सामग्री को पृथक पृथक बताया जायेगा । मूल्यांकन का ढंग और चल रहा संकर्म बताया जायेगा । |
| VII.– | VII. चालू दायित्व एवं उपबन्ध :<br>(क) विविध लेनदार<br>(ख) आउटस्टेन्डिंग लेनदार<br>(प) क्रयों के लिये<br>(पप) स्टाफ के वेतनों, करों आदि को सम्मिलित करते हुए व्ययों के लिये<br>(ग) अग्रिम, उस प्रयोग के लिये वसूलियां, जिसका मूल्य अभी भी दिया जाना है, अर्थात् अनवसित अभिदाय, प्रीमियम, कमीशन इत्यादि | VII. नियतकालिक निक्षेप :<br>(क) भूमियां और भवन<br>(ख) पट्टाधृतियां<br>(ग) रेलवे साइडिंग<br>(घ) संयंत्र एवं मशीनरी<br>(ड.) खुले औजार एवं अन्य उपकरण<br>(च) अविक्रय सकन्ध<br>(छ) फर्नीचर एवं फिटिंग्स<br>(ज) पशुधन<br>(झ) यान इत्यादि | VII- प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत मूल लागत एवं उसके परिवर्धन तथा वर्ष के दौरान उसमें से की गई कटौतियां और ..... को कुल अवक्षयण जो वर्ष के अन्त तक अपलिखित या उपबन्धित किये गये हों, बताये जाने चाहियें |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIII.– | VIII. असंदत्त लाभांश | VIII- विविध व्यय एवं हानियां :<br>(1) गुड–विल<br>(2) प्रारम्भिक व्यय<br>(3) शेयरों एवं डिबेन्चरों के जारी किये जाने से संबंधित व्यय जिसमें अण्डरराइटिंग प्रभार, दलाली इत्यादि सम्मिलित है :<br>(4) आस्थगित राजस्व व्यय | |
| IX- | IX- देय हुआ किन्तु संदत्त नहीं हुआ ब्याज | IX- अन्य मदें :<br>(क) पूर्वदत्त व्यय<br>(ख) उपगत किन्तु देय न हुआ ब्याज<br>(ग) अन्य मदें (जो विनिर्दिष्ट की जायें) | |
| X- | X- अन्य दायित्व (जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाये) | X. लाभ एवं हानि लेखा । आरक्षण या किसी अन्य निधि से अनुपलिखित संचित हानियां | |
| XI.–वे समाश्रित दायित्व भी जो कि उपबन्धित नहीं हैं, बैलेन्स शीट में वाद टिप्पण के रूप में उल्लिखित किये जाने चाहियें । | XI. लाभ एवं हानि लेखा गत वर्ष का लाभ ।<br>घटाइए – विनियोजन<br>जोड़िये – चालू लाभ | XI- चालू हानियां | |

| गत वर्ष के आंकड़े रू. पै. | व्यय | इस वर्ष के आंकड़े रू. पै. | गत वर्ष के आंकड़े रू. पै. | आय | इस वर्ष के आंकड़े रू. पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. ब्याज :<br>(क) संदत्त रू.<br>(ख) संदेय रू.<br>2. बैंक प्रभार<br>3. स्टाफ के वेतन एवं भत्ते<br>4. स्टाफ भविष्यनिधि के प्रति अभिदाय<br>5. प्रबन्ध निदेशक का वेतन एवं भत्ते<br>6. निदेशकों और समिति सदस्यों की परिचर्या फीस और यात्रा व्यय<br>7. स्टाफ का यात्रा व्यय<br>8. किराया स्थानीय कर एवं कर<br>9. डाक, तार और टेलिफोन प्रभार<br>10. मुद्रण एवं लेखन सामग्री<br>11. संपरीक्षा फीस<br>12. (आकस्मिकतायें) सामान्य व्यय<br>13. अपलिखित डूबत ऋण या डूबत ऋण के लिये किया गया उपबन्ध<br>14. नियत आस्तियों पर अवक्षयण<br>15. भूमि आय और व्यय लेखा<br>16. अन्य आय<br>17. बैलेन्स शीट में लिया गया शुद्ध लाभ | | | 1. प्राप्त ब्याज :–<br>(क) उधारों एवं अग्रिमों पर<br>(ख) विनिधानों पर<br>2. शेयरों पर प्राप्त लाभांश<br>3. कमीशन<br>4. विविध आय<br>(क) शेयर अन्तरण फीस<br>(ख) किराया<br>(ग) ब्याजों में रिबेट<br>(घ) प्ररूपों का विक्रय<br>(ड.) अन्य मदें<br>5. भूमि आय और व्यय लेखे | |

टिप्पणी :– जिन विपणन सोसाइटियों, उपभोक्ता सोसाइटियों और वैसी ही अन्य सोसाइटियों ने व्यापारिक गतिविधियां हाथ में ली हैं, उनके मामले में लाभ एवं हानि लेखे को दो भागों में विभक्त किया जायेगा, जिनमें व्यापार लेखे और लाभ एवं हानि लेखे को प थक प थक दिखाया जायेगा, जिन उत्पादक सोसाइटियों, प्रसंस्करण सोसाइटियों, वन श्रमिक सोसाइटियों और अन्य सोसाइटियों ने उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियां हाथ में ली हैं, उनके मामले में इसके साथ साथ विनिर्माण लेखा भी तैयार किया जायेगा ।

## प्ररूप "ग"

## ( नियम 44 और 45 देखिये )

.....सहकारी सोसाइटी.....की समिति के सदस्य/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष.....के निर्वाचन के लिये नामनिर्देशन प्ररूप

1. सोसाइटी का नाम
2. प्रस्तावित अभ्यर्थी की प्रवेश संख्या और नाम

3. प्रस्तावित अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम
4. अभ्यर्थी का पता
5. पद जिसके लिये निर्वाचन लड़ रहा है ।
6. प्रस्थापक की प्रवेश संख्या और नाम और उसके पिता/पति का नाम
   मैं .....के पद के लिये .....पुत्र श्री .....का नाम प्रस्तावित करता हूँ ।

प्रस्थापक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप

7. समर्थक की प्रवेश संख्या और नाम

   मैं .....के पद के लिये .....पुत्र श्री .....के नाम का समर्थन करता हूँ

समर्थक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप

**अभ्यर्थी की घोषणा**

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं .....पद के लिये निर्वाचन लड़ना चाहता हूँ ।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप)

नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकन

यह नामनिर्देशन मुझे .....द्वारा दिनांक .....को .....(बजे) व्यक्तिशः प्रस्तुत किया गया ।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

## प्ररूप "घ"

## ( नियम 51(1) देखिये )

**धारा 39 के अधीन घोषणा**

मैं .....(आयु.....) निवासी .....लिमिटेड/ अनलिमिटेड दायित्व वाली ..... सोसाइटी की सदस्यता स्वीकृत किये जाने पर और सोसाइटी से उधार लेने का इच्छुक होते हुए/सोसाइटी से पहले ही उधार लिये होने पर,.....के पक्ष में प्रत्याभूति निष्पादित करने का इच्छुक होते हुए राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 39 (1)/39(क) द्वारा अपेक्षित रूप से यह घोषणा करता हूँ कि मैं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, स्वामित्व/अभिधारी के रूप में हित रखता हूँ और मैं एतद्द्वारा, उस उधार की जो कि सोसाइटी मुझे दे/दे चुकी है, रकम के संदाय के लिये और उन समस्त भावी अग्रिमों के लिये, यदि कोई हों, जो कि सोसाइटी मुझे दे, उधार और अग्रिमों की उक्त रकम पर ब्याज सहित,.....रू. की अधिकतम रकम के अध्यधीन, सोसाइटी के पक्ष में उक्त भूमि/हित पर एतद्द्वारा प्रभार सृष्ट करता हूँ ।

**अनुसूची**

| गांव का नाम | तहसील का नाम | जिले का नाम | सर्वे संख्या<br>नगर सर्वे संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | | | खाता संख्या | खसरा संख्या |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

| सीमायें | | | | क्षेत्र | |
|---|---|---|---|---|---|
| दक्षिण | पूर्व | उत्तर | पश्चिम | बीघे | बिस्वे |
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |

जिसके साक्ष स्वरूप में, श्री .....अपने हस्ताक्षर आज वर्ष दो हजार .....के मास के .....वें/दिन करता हूँ ।

साक्षी

ऊपर नामित व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एवं परिदत्त

(1) .....

(2) .....

आवेदक/उधारग्रहिता/प्रत्याभूतिदाता के हस्ताक्षर
.....द्वारा अनुप्रमाणित पदानिधान.....

घोषणा के अधीन पृष्ठ ..... प्रभार की विशिष्टियां अधिकारों के अभिलेख में सम्मिलित करने और सोसाइटी को अपने अभिलेखार्थ वापिस लौटाने के निवेदन के साथ, पटवारी को ससम्मान अग्रेषित है ।

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
शाखा प्रबन्धक/शाखा सचिव,
.....सोसाइटी,
पंचायत समिति ।

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी .....सोसाइटी, लिमिटेड/अनलिमिटेड को ससम्मान लौटायी जाती है । घोषणा के अधीन सृष्ट प्रभार दिनांक ..... को अधिकारी के अभिलेख में सम्यक् रूप से सम्मिलित कर लिया गया है ।

पटवारी के हस्ताक्षर.....
हलका.....
तहसील.....
जिला.....

## प्ररूप " ड."

( **नियम 51(2) देखिये** )

## धारा 39 के अधीन की गयी घोषणा का रजिस्टर

| क्र0सं0 | रजिस्टर में प्रविष्टि की तारीख | सदस्य का नाम | घोषणा की तारीख | उस गांव का नाम, जिसमें भूमि स्थित है । |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4 | 5. |

| सर्वे संख्या | | | क्षेत्र | | निर्धारण | | अनुमोनत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नगर सर्वे संख्या | खाता संख्या | खसरा संख्या | बीघे | बिस्वे | रूपये | पैसे | |
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |

| विल्लंगम, यदि कोई हो | | अधिकतम उधार की रकम | अभ्युक्तियां, यदि कोई हों, | अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लघु हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| प्रकार | रकम | | | |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |

## प्ररूप "च"

## ( नियम 52 का उप–नियम (4) देखिये )

किसी सहकारी सोसाइटी के देयों के कारण सदस्यों से की गई वसूलियों में, राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 52 के उपनियम (4) के अधीन विप्रेषण का प्ररूप

**मुख्य कार्यपालक,**
**सहकारी सोसाइटी,**
**महोदय,**

आपकी सोसाइटी को .....मास 20.....के लिये, देय रकमों की वसूली हेतु दिनांक .....को आपकी अध्यपेक्षा के संदर्भ में .....रू. (शब्दों में) .....रूपये विप्रेषित किये जाते हैं ।

वसूल की गयी रकम का विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

| सदस्य का नाम | वसूल की गई रकम | | वसूली की तारीख |
|---|---|---|---|
| | रूपये | पैसे | |
| 1. | 2. | 3. | 4. |

कुल .....
जिसमें से विप्रेषण,
यदि कोई हो, का खर्चा
कम करके शुद्ध रकम जो
विप्रेषित की गई

कृपया प्राप्ति अभिस्वीकृति करें :

**भवनिष्ठ,**

**वेतन या मजदूरी संवितरित करने**
**वाला नियोजक या अधिकारी**

## प्ररूप "छ"

## ( नियम 52 का उपनियम (7) देखिये )

राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 52 के उपनियम (7) के अधीन रखे जाने वाला, सहकारी सोसाइटियों को देय धनों की वसूली और विप्रेषण दर्शित करने वाला
रजिस्टर

| क्र0सं0 | सहकारी सोसाइटी का नाम | सोसाइटी से मांग की प्राप्ति की तारीख | उस कर्मचारी का नाम, जिससे देय राशि वसूल की जानी है |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |

| प्राप्तियां | | | संदाय | | विप्रेषण की चालान संख्या और तारीख या सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| मांग | वसूली की तारीख | वसूल की गई रकम | रकम | विप्रेषित | |
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |

| संदाय | | |
|---|---|---|
| सोसाइटी के दफ्तर की मुद्रित रसीद की संख्या और तारीख | अभ्युक्तियां (यहॉ यदि स्तम्भ (4) और (6) में की रकमों के बीच कोई अन्तर हो तो यहॉ उसके कारणों की प्रविष्टि कीजिये) | वेतन या मजदूरी संवितरित करने वाले अधिकारी के लघु हस्ताक्षर |
| 11. | 12. | 13. |

## प्ररूप "ज"

## ( नियम 77 देखिये )

किसी विवाद के निर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में आवेदन प्रेषिति –

रजिस्ट्रार/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार

1. नाम : आयु :
   व्यवसाय : पता :
2. नाम : आयु : विवादी
   व्यवसाय : पता :
3. नाम : आयु :
   व्यवसाय : पता :

**बनाम**

1. नाम : आयु :
   व्यवसाय : पता :
2. नाम : आयु : प्रतिपक्षी
   व्यवसाय : पता :
3. नाम : आयु :
   व्यवसाय : पता :

दावे का विवरण या वाद हेतुक को संघटित करने वाले तथ्य और वह समय जब वह उद्भूत हुआ :–

विवादी/विवादीगण निम्नरूपेण प्रार्थना करता है/करते हैं :–

उपर्युक्त दावे या मांगे गये अनुतोष के समर्थन स्वरूप मैं/हम इसके साथ उपाबद्ध सूची के अनुसार दस्तावेज और पत्रादि संलग्न करता हूँ/करते हैं ।

दिनांक :

(हस्ताक्षरित).....
विवादी/विवादीगण

मैं/हम.....विवादी/विवादीगण घोषणा करता हॅ/करते हैं कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

दिनांक :

(हस्ताक्षरित).....

(1)
(2) विवादी
(3)

कार्यालय में.....20.....को फाईल किया गया ।

टिप्पणी :– (1) यदि अनेक विवादी या प्रतिपक्षी हों तो उनके नाम, पते, आयु व्यवसाय का भी उल्लेख किया जाना चाहिये ।

(2) धन सम्बन्धी दावों से सम्बन्धित विवादों में आवेदकों को दावाकृत रकम प्रमितरूप से बतानी चाहिये, किन्तु जहॉ वह ठीक–ठीक अभिनिश्चित न की जा सकती हो, वहॉ आवेदक दावाकृत अनुमानित रकम बतायेगा ।

(3) जहॉ कोई सोसाइटी विवादी हो, वहॉ आवेदन के साथ उसकी समिति या निदेशक मण्डल के संकल्प की प्रति होगी ।

## प्ररूप "झ"

## ( नियम 83 (8) देखिये )

यतः श्री .....निवासी.....ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 67 में उल्लिखित प्रयोजन (यहॉ प्रयोजन विनिर्दिष्ट कीजिये).....उधार हेतु.....भूमि विकास बैंक लिमिटेड. .....से आवेदन किया है और हाशिये में उल्लिखित भूमियां उधार के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करना प्रस्थापित किया है :

वे भूमियां जिनमें सुधार किया जाना है

| गांव का नाम | सर्वे संख्या | निर्धारण |
|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |

प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की जाने के लिये प्रस्थापित भूमियां

| गांव का नाम | सर्वे संख्या | निर्धारण |
|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उधार अनुदत्त किये जाने के सम्बन्ध में, हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से आपत्तियों की यदि कोई हो, सुनवाई अधोहस्ताक्षरी द्वारा ..... में..... 20.....के.....बजे की जायेगी ।

कोई भी आपत्ति (आक्षेप) प्रस्तुत करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को उपर्युल्लिखित समय और स्थान पर उन दस्तावेजों के साथ, जिन्हें कि वह अपनी आपत्तियों के समर्थनास्वरूप पेश करना चाहता है, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष व्यक्तिशः उपसंजात होना चाहिये ।

सभी हितबद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिये एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि राजस्थान सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 75 के उपबन्धों के अनुसरण में, भूमि विकास बैंक द्वारा या बैंक की उपविधियों के अधीन धारा 67 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये उधार देने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति या समितियों द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, ऐसा कोई लिखित आदेश जो उसमें उल्लिखित व्यक्ति को या उसकी सम्मान से भूमि के फायदे के लिये या उसमें उल्लिखित प्रयोजन के लिये उसमें विनिर्दिष्ट कार्य करने के प्रयोजनार्थ कोई उधार अनुदत्त करता है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में निश्चायक होगा, अर्थात् :

(क) कि वर्णित कार्य या वह प्रयोजन जिसके लिये उधार अनुदत्त किया जाये, धारा 67 के अर्थान्तर्गत कोई सुधार या यथास्थिति उत्पादी प्रयोजन है ।

(ख) कि उक्त व्यक्ति को, आदेश की तारीख को उक्त सुधार करने या यथास्थिति उत्पादी प्रयोजन के लिये व्यय करने का अधिकार था ; और

(ग) कि सुधार विनिर्दिष्ट भूमि के लिये फायदेमन्द है और उत्पादी प्रयोजन प्रतिभूति स्वरूप प्रस्तुत भूमि या उसके किसी भी सम्बन्धित भाग से सम्बन्धित है ।

यदि कोई हितबद्ध व्यक्ति इस नोटिस द्वारा अपेक्षितानुसार कथित रूप से उपसंजात होने में विफल रहे तो विवाद प्रश्न उसकी अनुपस्थिति में विनिश्चत कर दिये जायेंगे और उक्त व्यथित उस सम्पत्ति के प्रति कोई भी दावा नहीं कर सकेंगे, जिसके लिये आवेदित उधार उस समय तक के लिये मंजूर किया जायेगा जब तक उधारग्रहीता द्वारा उधार ब्याज, या उधार से उद्भूत अन्य किन्हीं भी देयों सहित संदत्त न कर दिया जाये ।

आज दिनांक.....20.....

(हस्ताक्षरित)
अधिकारी का पदाभिधान

प्रति.....ग्राम के पटवारी या अन्य समकक्ष अधिकारी को और.....भूमि विकास बैंक लिमिटेड.....को ससम्मान इस निवेदन के साथ अग्रेषित की जाती है कि वे इस नोटिस को तुरन्त गांव की चौपाल और बैंक के मुख्य कार्यालय तथा सम्बन्धित शाखा कार्यालय में लगायें और अधोहस्ताक्षरकर्ता को.....तुरन्त सूचित करें ।

## प्ररूप "अ"

## ( नियम 91 देखिये )

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 92 (1) के अधीन सम्पत्ति के क्रेता को अनुदत्त किया जाने वाला प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्ति :–

| क्र. सं. | सर्वे संख्या | सीमाएं | ग्राम | तहसील | जिला | उस बन्धककर्ता का नाम जिसने भूमि धारित की है । |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 89 के अधीन, सम्पत्ति की सार्वजनिक नीलामी में.....को.....में.....रू. में बेच दी गई है और उक्त.....को विक्रय के समय उक्त सम्पत्ति का क्रेता घोषित कर दिया गया है । उक्त सम्पत्ति का विक्रय मूल्य.....को.....भूमि विकास बैंक, लिमिटेड..... द्वारा प्राप्त किया गया था । विक्रय की पुष्टि अधिनियम की धारा 90 के अधीन की गयी थी और वह.....को पूर्ण हो गया है ।

(हस्ताक्षर).....
सचिव/शाखा प्रबन्धक
भूमि विकास बैंक, लिमिटेड

## प्ररूप "ट"

## ( नियम 97 देखिये )

धारा 100 के अधीन कोई प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय जारी की जाने वाली उद्घोषणा

क. स्थावर सम्पत्ति के मामले में :–

यतः.....(निर्णीत लेनदान) ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 99 के अधीन कोई अधिनिर्णय या धारा 64 के अधीन समापक का या के कोई आदेश,.....(निर्णीत ऋणों) के विरूद्ध .....रू. की रकम के लिये अभिप्राप्त किया है/किये हैं और वह उसे, उक्त निर्णीत ऋणों को निम्नोल्लिखित सम्पत्ति का विक्रय करके निष्पादित करना प्रस्थापित करता है तथा यतः उक्त निर्णीत लेनदान ने उक्त अधिनियम की धारा 100 के अधीन, अधिनिर्णय/अधिनिर्णयों के आदेश/आदेशों के निष्पादन का प्रमाण पत्र दिनांक .....अभिप्राप्त कर लिया है :

अतः एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि सम्पत्ति का, या उस पर, प्रमाणपत्र के जारी किये जाने के पश्चात् किया गया या सृष्ट कोई भी निजी अन्तरण या परिदान अथवा विल्लंगम या प्रभार पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 103 (2) के परन्तुक के अधीन उक्त निर्णीत लेनदान के प्रति अकृत और शून्य होगा।

**सम्पत्ति का विवरण**

| अधिनिर्णय या आदेश की तारीख | उन पक्षकारों के नाम जिनके विरूद्ध अधिनिर्णय या आदेश पारित किया गया है और धारा 118 के अधीन प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है । | सर्वे सं. या गृह संख्या | गांव या शहर इत्यादि का नाम | निर्धारण या अन्य कर | सम्पत्ति का अन्य विवरण, जैसे सीमायें, आदि |
|---|---|---|---|---|---|

नोटिस की उद्घोषणा उक्त सम्पत्ति पर के या उसके पास के किसी स्थान पर डोंडी पिटवाकर अथवा अन्य किसी परम्परागत रीति से की जायेगी और उक्त नोटिस की एक प्रति सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर और गांव की चौपाल के किसी सहजदृश्य भाग पर, तथा जहॉ सम्पत्ति राज्य सरकार को राजस्व संदत्त करने वाली कोई भूमि हो, वहॉ उस जिले के, जिसमें भूमि स्थित है, कलक्टर के काकर्यालय में भी, लगायी जायेगी ।

स्थान..... रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी/

दिनांक..... समापक

ख. जंगम सम्पत्ति के मामले में ऐसा ही एक नोटिस सम्पत्ति के विवरण से संबंधित आवश्यक परिवर्तनों सहित दिया जा सकता है । एक प्रति निर्णीत ऋणी को परिदत्त की जायेगी ।**प्ररूप "ठ"**

**( नियम 99 (5) देखिये )**

धारा 103 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण के लिये प्रमाणपत्र

स्थावर सम्पत्ति के मामले में :–

यतः.....सोसाइटी के पक्ष में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 99 के अधीन पारित अधिनिर्णय या आदेश अथवा अधिनिर्णयों या आदेशों के या धारा 64 के अधीन समापक द्वारा दिये गये आदेश अथवा आदेशों के, निष्पादन में एक आदेश व्यक्ति या व्यक्तियों (ऋणी या ऋणियों) की निम्नोल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिये दिहनांक.....20.....को दिया गया था ;

और यतः न्यायालय/कलक्टर/रजिस्ट्रार को समाधान हो गया है कि उक्त सम्पत्ति खरीददारों के अभाव में बेची नहीं जा सकती ;

अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 103 के अधीन आदेश दिया जाता है कि उक्त सम्पत्ति में ऋणी का अधिकार, हक और हित उक्त सोसाइटी में निहित हो जायेगा और इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में अधिकथित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए सोसाइटी को परिदत्त कर दिया जायेगा।

**सम्पत्ति का विवरण**

**अनुसूची**

उक्त सम्पत्ति सोसाइटी को, ऋणी की ओर से उसे देय रकम के पूर्ण/आंशिक चुकारे हेतु अन्तरित की जाती है ।

आज दिनांक .....20.....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय/कलैक्टर/ रजिस्ट्रार की सील से दिया गया ।

**न्यायालय/कलैक्टर/रजिस्ट्रार**
**सहकारी सोसाइटी**

जंगम सम्पत्ति के मामले में :

(प्ररूप सम्पत्ति के विवरण, और परिदान के सम्बन्ध में, आवश्यक परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुये, समान होगा)**प्ररूप–ड**

**(नियम 14(1) देखिए)**

**.....सहकारी सोसाइटी लि0 .....**

**सदस्यता के लिए आवेदन**

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. आयु :
4. शैक्षणिक अर्हताएं :
5. जाति :
6. निवास का स्थाई पता :
7. निवास का वर्तमान पता :
8. नामनिर्देशिती का नाम और उसके पिता/पति का नाम :
9. आवेदक के साथ नामनिर्देशिती का सम्बन्ध :

**सत्यापन**

मैं ..... पुत्र/पत्नी श्री ..... निवासी ..... ..... तहसील ..... जिला ..... सहकारी सोसाइटी लि0 ..... का सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ । मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ऐसी सदस्यता से सहयुक्त कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ और मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001, राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 और सोसाइटी की उपविधियों के उपबन्धों और समय–समय पर जारी किये गये सम्बन्धित आदेशों/निदेशों का पालन करूंगा/करूंगी । सदस्यता फीस के लिए 10/– रू. और शेयर धन के रूप में ..... रू. संलग्न हैं ।

दिनांक :

**आवेदक के हस्ताक्षर**

साक्षी :

नाम :

पता :

हस्ताक्षर :

**रसीद**

श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी श्री.....निवासी..... द्वारा सदस्यता के लिए फाइल किया गया आवेदन आज दिनांक.....को प्राप्त किया, जो आवेदनों के प्राप्ति रजिस्टर की क्रम सं. ..... पर प्रविष्ट किया गया ।

**मु. का. अ.**

**प्ररूप सं. ढ**

**(नियम 14(1) देखिए)**

**.....सहकारी सोसाइटी लिमिटेड.....**

**सदस्यता के लिए आवेदनों का प्राप्ति रजिस्टर**

| क्रम सं. | आवेदक का नाम | पिता/पति का नाम | पता | आवेदन प्राप्त करने की तारीख | सदस्यता फीस रू. | शेयर धन रू. | आवेदनों का प्रतिग्रहण | | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | समिति की बैठक | संकल्प सं. | |

**(राज्यपाल के आदेश से)**

27|91

Gazette

| | राजस्थान राज–पत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |
| | भाद्र 28, सोमवार, शाके 1933–सितम्बर 19, 2011<br>*Bhadra 28, Monday, Saka 1933–September 19, 2011* | |

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

## COOPERATIVE DEPARTMENT

Notification

**Jaipur, September 14, 2011**

**G.S.R.73.**–In exercise of the powers conferred by section 123 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Rules, 2003, and orders with reference to proviso to sub-section (1) of section 123 of the said Act that the previous publication of these rules is dispensed with, as the State Government considers in public interest that they should be brought into force at once, namely :-

**1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force with immediate effect.

**2. Amendment of rule 8.**- In column number 4 against serial number 3 of the table in rule 8 of the Rajasthan Co-operative Societies Rules, 2003, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) for the existing expression, " "Financing Bank" having jurisdiction over the whole of the State of Rajasthan", the expression "Apex society which is the federal body of the Central Co-operative Banks in the State and is engaged in the business of banking" shall be substituted; and

(ii) for the existing expression, "District Central Banks having provisions in their bye-laws to advance loans to Co-operative Societies", the expression "Central Society which has primary agricultural credit societies as its members and is engaged in the business of banking" shall be substituted.

**3. Amendment of rule 14.-** In rule 14 of the said rules, after the existing sub-rule (1) and before the existing sub-rule (2), the following new sub-rule (1-A) shall be inserted, namely :-

"(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), an individual, who deposits in a primary agricultural credit society such minimum amount for such minimum period as may be specified by the Registrar from time to time, shall be deemed to be the member of that society with full voting rights during the period for which the deposit remains with the society."

**4. Amendment of rule 19.-**The existing provisions of rule 19 of the said rules, shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1), so renumbered, the following new sub-rule (2) shall be added, namely: -

"(2) An individual, who is deemed to be a member in primary Agricultural credit co-operative society under the provisions of sub-section (4) of section 15, shall cease to be a member on the day on which his deposits fall short of the minimum amount specified by the Registrar under sub-section (4) of section 15."

**5. Amendment of rule 23.-** The existing provisions of rule 23 of the said rules, shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1), so renumbered, the following new sub-rule (2) shall be added, namely: -

"(2) Apart from the register of members as required under sub-rule (1), a primary agricultural credit society shall also maintain a register of members, who shall be deemed to be a member under the provisions of sub-section (4) of section

15, in such form, as may be specified by the Registrar from time to time and same shall be updated regularly. The register shall also contain details regarding the period, if any, during which deposits of such individuals fall short of the minimum amount specified by the Registrar under the said sub-section."

**6. Amendment of rule 24.-** The existing provisions of rule 24 of the said rules, shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1), so renumbered, the following new sub-rule (2) shall be added, namely: -

"(2) Apart from the list of members as required under sub-rule (1), a primary agricultural credit society shall also maintain a list of members, who shall be deemed to be a member under the provisions of sub-section (4) of section 15 and revise the same, from time to time. The list, so prepared and revised, shall be furnished to the Election Officer."

**7. Amendment of rule 25.-** In rule 25 of the said rules, after the existing expression "if he is admitted" and before the existing expression "within thirty days", the expression "or deemed to be a member under sub-section (4) of section 15" shall be inserted.

**8. Amendment of rule 27.-** In sub- rule (1) of rule 27 of the said rules, for the existing expression "No member of a co-operative society", the expression "Save as provided in sub-section (3-A) of section 28, no member of a co-operative society" shall be substituted.

**9. Amendment of rule 34.-** In sub- rule (1) of rule 34 of the said rules.-

(i) after the existing expression "eligible for election" and before the existing expression "or appointment as a member", the expression ", co-option, nomination" shall be inserted; and

(ii) after the existing expression "of a co-operative society" and before the existing expression "if he

suffers form any", the expression " or for continuing as its member," shall be inserted.

**10. Amendment of rule 36.-** In sub- rule (1) of rule 36 of the said rules.-

(i) in sub-rule (1), after the existing expression "the provisions of sub-section (1)" and before the existing expression " of section 30.", the expression " and (2) " shall be inserted; and

(ii) after the existing sub-rule (4) and before the existing sub-rule (5), the following new sub-rule (4A) and (4B) shall be inserted, namely :-

"(4A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2), the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan may initiate action against a member of the committee of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank elected or co-opted under sub-section (2-A) of section 27, and remove him under sub-rule (3), if he does not have the qualifications required therefore:

Provided that the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan shall within one month on being advised by the Reserve Bank of India or National Bank, ensure removal of any person elected or co-opted as a member of the committee under sub-section (2A) of section 27 without having the requisite qualification mentioned therein.

(4B) Notwithstanding anything contained in this rule, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan shall remove the committee of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank on the recommendation of the Reserve Bank of India and appoint an administrator in its place within one month of such recommendation."

**11. Amendment of rule 39.-** In rule 39 of the said rules, after the existing sub-rule (8), the following new sub-rule (9) and (10) shall be added, namely :-

"(9) Notwithstanding anything contained in this rule, a short term co-operative credit structure society shall have

autonomy in internal administrative matters including the personnel policy, staffing, recruitment, posting and compensation to staff:

Provided that the general guidelines issued by the State Government, if any, keeping in view the general welfare of the employees in the co-operative sector and maintaining transparency and uniformity in the recruitments, shall be followed.

(10) Where a Chief Executive Officer appointed by the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank does not fulfill the eligibility criteria specified by the Reserve Bank of India or has been appointed without following the specified procedure, the Registrar may, after giving him an opportunity of hearing, pass an order for removal of such officer:

Provided that where an advice has been received from the Reserve Bank of India or the National Bank for removal of a Chief Executive Officer, the orders for such removal shall be issued within a period of one month."

**12. Amendment of rule 57.-** In sub-rule (2) of rule 57 of the said rules, -

(i) in second proviso, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the existing second proviso, so amended, the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided also that a short term co-operative credit structure society may invest or deposit its funds in any bank or financial institution regulated by the Reserve Bank of India."

**13. Amendment of rule 60.-**In sub-rule (2) of rule 60 of the said rules, -

(i) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) at the end, the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided that a short term co-operative credit structure society may determine its loan policy and decide individual loan to its members keeping in view the interest of the society and its members."

**14. Amendment of rule 68.-** The existing provisions of rule 68 of the said rules, shall be renumbered as sub- rule (1) thereof and after sub- rule (1), so renumbered, the following new sub- rule (2) shall be added, namely:-

"(2) The Registrar may, in consultation with the National Bank, specify prudential norms including the Capital to Risk Weighted Assets Ratio for primary agricultural credit societies of the State and it shall be obligatory for all such societies to follow such norms."

**15. Amendment of rule 70.-** In clause (iii) of rule 70 of the said rules, -

(i) in first proviso, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the existing first proviso, so amended, the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided further that a primary agricultural credit society may dispose off its net profit and pay dividend to its members in accordance with the guidelines issued by the Registrar in consultation with the National Bank."

**16. Amendment of rule 72.-** In rule 72 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the existing sub-rule (1), so amended, and before the existing sub-rule (2), the following new provisos shall be inserted, namely:

"Provided that a short term co-operative credit structure society shall be free to decide and pay the compensation for audit to its auditor(s).

Provided further that when a primary agricultural credit society opts to get its accounts audited and certified by a departmental auditor, it shall pay the audit fee to the Government as per the scale fixed by the Registrar under sub-rule (1)."

**17. Substitution of rule 73.-** The existing rule 73 of the said rules, shall be substituted by the following, namely, -

"73. Procedure for appointment of auditors and for conducting audit.- (1) It shall be the duty of every co-operative society to get its accounts audited every year under the provisions of the Act.

(2) The Registrar shall prepare three separate panels of auditors, viz. the departmental auditors, certified auditors and Chartered Accountants from time to time for such period as he may specify, for conducting the audit of co-operative societies:

Provided that for the audit of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Banks panel of Chartered Accountants shall be approved by the National Bank.

**Explanation 1.-** For purposes of this rule "a certified auditor" includes,-

(a) a person who holds a Government diploma in co-operative accounts or a Government diploma in co-operation and accountancy; or

(b) a person who has served as an auditor in the co-operative department of the Government.

and whose name has been included by the Registrar in the panel of certified auditors maintained and published by him in the Official Gazette at least once every three years.

**Explanation 2.-**For purposes of this rule "a Chartered Accountant" means a Chartered Accountant as defined in the

Chartered Accountants Act, 1949, and save as provided in sub-rule (2) above, whose name has been included by the Registrar in the panel of auditors maintained and published by him in the Official Gazette at least once every three years.

(3) A society other than the Apex Co-operative Bank and a Central Co-operative Bank, willing to exercise an option for one of the three panels of auditors prepared by the Registrar under sub section (1) of section 54 shall intimate the Registrar of such option under the joint signatures of the Chairman and the Chief Executive Officer of the society along with a copy of the resolution taken by the committee in this regard at least one month before the last day of the financial year for which audit is to be conducted:

Provided that a primary agricultural credit society, which does not opt to get its accounts audited by an auditor from the panel of departmental auditors shall appoint an auditor from either of the other two panels prepared by the Registrar under sub-rule (2) under intimation to the Registrar by the last day of the financial year for which audit is to be conducted or such other date as the Registrar may notify.

(4) The committee of the society shall be competent to take a decision regarding the option of panel of auditors or for appointment of auditor(s), as the case may be, for the audit of the society.

(5) In a society other than a short term co-operative structure society, the Registrar shall appoint an auditor or such number of auditors, as he deems fit, to conduct the audit of every society from the panel of auditors opted by the society:

Provided that where a primary agricultural credit society opts to get its accounts audited by an auditor from the panel of departmental auditors, it will be competent for the Registrar to allot audit of such society to any one of the auditors available on the departmental strength and get the audit conducted:

Provided further that where the society does not exercise its on or fails to intimate the Registrar of its option within the time ulated under sub-rule (3) above, the Registrar shall appoint the itor(s) from the panel of departmental auditors, deeming that society does not want to exercise any option under sub-section of section 54.

(6) The audit under section 54 shall in all cases extend back the last date of the previous audit and shall be carried out up to e last date of the co-operative year immediately preceding the udit or where the Registrar so directs in the case of any particular ociety or class of societies, such other date as may be specified by he Registrar.

(7) An auditor shall conduct audit of a society as per the norms fixed by the Registrar therefore from time to time, if any, for such society or the class of societies to which the society belongs.

(8) The Registrar may, from time to time, specify the form or forms in which the statements or accounts and information shall be prepared for audit by the society.

(9) The auditor shall submit an audit memorandum to the society and to the Registrar in the form specified by the Registrar, on the accounts examined by him and on the balance sheet and profit and loss account as on the date and for the period up to which the accounts have been audited and shall state whether in his opinion and to the best of his information and according to the explanations given to him the said accounts give all the information required by the Act in the manner so required and give true and fair view.-

(i) in the case of the balance sheet, of the state of society's affairs as at the end of the financial year or any other subsequent date up to which the accounts are made up and examined by him, and

(ii) in the case of profit and loss account, of the profit or loss for the co-operative year, or the period covered by the audit, as the case may be:

Provided that in case of a short term co-operative structure society, the auditor shall also endorse a copy of the audit report to the Reserve Bank of India and the National Bank along with the Registrar.

(10) The audit memorandum shall state,-

(i) whether the auditor had obtained all the information and explanations, which to the best of his knowledge and belief, were necessary for the purpose of his audit;

(ii) whether in his opinion proper books of accounts, as required by the Act, these rules and the bye-laws of the society have been kept by the society so far as it appears from the examination of these books; and

(iii) whether the balance sheet and profit and loss account examined by him are in agreement with the books of accounts and returns of the society.

(11) Where any of the matters referred to in sub-rule (10) are answered in the negative or with a qualification, the audit memorandum shall specify the reasons for the answer.

(12) The audit memorandum shall also contain schedules with full particulars of :-

(i) all transactions which appear to be contrary to the provisions of the Act, the rules or the bye-laws of the society;

(ii) all sums which ought to have been but have not been brought into account by the society;

(iii) any material impropriety or irregularity in the expenditure or in the realization of moneys due to the society;

(iv) any money or property belonging to the society which appears to the auditor to be bad or doubtful debt; and

(v) any other matters specified by the Registrar in this behalf.

(13) The summary of audit memorandum as prepared by auditor shall be read out in the general meeting. The audit-memorandum together with its accompaniments shall be open to inspection by any member of the society. The Registrar may, however, direct that any portion of the audit memorandum, which appears to him to be of objectionable nature or not justified by facts shall be expunged and the portion so expunged shall not form part of the audit memorandum.

(14) Where the Registrar is satisfied that an audit memorandum submitted by the auditor does not contain the necessary facts and particulars which are essential for presenting a true and fair picture of society's state of affairs, he may issue directions to the auditor to include the necessary facts in that regard and such directions shall be binding on the society as well as on the auditor.

(15) On completion of his statutory audit, the auditor shall award an audit classification to the society whose accounts he has audited in accordance with the instructions issued by the Registrar from time to time. The Registrar may, if he thinks necessary, amend the audit classification for reasons to be recorded in writing.

(16) Where a request is received from the Reserve Bank of India to conduct special audit in the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank on the issues and for the period mentioned in such request, the Registrar shall order to appoint auditor(s) to conduct such special audit as required by the Reserve Bank of India and the report of such special audit shall be conveyed to the Reserve Bank of India as well as to the concerned Bank. The report shall have the same effect as of a regular statutory audit."

**18. Insertion of a new rule 81-A.-** After the existing rule 80 and before the existing rule 81 of the said rules, the following new rule 80 A shall be inserted, namely:-

**"80 A. Registrar's power to wind up a society.-** (1) The Registrar may issue orders to wind up a society in circumstances mentioned in sub- section (1) of the section 61:

Provided that where an advice of the Reserve Bank of India is received for winding up of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank, the Registrar shall appoint a liquidator within one month of receiving such advice.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Registrar shall order to wind up a primary agriculture credit society or its federation or association, who fails to comply with the provisions of sub-section (4) of section 5 of the Act."

**[No. F. 12 (1) Coop/2011]**

**By Order and in the name of the Governor,**

एम.सी. गुप्ता,

**Deputy Secretary to the Government.**

---

**Government Central Press, Jaipur.**